

बयानुल कुरान

हिस्सा अक्वल
तर्जुमा व मुख्तसर तफ़सीर
तआरुफे कुरान

अज़
डॉक्टर इसरार अहमद

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

अर्जे मुस्तब

कुरान हकीम नौए इन्सानी के लिये अल्लाह तआला का आखरी और तकमीली (complete) पैगाम-ए-हिदायत है, जिसे नबी आखिरुज्जमान मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ की दावत व तब्लीग में मरकज़ (center) व महवर (axis) की हैसियत हासिल थी। आप ﷺ ने इस कुरान की बुनियाद पर ना सिर्फ दुनिया को एक निज़ामे अद्ल इज्जतमाई अता फ़रमाया बल्कि इस आदिलाना निज़ाम पर मब्नी एक सालेह मआशरा भी बिलफअल कायम करके दिखाया। आप ﷺ ने इस कुरान की रहनुमाई में इन्कलाब के तमाम मराहिल तय करते हुए नौए इन्सानी का अज़ीम तरीन इन्कलाब बरपा फरमा दिया। चुनाँचे यह कुरान महज़ एक किताब नहीं "किताबे इन्कलाब" है, और इस शऊर के बगैर कुरान मजीद की बहुत सी अहम हकीकतें कुरान के कारी पर मुन्कशिफ (ज़ाहिर) नहीं हो सकतीं।

अल्लाह तआला जज़ा-ए-खैर अता फ़रमाये सदर मौसिस मरकज़ी अंजुमन खुद्दामुल कुरान लाहौर और बानी-ए-तंज़ीमे इस्लामी मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद हफीज़ुल्लाह को जिन्होंने इस दौर में कुरान हकीम की इस हैसियत को बड़े वसीअ पैमाने पर आम किया है कि यह किताब अपनी दीगर (अन्य) इम्तियाज़ी हैसियतों के साथ-साथ मौहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ का आला-ए-इन्कलाब और आप ﷺ के बरपा करदा इन्कलाब के मुख्तलिफ मराहिल के लिये ब-मंज़िला-ए-मैन्युअल (manual) भी है, लिहाज़ा इसका मुताअला (study) आँहुज़ूर ﷺ की दावत व तहरीक और इन्कलाबी जद्दो-जहद के तनाज़ुर (दृष्टिकोण) में किया जाना चाहिये और इसके कारी को खुद भी "मन्हज-ए-इन्कलाबे नबवी ﷺ" पर मब्नी

इन्कलाबी जद्दो-जहद में शरीक होना चाहिये। ब-सूरते दीगर (अन्यथा) वह कुरान हकीम के मआरफ (तालीम) के बहुत बड़े खज़ाने तक रसाई (पहुँच) से महरूम रहेगा।

मोहतरम डॉक्टर साहब ने अपने दौरा-ए-तर्जुमा-ए-कुरान (बयानुल कुरान) में भी कुरान करीम की इस इम्तियाज़ी हैसियत को पेशे नज़र रखा है, जिसे दावत रुजू इलल कुरान के इन्तहाई अहम संगे मील की हैसियत हासिल है। इस बात की ज़रूरत शिद्दत से महसूस हो रही थी कि इस शहरा-ए-आफाक "बयानुल कुरान" को मुस्तब करके किताबी सूरत में पेश किया जाये। चुनाँचे राकिमुल हुरूफ ने अल्लाह तआला की ताईद व तौफ़ीक तलब करते हुए कुछ अरसा क़ब्ल इस काम का बीड़ा उठाया और पहले "तआरुफे कुरान" और फिर रफ़ता-रफ़ता सूरतुल फ़ातिहा और सूरतुल बकरह की तरतीब व तस्वीद (आलेखन) मुकम्मल की। अब तक मुकम्मल होने वाला काम किताबी सूरत में "बयानुल कुरान" (हिस्सा अक्वल) के तौर पर पेश किया जा रहा है। कारईन किराम (पाठकों) से इस्तदआ (निवेदन) है कि वह अल्लाह तआला के हुज़ूर इस आजिज़ के लिये उस हिम्मत व इस्तक़ामत (दृढ़ता) की दुआ करें जो इस अज़ीम काम की तकमील के लिये दरकार है।

हाफिज़ खालिद महमूद खिज़र
मुदीर शौबा मतबूआत, कुरान अकेडमी लाहौर
नवम्बर, 2008

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

तकदीम

इसरार अहमद

इन सत्तर के नाचीज़ राक़िम को कुरान मजीद का मुफ़स्सिर तो बहुत दूर की बात है, मरव्वजा मफ़हूम के ऐतबार से "आलिमे दीन" होने का भी हरगिज़ कोई दावा नहीं है, ताहम (हालाँकि), खालिसतन "تَحْدِيثًا لِلنَّعْمَةِ" (बा-हवाला "وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ") अल्लाह तआला की उन नेअमताँ के ऐतराफ़ व इज़हार में कोई कबाहत महसूस नहीं होती कि उसने अपने खास फज़ल व करम से ऐसे हालात पैदा कर दिये कि अवाइल (early) उमर ही में कुराने हकीम के साथ एक दिली उन्स (घनिष्ठ परिचय) और ज़ेहनी मुनास्बत (सम्बन्ध) कायम होती चली गयी। चुनाँचे अक्वलन बिल्कुल ही नौउमी में (हाई स्कूल के इब्तदाई सालों के दौरान) अल्लामा इक़बाल की शायरी के ज़रिये कुरान की अज़मत, मिल्लते इस्लामी की निशाते सानिया की उम्मीद और इसके ज़िम्न में कुरान की अहमियत का एक गहरा नक्श क़ल्ब पर कायम फरमा दिया, फिर एक खानदानी रिवायत के मुताबिक़ हाई स्कूल की तालीम के दौरान अरबी को एक इज़ाफ़ी मज़मून की हैसियत से इख़्तियार करने की सूरत पैदा फरमा दी जिससे अरबी ग्रामर की असासात (आधार) का इल्म हासिल हो गया। और फिर मेट्रिक के इम्तिहान के बाद फरागत के दिनों में, जबकि 1947 ईस्वी के मुस्लिम कश फसादात के नतीजे में हम लगभग एक माह क़स्बा हिसार (जो अब भारत की रियासत हरयाणा में है) में हिन्दुओं के हमलों से दिफ़ाअ (बचाव) के लिये चंद मुहल्लों पर मुश्तमिल एक दिफ़ाई ब्लाक में "महसूर" थे, कुरान हकीम से पहले मानवी तआरुफ़ की यह सूरत पैदा फरमा दी कि

मुझे और मेरे बड़े भाई इज़हार अहमद साहब मरहूम को एक मस्जिद में बैठ कर मौलाना सय्यद अबुल आला मौदूदी मरहूम की माहनामा "तर्जुमानुल कुरान" में शाय होने वाली तफ़सीर सूरह युसुफ के इज्जतमाई के मुताअले और उस पर बाहमी मुज़ाकरे का मौक़ा मिला, जिससे अंदाज़ा हुआ कि कुरान फ़साहत व बलागत की मेराज और सरचश्मा-ए-हिदायत ही नहीं, बल्कि मिम्बा-ए-इल्म व हिकमत भी है, और वाक़िअतन इस लायक़ है कि बेहतरीन ज़हनी व फिक्री सलाहियताँ को इसके इल्म व फ़हम के हुसूल में इस तौर से सर्फ़ (खर्च) किया जाये कि अक्वलन इसके अमूमि (सामान्य) पैगाम को सही तौर पर समझें जो कि इल्म व हिकमत के बहर-ए-ज़खार की सतह पर बिल्कुल उसी तरह तैर रहा है जैसे किसी तेल बरदार (वाहक) जहाज़ में शिकस्त व रेख्त (विनाश) के बाइस (कारण) उससे निकाल कर बहने वाला तेल सतह समुन्दर पर तैर रहा होता है, और फिर इसकी गहराइयों में गोताज़नी करके इसकी तह से इसके फ़लसफ़ा व हिकमत के असल मोतियाँ को तलाश करें!

अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि यह इन ही अमूरे सलासा के नतीजे का ज़हूर था कि जब तक़सीमे हिन्द के वक़्त एक सौ सत्तर मील का सफ़र (हिसार से हैड सुलेमानकी तक) पैदल काफ़िले के साथ आग और खून के दरिया उबूर (पार) करके पाकिस्तान पहुँचना नसीब हुआ तो फ़ौरन तहरीके जमाते इस्लामी के साथ अमली वाबस्तगी (practical commitment) हो गयी। (जो अक्वलन इस्लामी जमीयते तलबा में शमूलियत [सह-भागिता] की सूरत में थी, और उसके बाद जमाते इस्लामी की रुक्नियत की शकल में!) और इस पूरे दस साला अरसे के दौरान जमीयत और जमाअत के इज्जतमाआत में "दरसे कुरान" की ज़िम्मेदारी अमूमन मुज़ पर आयद (लागू) होती रही। जिसे बिलउमूम

बहुत इस्तेहसान की नज़रों से देखा जाता था। अगरचे मैं अच्छी तरह समझता था कि सामईन (श्रोताओं) की जानिब से यह तहसीन व तारीफ़ इक़बाल के इस शेर के ऐन मुताबिक़ है कि:

*खुश आ गयी है जहाँ को क़लंदरी मेरी,
वरना शेर मेरा क्या है! शायरी क्या है!*

मज़ीद बर्राँ (इसके अलावा) मैं हरगिज़ इसका दावा भी नहीं करता कि मेरे इस तअल्लुम व तदब्बुर कुरान के ज़ोक्र व शौक में रोज़ अफ़ज़ो (तेज़ी से) इज़ाफ़े में इस खारजी पसंदीदगी की बिना पर पैदा होने वाली "हिम्मत अफ़ज़ाई" को सिरे से कोई दखल हासिल नहीं था, लेकिन वाक़्या यह है कि मैं अपने दरूस (course) के लिये तैयारी के ज़िम्न में जो मुताअला करता और मुख्तलिफ़ अरबी और उर्दू तफ़ासीर से रुजू करता और फिर अपने ज़ाती गौरो फ़ि़क़ से भी काम लेता तो उसके नतीजे में मुझ पर कुरान की अज़मत मुन्कशिफ़ (स्पष्ट) होती चली गयी। और इस क़ौल को हरगिज़ किसी मुबालगे पर मब्नी ना समझा जाये कि कुरान ने मुझे अपना "असीर" (possess) कर लिया। चुनाँचे यह इसी असीरी का मज़हर है कि मैंने 1952 ईस्वी ही में (बीस साल की उम्र में) मेडिकल एजुकेशन के ऐन वस्त (बीच) में ये शऊरी फैसला कर लिया था कि अब यह तिब्ब (मेडिकल) की तालीम भी और तबाबत (प्रेक्टिस) का पेशा भी, सब मेरी तरजीहात में नम्बर दो पर रहेंगे, अक्वलीन तरजीह ख़िदमते कुरान हकीम और ख़िदमते दीने मतीन को हासिल रहेगी! और फिर 1971 ईस्वी में कमरी हिसाब से चालीस साल की उम्र में जब यह महसूस हुआ कि अल्लाह तआला ने अपने खुसूसी फ़ज़ल व करम से मुझ पर अपनी शाने "عَلَّمَ الْقُرْآنَ" के साथ-साथ "عَلَّمَهُ الْبَيَانَ" का भी किसी दर्जे में फैज़ान फरमा दिया है तो अपने पेशा-ए-तबाबत को बिल्कुल ख़ैरबाद कह कर अपने आप को हमातन (हर हाल)

और हमावक़्त (हर वक़्त) कुराने मुबीन और दीने मतीन की ख़िदमत के लिये वक़फ़ कर दिया।

मुझ पर अल्लाह तआला का एक ख़ास फ़ज़ल व करम इस ऐतबार से भी हुआ कि उसने मुझे किसी एक लकीर का फ़कीर होने से बचा लिया। चुनाँचे कुरान के इल्म व फ़हम के ज़िम्न में मेरे इस्तफ़ादे का हल्का (दायरा) बहुत वसीअ भी है। और बाज़ ऐतबारात से तज़ाद (विरोध) का हामिल (धारक) भी! मैंने अपनी एक तालीफ़ "दावत रुजूअ इलल कुरान का मंज़र व पसमंज़र" में इसकी पूरी तफ़सील दर्ज कर दी है कि मेरे इल्म व फ़हमे कुरान के "हौज़" में तफ़सीर कुरान के चार सिलसिलों की नहरों से पानी आता रहा, जिन पर पाँचवा इज़ाफ़ा मेरी तालीम में शामिल उलूमे तबीइया (प्राकृतिक विज्ञान) के मबादयात (आधार) का इल्म था। फिर अल्लाह ने मुझे जो मन्तकी ज़हन अता फ़रमाया था उसके ज़रिये इन पाँच सिलसिलों से हासिलशुदा मालूमात में "जमीअ व तवाफ़िक़" (synthesis) कायम किया। जिसकी बिना पर बहम्दुलिल्लाह मेरे "बयानुल कुरान" को एक जामियत हासिल हो गयी। और ग़ालिबन यही इसकी मक़बूलियत का असल राज़ है।⁽¹⁾ वल्लाहु आलम!

एक मुस्तनद "आलिमे दीन" ना होने के बावजूद जिस चीज़ ने मुझे दर्स व तदरीसे कुरान की जुरात (बल्कि ठेठ मज़हबी हल्कों [दायरों] के नज़दीक "जसारत") की हिम्मत अता फ़रमायी, वह नबी अकरम ﷺ का यह क़ौले मुबारक है कि: ((يَلْعَنُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً)) यानि "पहुँचा दो मेरी जानिब से ख्वाह एक ही आयत!" (सही बुखारी, और उसके अलावा तिरमिज़ी, और अहमद दारमी रहमतुल्लाह अलै०)। चुनाँचे मेरे नज़दीक जिन उलूमे दीनी की तहसील को उल्माये किराम लाज़मी करार देते हैं वह किसी के "मुफ़्ती" बनने के लिये तो लामहाला लाज़मी हैं, लेकिन कुरान के दाई और

मुबल्लिग बनने के लिये हरगिज़ ज़रूरी नहीं हैं। इसलिये कि कुरान का पैगाम अगरचे ता कयामे कयामत पूरी नौए इंसानी के लिये था, ताहम (हालाँकि) इसके अक्वलीन मुखातिब तो "उम्मी" थे। चुनाँचे कुरान के असल पैगाम को अल्लाह तआला ने निहायत "यसीर" सूत में, जैसे कि पहले अर्ज़ किया गया, एक अथाह समुन्दर की सतह पर तैरने वाले तेल के मानिन्द पेश किया (यही वजह है कि सूतुल क्रमर में चार बार फ़रमाया गया):

"हमने नसीहत व हिदायत के लिये कुरान को बहुत आसान बना दिया है, तो है कोई जो इससे तज़क्कर हासिल करे!"

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ

क्रिस्सा मुख्तसर--- लाहौर में 1965 ईस्वी से मेरे बाज़ाब्ता हल्का मुताअला-ए-कुरान (organised centers to understand Quran) कायम हुए तो उसके नतीजे में पहले 1972 ई० में मरकज़ी अंजुमन खुद्दामुल कुरान लाहौर कायम हुई, जिसकी कोख से ज़ेली अंजुमनों का एक सिलसिला बरामद हुआ (कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, झंग, कोएटा, इस्लामाबाद, पेशावर) फिर 1976 ई० में लाहौर में कुरान अकेडमी कायम हुई, और उसकी "बेटियों" के तौर पर कराची, मुल्तान, फैसलाबाद और झंग में भी अकेडमियाँ वजूद में आयीं। साथ ही पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में बड़े-बड़े शहरों में मेरे दर्से कुरान की महफ़िलें मुनअक्किद (आयोजित) होने लगीं। फिर कुरानी तरबियत गाहों (जो एक हफ़ते से लेकर एक महीने तक के अरसे पर मुहीत होती थीं) का सिलसिला शुरू हुआ। इधर लाहौर में सालाना कुरान कॉन्फ़्रेंसों का सिलसिला जारी हुआ और फिर जब पाकिस्तान टेलिविज़न पर यह दर्से कुरान शुरू हुआ तो अक्वलन अल् किताब फिर अलिफ़ लाम मीम फिर नबी कामिल (ﷺ) और बिल आख़िर

"अल् हुदा" का हफ़तावार प्रोग्राम जो पूरे पन्द्रह महीने इस शान से जरी रहा कि हफ़ते के एक ही दिन, एक ही वक़्त पर, पाकिस्तान के तमाम टी०वी० स्टेशनों से नशर (प्रसारित) होता था। तो उस ज़माने में जो मक़बूलियत हासिल हुई उसकी बिना पर मुझे अपने बारे में वह शदीद अन्देशा लाहक़ हो गया था जिसका ज़िक्र एक हदीस में आया है कि आँहुज़ूर ﷺ ने इरशाद फ़रमाया: "किसी शख्स की तबाही के लिये यह बात काफी है कि उसकी जानिब उँगलियाँ उठनी शुरू हो जायें!" इस पर दरयाफ़्त किया गया कि: "अगर यह किसी चीज़ की बुनियाद पर हो तो क्या तब भी?" तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "हाँ तब भी, इसलिये कि इससे इन्सान के लगज़िश में मुब्तला होने (यानि उसमें उजुब [बदलाव] और तकब्बुर जैसी हलाकत खेज़ बीमारियों के पैदा हो जाने) का अन्देशा पैदा हो जाता है। इल्ला (सिवाय) यह कि अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो!" (इस हदीस को मुहद्दिस ज़हबी रहि० ने हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि०) से रिवायत किया है, अगरचे इसकी रिवायत में किसी क़दर ज़ौफ़ मौजूद है।) इसलिये कि उस ज़माने में फिल वाक़ेअ कैफ़ियत यह हो गई थी कि मैं जिधर जाता था लोग एक-दूसरे को इशारों के ज़रिये मेरी तरफ़ मुतवज्जा करते थे। यह भी उस ज़माने की बात है कि मुझसे मुतअद्दिद (कई) लोगों ने तफ़सीरे कुरान लिखने की फ़रमाइश की, और एक पब्लिशर ने तो बहुत इसरार किया कि आप एक तर्जुमा-ए-कुरान ही लिख दें। लेकिन मैंने हमेशा और सबसे यही कहा कि मेरा मक़ाम नहीं है! इस दावते कुरानी में अगरचे मेरा ज़्यादा ज़ोर कुरान के चीदा-चीदा (खास-खास) मक़ामात पर मुशतमिल "मुताअला-ए-कुरान हकीम के एक मुन्तखब निसाब" के दर्स पर रहा, लेकिन बहम्दुलिल्लाह दो बार पूरे कुरान मजीद का दर्स देने की सआदत (सौभाग्य) भी हासिल हुई, अगरचे वह सारा टेप रिकॉर्डशुदा मौजूद नहीं है!

इस दावते कुरानी का नुक्ता-ए-उरूज यह था कि 1948 ई० (1404 हिजरी) में नमाज़े तरावीह के साथ दौरा-ए-तर्जुमा-ए-कुरान का आगाज़ हुआ। चुनाँचे हर चार रकअत तरावीह से क़बल उन रकाअतों में पढ़ी जाने वाली आयात का तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह बयान होती थी, फिर नमाज़ में उनकी समाअत होती थी, जिसके नतीजे में, बाज़ लोगों में कम और बाज़ में ज़्यादा, वह कैफ़ियत पैदा हो जाती थी जिसे इक़बाल ने अपने इस शेर में बयान किया है कि:

तेरे ज़मीर पर जब तक ना हो नुज़ूले किताब

गिरह कुशा है ना राज़ी ना साहिबे कशाफ़!

इस अमल के नतीजे में नमाज़े इशा और नमाज़े तरावीह की तकमील में लगभग छः घंटे सर्फ़ (खर्च) होते थे। और बहम्दुलिल्लाह सामईन का जोशो खरोश और ज़ोक्रो शौक दीदनी होता था। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अब यह सिलसिला पाकिस्तान के बहुत से मक़ामात पर मेरी सल्बी और माअनवी औलाद के ज़रिये जारी है!

इस सिलसिले में दौरा-ए-तर्जुमा-ए-कुरान का जो प्रोग्राम 1998 ई० में कराची की कुरान अकेडमी की जामा मस्जिद में हुआ, उसकी ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग आला मैयार पर की गयी थी। चुनाँचे यह बहम्दुलिल्लाह ऑडियो-वीडियो कैसिटों और C.Ds और D.V.Ds और टी०वी० चैनल्स के ज़रिये पूरी दुनिया में निहायत वसीअ पैमाने पर फैल चुका है। और अब इसे किताबी शक़ल में भी शाय़ा (प्रकाशित) करने का सिलसिला शुरू हो रहा है, जिसकी पहली जिल्द आपकी ख़िदमत में हाज़िर है! इसकी तबाअत व अशाअत (printing & publishing) के सिलसिले में अंजुमन खुद्दामुल कुरान सूबा सरहद के सदर जनाब डॉक्टर इक़बाल साफ़ी ने ताकीद (focus) का जो दबाव मरकज़ी अंजुमन पर बरकरार रखा और

माली तआवुन (सहयोग) भी पेश किया, उसकी बिना पर इससे इस्तफ़ादह (फ़ायदा) करने वाले हर शख़्स पर उनका यह हक़ है कि उनके लिये दुआये ख़ैर ज़रूर करे।

आखरी बात यह कि इस "बयानुल कुरान" के ज़िम्न में अगर असहाबे इल्म मेरी गलतियों की निशानदेही करें तो मैं ममनून (आभारी) हूँगा। और आइन्दा तबाअत (प्रिंटिंग) में तसहीह (सुधार) भी कर दी जायेगी। इस बात को दोहराने की चंदआँ ज़रूरत नहीं है कि मैं ना मुफ़स्सिर होने का मुद्दई हूँ ना आलिम होने का, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह के कलामे पाक और उसके दीने मतीन का अदना खादिम हूँ। और मेरी सब हज़रात से इस्तदआ (निवेदन) है कि मेरे हक़ में दुआ करें कि अल्लाह मेरी मसाई (कोशिशों) को शर्फ़ कुबूल अता फरमाये और निजाते उखरवी का ज़रिया बना दे। आमीन! या रब्बल आलमीन!

(नोट: इस पूरी बहस में मैंने अक़ामते दीन की अमली जद्दो-जहद के लिये तंज़ीमे इस्लामी के क्रियाम का ज़िक्र नहीं किया। इसलिये कि यह एक मुस्तक़िल और जुदागाना बाब है, और इस मुख्तसर 'तक़दीम' में ना उसकी गुंजाइश है ना ज़रूरत। ताहम उसके लिये मेरी तालीफ़ात "तहरीक जमाते इस्लामी: एक तहकीक़ी मुताअला" और "सिलसिला-ए-अशाअत तंज़ीमे इस्लामी" अज़ अक्वल ता दहम का मुताअला मुफ़ीद होगा।)

दुआ का तालिब

खाकसार इसरार अहमद अफ़ी अन्हु

26 नवम्बर, 2008

तक़दीम तबीअ सालिस

“बयानुल कुरान” (हिस्सा अक्वल) के पहले दो एडिशन चंद ही माह में (यानि देखते ही देखते!) खत्म हो गये। और यह बात मेरे लिये बहुत हैरतअंगेज़ है। इसलिये कि मैं अक्वलन तो मुफ़स्सिरे कुरान ही नहीं हूँ, सानियन मेरा किसी मारुफ़ मज़हबी फिरके या मस्लक से कोई तंज़ीमी ताल्लुक भी नहीं है। इन अमूर (विवादों) के अलल-रग्म (बावजूद) इसकी इस क़दर पज़ीराई (अभिवादन) यकीनन अल्लाह तआला की किसी खुसूसी मशीयत (मज़ी) की मज़हर (घोषणा) है। वल्लाहु आलम!!

कुरान हकीम की इस तर्जुमानी में अगर कोई खैर वजूद में आया है तो वह सरासर अल्लाह तआला के फ़ज़ल व करम से है। और खालिसतन उसकी अता व मरहम्मत (अनुदान) का नतीजा है। और अगर किसी मक़ाम पर कोई गलती हो गई है तो वह सरासर मेरे इल्म या फ़हम का कसूर है, जिसके लिये अल्लाह तआला से भी अफ़व व दरगुज़र का तलबगार हूँ। और अहले इल्म हज़रात से भी तवक्को रखता हूँ कि इस पर खालिसतन फरमाने नबवी ﷺ “الَّذِينَ النَّصِيحَةُ” के मुताबिक़ मुतनब्बा (टिप्पणी) फरमा कर सवाब हासिल करेंगे! और ज़ाती तौर पर मैं भी ममनूअ हूँगा!!

इस जिल्द में अभी सिर्फ़ सूरतुल फ़ातिहा और सूरतुल बकरह की तर्जुमानी हुई है, गोया कि अभी पहाड़ जैसा भारी काम बाक़ी है। ताहम अल्लाह तआला के फ़ज़ल व करम से तवक्को है कि जैसे उसने, मेरे किसी इरादे या मंसूबाबंदी के बगैर और मेरी खालिस ला-इल्मी में पेशे नज़र जिल्द शाय़ा करा दी, वैसे ही बाक़ी भी शाय़ा करा देगा, ख्वाह खुद मेरी इस

दुनिया से दारे आखिरत की जानिब रवानगी के बाद ही सही। आखिर में दुआ है:

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ وَ تَبَّ عَلَيَّ فَإِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ! آمِينَ! يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ!!

खाकसार इसरार अहमद अफी अन्हु

08 अगस्त, 2009



बाब अक्वल

कुरान के बारे में हमारा अक्रीदा

तआरुफे कुरान मजीद के सिलसिले में सबसे पहली बात यह है कि कुरान हकीम के बारे में हमारा ईमान, या इस्तलाहे आम में हमारा अक्रीदा क्या है?

कुरान हकीम के मुताल्लिक अपना अक्रीदा हम तीन सादा जुमलों में बयान कर सकते हैं:

- 1) कुरान अल्लाह का कलाम है।
- 2) यह मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ पर नाज़िल हुआ है।
- 3) यह हर ऐतबार से महफूज है, और कुल का कुल मन व अन मौजूद है, और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह तआला ने लिया है।

यह तीन जुमले हमारे अकाइद की फ़ेहरिस्त के ऐतबार से, कुरान हकीम के बारे में हमारे अक्रीदे पर किफ़ायत करेंगे। लेकिन इन्हीं तीन जुमलों के बारे में अगर ज़रा तफ़सील से गुफ़्तगू की जाये और दिक्कते नज़र से इन पर गौर किया जाये तो कुछ इल्मी हक़ाइक सामने आते हैं। तम्हीदी गुफ़्तगू में इनमें से बाज़ की तरफ़ इज्मालन इशारा मुनासिब मालूम होता है।

(1) कुरान : अल्लाह तआला का कलाम

सबसे पहली बात कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, खुद कुरान मजीद से साबित है। चुनाँचे सूरतुल तौबा की आयत 6 में अल्लाह तआला ने नबी अकरम ﷺ से फ़रमाया:

”और अगर मुशरिकीन में से कोई शख्स
पनाह माँग कर तुम्हारे पास आना चाहे
(ताकि अल्लाह का कलाम सुने) तो उसे
पनाह दे दो यहाँ तक कि वह अल्लाह का
कलाम सुन ले, फिर उसे उसकी अमन की
जगह तक पहुँचा दो।”

وَأِنْ أَخَذَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى
يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ أَمَانَهُ

जब सूरतुल तौबा की पहली छः आयात नाज़िल हुईं, जिनमें से मुशरिकीने अरब को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया गया कि अगर तुम ईमान न लाये तो चार माह की मुद्दत के खात्मे के बाद तुम्हारा क़त्लेआम शुरू हो जायेगा, तो इस ज़िम्न में नबी अकरम ﷺ को एक हिदायत यह भी दी गई कि यह अल्टीमेटम दिये जाने के बाद अगर मुशरिकीन में से कोई आप ﷺ की पनाह तलब करे तो वह आप ﷺ के पास आकर मुक़ीम हो और कलाम अल्लाह को सुने, जिस पर ईमान लाने की दावत दी जा रही है, फिर उसे उसकी अमन की जगह तक पहुँचा दिया जाये। यानि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही उससे मुतालबा किया जाये कि फ़ैसला करो कि आया तुम ईमान लाते हो या नहीं। इस वक़्त मैंने इस आयत का हवाला सिर्फ़ “कलाम अल्लाह” के अल्फ़ाज़ के लिये शहादत के तौर पर दिया है।

कलाम इलाही : जुमला सिफ़ाते इलाहिया का मज़हर

कुरान मजीद के कलाम अल्लाह होने में ही इसकी असल अज़मत का राज़ मज़मूर है। इसलिये कि कलाम मुतकल्लिम की सिफ़त होता है और उसमें मुतकल्लिम की पूरी शख्सियत हवीदा होती है। चुनाँचे आप किसी भी शख्स का कलाम सुन कर अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसके इल्म और फ़हम व शऊर की सतह क्या है। आ या वह तालीम याफ़ता इंसान है,

महज़ब है, मुतमदन है या कोई उजड़ गँवार है। इस ऐतबार से दरहकीकत यह कलाम अल्लाह, अल्लाह तआला की जुमला सिफ़ात का मज़हर है, इसी हकीकत को अल्लामा इक़बाल ने निहायत ख़ूबसूरत अंदाज़ में बयान किया:

फ़ाश गोयम आँच दर दिल मज़मर अस्त

ई किताबे नीस्त, चीज़े दीगर अस्त

मिसल हक़ पिन्हाँ व हम पैदा सत ई!

ज़िन्दा व पाइन्दा व गोया सत ई!

(जो बात मेरे दिल में छुपी हुई है वह मैं साफ़-साफ़ कह देता हूँ कि यह (कुरान हकीम) किताब नहीं है, कोई और ही शय है। चुनाँचे यह हक़ तआला की ज़ात के मानिंद पोशीदा भी है और ज़ाहिर भी है। नेज़ यह हमेशा ज़िन्दा और बाक़ी रहने वाला भी है और यह कलाम भी करता है।)

मुख्तलिफ़ मफ़ाहीम व मायने के लिये इस शेर का हवाला दे दिया जाता है, लेकिन काबिले गौर बात यह है कि इसमें इसके "चीज़े दीगर" होने का कौनसा पहलू उजागर किया जा रहा है। इसमें दर हकीकत सूरतुल हदीद के उस मुक़ाम की तरफ़ इशारा हो गया है कि: { هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ } (आयत 3) यानि अल्लाह तआला की शान यह है कि वह الاول भी है और الاخر भी, वह الظاهر भी है और الباطن भी। इसी तरह अल्लामा कहते हैं कि इस कुरान की भी यही शान है। नेज़ जिस तरह अल्लाह तआला की सिफ़त الحَيِّ الْقَيُّوم (आयतल कुर्सी, सूरतुल बकरह) है इसी तरह यह कलाम भी ज़िन्दा व पाइन्दा है, हमेशा रहने वाला है। फिर यह सिर्फ़ कलाम नहीं, खुद मुतकल्लिम (बात करने वाला) है।

यहाँ कलाम और मुतकल्लिम के माबैन (दर्मियान) फर्क के हवाले से मुतकल्लमीन कि उस बहस की तरफ़ इशारा करना ज़रूरी मालूम होता है कि ज़ाते हक़ की सिफ़ात, ज़ात से अलैहदा और मुस्तज़ाद हैं या ऐन ज़ात? अल्लामा इक़बाल ने भी अपनी मशहूर नज़्म "इब्लीस की मजलिस-ए-शूरा" में इस बहस का ज़िक्र किया है:

हैं सिफ़ाते ज़ाते हक़, हक़ से जुदा या ऐन ज़ात?

उम्मत मरहूम की है किस अक़ीदे में निजात?

यह इल्मे कलाम का एक निहायत ही पेचीदा, गामज़ और अमीक़ मसला है, जिस पर बड़ी बहसें हुईं और बिलआख़िर मुतकल्लमीन का इस पर तक़रीबन इज्माअ हुआ कि "لَا عَيْنٌ وَلَا غَيْرٌ" यानि अल्लाह की सिफ़ात को ना उसकी ज़ात का ऐन करार दिया जा सकता है ना उसका गौर। अगर इस हवाले से गौर करें तो कुरान हकीम भी, जो अल्लाह तआला की सिफ़त है, इसी के ज़ेल में आयेगा, यानि ना इसे अल्लाह का गौर कहा जा सकता है ना उसका ऐन।

चुनाँचे इस हवाले से सूरतुल हश्र की आयत 21 कुरान मजीद की फ़ी नफ़सी अज़मत के ज़िमन में अहम तरीन है:

"अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतार देते तो तुम देखते कि वह अल्लाह तआला की खशियत और खौफ़ से दब जाता और फट जाता, और यह मिसालें हैं जो हम लोगों के लिये बयान करते हैं ताकि वह गौर करें।"

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ خَائِبًا
مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 21

इस तम्सील को सूरतुल आराफ़ की आयत 143 के हवाले से समझा जा सकता है जिसमें अल्लाह तआला की तलबी पर हज़रत मूसा अलै० के

कोहे तूर पर हाज़िर होने का वाक़िया बयान हुआ है। यह वही तलबी थी जिसमें आप अलै० को तौरात अता की गयी। उस वक़्त अल्लाह तआला ने हज़रत मूसा अलै० को मुखातबह व मुकालमह से सरफ़राज़ फ़रमाया तो उनकी आतिशे शौक़ कुछ और भड़की और उन्होंने फ़रमाइश करते हुए कहा

رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ
"ऐ परवरदिगार! मुझे अपना दीदार अता फ़रमा।"

मुखातबह व मुकालमह के शर्फ़ से तूने मुझे मुशरफ़ फ़रमाया है, अब ज़रा मज़ीद करम फ़रमा। इस पर जवाब मिला:

لَنْ تَرَانِي
"(मूसा) तुम मुझे हरगिज़ नहीं देख सकते।"

ولكن انظر إلى الجبل
"लेकिन ज़रा उस पहाड़ की तरफ़ देखो, मैं उस पर अपनी एक तजल्ली डालूँगा।"

فإن استقر مكانه فسوف ترونني
"चुनाँचे अगर वह पहाड़ अपनी जगह पर कायम रह जाये तो फिर तुम भी गुमान कर लेना कि तुम मुझे देख सकोगे।"

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا
"फिर जब अल्लाह तआला ने उस पहाड़ पर अपनी तजल्ली डाली तो वह "डक़ा डक़ा" (रेज़ा-रेज़ा) हो गया और मूसा अलै० बेहोश होकर गिर पड़े।"

यहाँ "डक़ा" के दोनों तर्जुमे किये जा सकते हैं, यानि रेज़ा-रेज़ा हो जाना, टूट-फूट कर टुकड़े-टुकड़े हो जाना, या कूट-कूट कर किसी शय को हमवार कर देना, बराबर कर देना। जैसे सूरतुल फ़जर की आयत 21 { كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ }

دَكًّا دَكًّا) में इन मायनों में वारिद हुआ है। वही लफ़ज़ यहाँ पहाड़ के बारे में आया है। यानी वह पहाड़ रेज़ा-रेज़ा हो गया या दब गया, ज़मीन के साथ बैठ गया। मूसा अलै० ने अल्लाह तआला की यह तजल्ली देखी जो बिलवास्ता थी, यानि बराहे रास्त हज़रत मूसा अलै० पर नहीं बल्कि पहाड़ पर थी और हज़रत मूसा अलै० बिलवास्ता उसका नज़ारा कर रहे हैं थे, लेकिन खुद हज़रत मूसा अलै० की कैफ़ियत यह हुई कि

وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا
"हज़रत मूसा (अलै०) बेहोश होकर गिर पड़े।"

यहाँ ज़ात व सिफ़ाते बारी तआला की बहस का एक अक़ीदा हल हो जाता है कि जैसे अल्लाह तआला ने अपनी ज़ात की तजल्ली पहाड़ पर डाली तो वह पहाड़ दब गया फट गया, रेज़ा-रेज़ा हो गया, इसी तरह कुरान मज़ीद के मुताल्लिक़ फ़रमाया:

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَهُ خَائِبًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ
यानि कलाम अल्लाह की भी वही कैफ़ियत और तासीर है जो कैफ़ियत व तासीर तजल्लिये ज़ाते इलाही की है। इसलिये कि कुरान अल्लाह का कलाम और अल्लाह की सिफ़त है। तो तजल्लिये सिफ़ात और तजल्लिये ज़ात में कोई फ़र्क नहीं।

अलबत्ता अल्लामा इक़बाल ने एक जगह इस बारे में ज़रा मुबालगा आराई से काम लिया। अल्लामा ने हुज़ूर ﷺ की मदद फ़रमाते हुए यह अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किये:

مُوسَى جَهْ هَوَش رَفَت بَيْك جَلَوَي سِيْفَات
तो ऐने ज़ात मी नगरी व तबस्समी!

अल्लामा हज़रत मुहम्मद ﷺ का हज़रत मूसा अलै० से तक्राबुल कर रहे हैं कि वह तो तजल्लिये सिफ़ात के बिलवास्ता नज़ारे ही से बेहोश होकर

गिर गये, लेकिन ऐ नबी ﷺ! आपने एने ज़ात का दीदार किया और तबस्सुम की कैफ़ियत में किया। इसमें दो ऐतबारात से मुग़ालता पाया जाता है। अक्वल तो वह तजल्ली, तजल्लिये सिफ़ात नहीं तजल्लिये ज़ात थी जो हज़रत मूसा अलै० की फ़रमाईश पर अल्लाह तआला ने पहाड़ पर डाली। जैसा कि कुरान मजीद में है: { فَلَمَّا تَخَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ } गोया यहाँ अल्लाह तआला के लिये यह लफ़ज़ इस्तेमाल हुआ है कि वह खुद मुतजल्ली हुआ। दूसरे यह कि यह ख्याल भी मुख्तलिफ़ फ़ेह है कि नबी अकरम ﷺ ने शबे मेराज में ज़ाते इलाही का मुशाहदा किया। अगरचे हमारे असलाफ़ में यह राय भी है कि आप ﷺ ने अल्लाह तआला को देखा है, लेकिन अकसर व बेशतर की राय इसके बरअक्स है, इसलिये कि वहाँ भी "आयात" का ज़िक्र है। जैसा कि सूरतुल नज्म (आयत:21) में आया: { لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى } इसमें कोई शक नहीं कि वह आयात, जो वहाँ हज़ूर नबी अकरम ﷺ ने देखीं, अल्लाह तआला की अज़ीम-तरीन आयात में से हैं।

"उस वक़्त बेरी पर छा रहा था जो कुछ कि
छा रहा था। निगाह ना चुन्धियाई और ना
हद से मुतजाविज़ हुई। और उसने अपने
रब की बड़ी-बड़ी निशानियाँ देखीं।"

إِذْ يَغْشَى السِّبْرَةَ مَا يَغْشَى ۚ 16 مَا رَأَى
الْبَصَرَ وَمَا طَعَى ۚ 17 لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ
رَبِّهِ الْكُبْرَى ۚ 18

अब उससे ज़्यादा बड़ी आयात और उससे ज़्यादा बड़ी तजल्लिये इलाही और कहाँ होगी? लेकिन दोनों ऐतबार से इस शेर में मुबालगा है। अलबत्ता इस आयते मुबारका के हवाले से अल्लामा के इस शेर

मिसले हक़ पिन्हाँ व हम पैदा सत ईं
ज़िन्दा व पाइन्दा व गोया सत ईं

में मेरे नज़दीक क़तअन कोई मुबालगा नहीं है। और इस आयत मुबारका के हवाले से वह बात कही जा सकती है जो अल्लामा इक़बाल ने इस शेर में कही है।

तौरात की गवाही

अब ज़रा कुरान मजीद के कलामुल्लाह होने के हवाले से एक और बात ज़हननशीन कर लीजिये। तौरात में किताबे इस्तस्ना या सफ़रे इस्तस्ना जो सुहुफ़े मूसा में से एक सहीफ़ा है, के अट्ठारहवें बाब में नबी अकरम ﷺ के लिये जो पेशनगोई बयान की गयी है उसमें अल्फ़ाज़ यहीं है कि:

"मैं उनके भाईयों में से उनके लिये तेरी मानिंद एक नबी बरपा करूँगा और उसके मुँह में अपना कलाम डालूँगा और वह उनसे वही कुछ कहेगा जो मैं उससे कहूँगा।"

मैंने यहाँ खास तौर पर उन अल्फ़ाज़ का हवाला दिया है कि "मैं उसके मुँह में अपना कलाम डालूँगा।" यहाँ एक तो लफ़ज़ कलाम आया है जैसे कि कुरान हकीम की इस आयत में आया { حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ } फिर "कलाम मुँह में डालना" के हवाले से कुरान मजीद में एक लफ़ज़ दो मर्तबा आया है, वह लफ़ज़ "कौल" है, यानी कुरान को कौल करार दिया गया है।

सूरतुल हाक्का में है:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۚ 40 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ۚ 41 وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۚ 42

और सूरतुल तकवीर में यह अल्फ़ाज़ वारिद हुए हैं:

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۚ 19 ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۚ 20 مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۚ 21 وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ۚ 22

और इसी सूरह में आगे चलकर आया:

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۚ 25

काबिले तवज्जोह अम्र यह है कि इन दो मकामात में से मौअक्खर अज़ज़िक्र के मुताल्लिक तकरीबन इजमाअ है कि यहाँ हज़रत जिब्राईल अलै० मुराद हैं। गोया कुरान को उनका क़ौल करार दिया गया। और सूरतुल हाक्का में इसे नबी ﷺ का क़ौल करार दिया जा रहा है। अब ज़ाहिर है यहाँ जिन चीजों की नफ़ी की जा रही है कि "यह किसी शायर का क़ौल नहीं" और "यह किसी काहिन का क़ौल नहीं" इनसे यकीनन रसूल करीम ﷺ मुराद हैं। यूँ समझिये कि अल्लाह का कलाम पहले हज़रत जिब्राईल अलै० पर नाज़िल हुआ। अगर मैं किताबे इस्तस्ना के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँ तो यहाँ "अल्लाह ने अपना कलाम उनके मुँह में डाला।" ताहम "उनके मुँह" का हम कोई तसव्वुर नहीं कर सकते, वह निहायत जलीलो क़द्र फ़रिश्ते हैं। बहरहाल क़ौल का लफ़्ज़ कुरान मजीद के लिये इस्तेमाल हुआ है जिससे ज़ाहिर है कि इब्तदाअन कलामे इलाही हज़रत जिब्रील अलै० के क़ौल की शकल में उतरा और फिर हज़रत जिब्रील अलै० के ज़रिये से हज़रत मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ के मुँह में डाला गया, और वहाँ से यह क़ौले मुहम्मद ﷺ की सूरत में लोगों के सामने आया, इसलिये कि यह आप ﷺ ही की ज़बाने मुबारक से अदा हुआ, लोगों ने उसे सिर्फ़ आप ही के ज़बाने मुबारक से सुना। गोया यह क़ौल, क़ौले शायर नहीं, यह क़ौले काहिन नहीं, यह क़ौले शैतान रजीम नहीं, बल्कि यह क़ौले रसूले करीम है और रसूले करीम अक्वलन मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ हैं, यह लोगों के सामने उनके क़ौल की हैसियत से आया है। फिर सनियन (दूसरे) यह हज़रत जिब्राईल अलै० का क़ौल है, इसलिये कि उन्होंने यह क़ौल हुज़ूर ﷺ को पहुँचाया। और इसको आख़िरी दर्जे तक पहुँचाने पर यह अल्लाह का कलाम है जिसके मुताल्लिक तौरात में अल्फ़ाज़ आये हैं कि "मैं उसके मुँह में अपना कलाम डालूँगा।"

लौहे महफूज़ और मुसहफ़ में मुताबक़त

कलाम होने के हवाले से तीसरी बात यह नोट कीजिये कि कलाम अल्लाह की सिफ़त है और अल्लाह की सिफ़ात क़दीम (प्राचीन) है। अल्लाह की ज़ात की तरह उसकी सिफ़ात का भी यही मामला है। ज़ाहिर है कि अल्लाह तआला मादूदियत (पदार्थवादी) और जिस्मानियत (भौतिक उपस्थिति) से मा वरा है। यही मामला अल्लाह की सिफ़ात का भी है चुनाँचे कलाम अल्लाह, जिसे हफ़्ते सूत की महदूदियत (परिसीमाओं) से आला व अरफ़ा ख़याल किया जाता है, उसे अल्लाह तआला ने इंसानों की हिदायत के लिये हरूफ़ व असवात का जामा (लिबास) पहनाया और सय्यदुल मुर्सलीन ﷺ के क़ल्बे मुबारक पर बतरीके तन्ज़ील नाज़िल फ़रमाया। यही कलाम लौहे महफूज़ में अल्लाह के पास मंदर्ज (लिखा हुआ महफूज़ है) है जिसे उम्मुल किताब या किताबे मकनून भी कहा गया है। हमारे पास मौजूद कुरान मजीद या मुसहफ़ की इबारत बैन ही (बिल्कुल) वही है जो लौहे महफूज़ या उम्मुल किताब में है, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी दस्तावेज़ की मस्टक़ह नक़ल (xerox copy) हो, जो बग़ैर किसी शोशे के फ़र्क़ के असल के मुताबिक़ हो। चुनाँचे सूरतुल बुरुज में फ़रमाया:

"यह कुरान निहायत बुजुर्ग व बरतर है بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ 21 فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ 22
और यह लौहे महफूज़ में है।"

इसी के मुताल्लिक सूरतुल वाक़िया में इर्शाद फ़रमाया गया:

"यह तो एक किताब है बड़ी करीम, बहुत إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ 77 فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ 78 لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ 79
बाइज़ज़त, और एक ऐसी किताब है जो
छुपी हुई है। जिसे छू ही नहीं सकते मगर
वही जो बहुत ही पाक कर दिए गए हैं।"

यानी मलाइका मुकर्रबीन, जिनके बारे में एक और मक़ाम पर फ़रमाया गया:

"यह ऐसे सहीफों में दर्ज है जो मुकरर्म हैं, ¹³ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ¹⁴ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ¹⁵ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ¹⁶
बुलंद मर्तबा है, पाकीज़ा है, मौअज्ज़ज़
और नेक कातिबों के हाथों में रहते हैं।"

(सूरह अ'बसा)

दर हकीकत यह किताब मकनून उन फरिशतों के पास है, वह तुम्हारी रसाई (पहुँच) से बईद व मा वरा (बहुत दूर) है।

यही बात सूरतुल जुखरफ में कही गयी है:

"यह तो दर हकीकत असल किताब में ^{وَإِنَّ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَنَبِيًّا لَعَلِّيَّ حَكِيمٌ}
हमारे पास महफूज़ है, बड़ी बुलंद मर्तबा
और हिकमत से लबरेज़ (भरी हुई है)।"

(आयत:4)

अम का लफ़्ज़ जड़ और बुनियाद के लिये आता है। इसलिये माँ के लिये भी अरबी में लफ़्ज़ "अम" इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसी के बतन से औलाद की विलादत होती है, वह गोया कि बमंज़िले असास है। चुनाँचे इस किताब की असल असास लौहे महफूज़ में है, किताबे मकनून में है। मज़ीद वज़ाहत कर दी गई कि "لَنَبِيًّا" यानि वह उम्मुल किताब जो हमारे पास है, उसमें यह कुरान दर्ज है। "لَعَلِّيَّ حَكِيمٌ" इस कुरान की सिफात यह है कि वह बहुत बुलंद व बाला और हिकमत वाला है, मुस्तहकम है। वह अल्लाह का कलाम और निहायत महफूज़ किताब है। इसे लौहे महफूज़ कहें, किताबे मकनून कहें या उम्मुल किताब कहें, असल कलाम वहाँ है--- उसी आलम-ए-ग़ैब में, उसी आलम-ए-अम में--- जिसे सिवाये उन पाक-बाज़ फ़रिशतों के जिनकी

रसाई लौहे महफूज़ तक हो, कोई मस्स (छू) नहीं कर सकता, यानि इस लौहे महफूज़ के मज़ामीन पर मुत्तेलह नहीं हो सकता। अलबत्ता अल्लाह तआला ने इंसानों की हिदायत के लिये मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ पर अपने इस कलाम की तन्ज़ील फ़रमाई और इसकी इबारत को ता-क़यामे क़यामत तक मुसाहफ़ में महफूज़ फ़रमा दिया और नापाक हाथों से छूने पर मना फ़रमा दिया।

कलामे इलाही की तीन सूरतें

जब मैंने अर्ज़ किया कि कुरान अल्लाह का कलाम है तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तआला इंसान से किस तरह हमकलाम होता है! कुरान मज़ीद में इसकी तीन शकलें बयान हुई हैं।

"किसी बशर का यह मक़ाम नहीं है कि ^{وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وُحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِهِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ. إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ}
अल्लाह उससे रू-ब-रू बात करे। उसकी
बात या तो वही (इशारे) के तौर पर होती
है, या पर्दे के पीछे से, या फिर वह कोई
पैग़म्बर (फ़रिशता) भेजता है और वह
उसके हुक्म से जो कुछ वह चाहता है वही
करता है। यकीनन वह बरतर और साहिबे
हिकमत है।"

(सूरतुल शौरा)

नोट करने की बात यह है कि यह नहीं फ़रमाया कि अल्लाह के लिये यह मुमकिन नहीं है, अल्लाह तो हर शय पर कादिर है, वह जो चाहता है कर

सकता है, अल्लाह की कुदरत से कोई चीज़ बईद (दूर) नहीं है, बल्कि कहा कि इंसान का यह मक़ाम नहीं है कि अल्लाह उससे बराहे रास्त कलाम करे, किसी बशर का यह मर्तबा नहीं है कि अल्लाह उससे कलाम करे, सिवाये तीन सूरतों के, या तो वही यानि मख़फ़ी इशारे के ज़रिये से, या पर्दे के पीछे से, या वह किसी रसूल (रसूले मलक) को भेजता है जो वही करता है अल्लाह के हुक़म से जो अल्लाह चाहता है।

अब कलामे इलाही की मज़क़ूरा तीन शक़लें हमारे सामने आई हैं। इनमें से दो के लिये लफ़ज़ वही आया है। दरमियान में एक शक़ल "مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ" बयान हुई है। इसका तज़करा सूरतुल आराफ़ की आयत 143 के ज़ेल में हो चुका है। और यह तो अम्र वाक़िया है ही कि हज़रत मूसा अलै० से अल्लाह तआला ने मुताददिद (कई) मौक़ों पर इस सूरत में कलाम फ़रमाया।

पहली मर्तबा हज़रत मूसा अलै० जब आग की तलाश में कोहे तूर पर पहुँचे तो वहाँ मुखातबा हुआ। यह मुखातबा और मुकालमा-ए-इलाही (बात-चीत) हज़रत मूसा अलै० के साथ "مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ" हुआ था, इसी लिये तो वह आतिशे शौक़ भड़की थी कि:

क्या क़यामत है कि चिलमन से लगे बैठे हैं

साफ़ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं!

ज़ाहिर है कि जब हम कलाम होने का शर्फ़ हासिल हो रहा है तो एक क़दम और बाक़ी है कि मुझे दीदार भी अता हो जाए, लेकिन यह मुखातबा مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ था। नबी अकरम ﷺ से यही मुखातबा शबे मेराज में पर्दे के पीछे से हुआ। बाज़ हज़रात की राय है कि हुज़ूर ﷺ को अल्लाह तआला (यानि ज़ाते इलाही) का दीदार हासिल हुआ, लेकिन मेरी राय सलफ़ में से उन हज़रात के साथ है जो इसके कायल नहीं हैं। उनमें हज़रत आयशा सिद्दीका

(रज़ि०) बड़ी अहमियत कि हामिल हैं, उन्होंने हुज़ूर ﷺ से लाज़िमन इन चीज़ों के बारे में इस्तफ़सार किया (पूछा) होगा, चुनाँचे उनकी बात के मुताल्लिक़ तो हम यकीन के दर्जे में कह सकते हैं कि वह मुहम्मद रसूल ﷺ से मरफ़ूअ है। हज़रत आयशा (रज़ि०) बयान करती हैं कि "نُورٌ آتَى" यानि अल्लाह तो नूर है, उसे कैसे देखा जा सकता है? (मुस्लिम, किताबुल ईमान, अन अबु ज़र (रज़ि०) नूर तो दूसरी चीज़ों को देखने का ज़रिया बनता है, नूर खुद कैसे देखा जा सकता है! बहरहाल मेरी राय यह कि यह गुफ़्तगू भी مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ थी। वह वराये हिजाब (पर्दे के पीछे से) गुफ़्तगू जो हज़रत मूसा अलै० को कोहे तूर पर मकालमा व मुखातबा में नसीब हुई, उस वराये हिजाब मुलाक़ात और गुफ़्तगू (बात-चीत) से अल्लाह तआला ने मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ को शबे मेराज में "عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُتَهَيِّ" मुशरफ़ फ़रमाया।

अलबत्ता वही बराहे रास्त भी है, यानि बग़ैर फ़रिशते के वास्ते के। दूसरी किस्म की वही फ़रिशते के ज़रिये से है और कुरान मजीद से जिस बात की तरफ़ ज़्यादा रहनुमाई मिलती है वह यह है कि कुरान वही है बवास्ता "मलक"। जैसे कुरान मजीद में है:

"إِنزِلْ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ... عَلَى قَلْبِكَ...
उतरा है..." (अल् शूराअ:194)

और

"پس इसे जिब्रील ने ही आपके क़ल्ब पर
नाज़िल किया।" (अल् बकरह:97)

فَأَنزَلْنَا الرُّوحَ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ

अलबत्ता फ़रिशते के बग़ैर वही, यानि दिल में किसी बात का अल्लाह तआला की तरफ़ से बराहे रास्त (सीधा) डाल दिया जाना, यानि "इल्हाम"

का जिक्र भी हुजूर ﷺ ने किया है और इसके लिये हदीस में "كُفَّتْ فِي الرُّوعِ" के अल्फ़ाज़ भी आये हैं। यानि किसी ने दिल में कोई बात डाल दी, किसी ने फूँक मार दी बग़ैर इसके कि कोई आवाज़ सुनने में आई हो। एक कैफ़ियत सिलसिलातुल जर्स की भी थी। हुजूर ﷺ को घंटियों की सी आवाज़ आती थी और उसके बाद हुजूर ﷺ के क़ल्बे मुबारक पर वही नाज़िल हो जाती थी।

बहरहाल यकीन के साथ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा गुमाने ग़ालिब है कि दूसरी किस्म की वही (बज़रिये फ़रिश्ता) पर पूरे का पूरा कुरान मुश्तमिल है। और वही बराहे रास्त यानि "اللقاء" तो दर हकीकत वही ख़फी है, जिसकी वज़ाहत अंग्रेज़ी के दो अल्फ़ाज़ के दरमियान फ़र्क से बख़ूबी हो जाती है। एक लफ़ज़ है inspiration और दूसरा revelation, जिसके साथ एक और लफ़ज़ verbal revelation भी अहम है। Inspiration में एक मफ़हूम, एक ख़याल या तसव्वुर इंसान के ज़हन व क़ल्ब में आ जाता है, जबकि revelation बाक़ायदा किसी चीज़ के किसी पर reveal किये जाने को कहते हैं। और इसमें भी ईसाईयों के यहाँ एक बड़ी साजिश चल रही है। वह revelation को मानते हैं लेकिन verbal revelation को नहीं मानते, बल्कि उनके नज़दीक सिर्फ़ मफ़हूम ही अम्बिया के कुलूब पर नाज़िल किया जाता था, जिसे वह अपने अल्फ़ाज़ में अदा करते थे। जबकि हमारे यहाँ इस बारे में मुस्तक़िल इज़माई (हमेशा से पूरी उम्मत का) अक़ीदा है कि यह अल्लाह का कलाम है जो मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ पर नाज़िल हुआ। यह लफ़ज़न भी वही है और मायनन भी, लफ़ज़न भी अल्लाह का कलाम है और मायनन भी, यानि यह verbal revelation है।

इस ज़िम्न (बारे) में एक दिलचस्प वाक़िया लाहौर ही में ग़ालिबन एफ० सी० कॉलेज के प्रिंसिपल और अल्लामा इक़बाल के दरमियान पेश

आया था। वह दोनों किसी दावत में इकट्ठे थे कि उन साहब ने हज़रते अल्लामा से कहा कि मैंने सुना है कि आप भी verbal revelation के कायल हैं! इस पर अल्लामा ने उस वक़्त जो जवाब दिया वह उनकी ज़हानत पर दलालत करता (सबूत देता) है। उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं verbal revelation को न सिर्फ़ मानता हूँ, बल्कि मुझे तो इसका ज़ाति तजुर्बा हासिल है। चुनाँचे खुद मुझ पर जब शेर नाज़िल होते हैं तो वह अल्फ़ाज़ के जामे में ढले हुए आते हैं, मैं कोई लफ़ज़ बदलना चाहूँ तो भी नहीं बदल सकता, मालूम होता है कि वह मेरी अपनी तख़लीक नहीं है बल्कि मुझ पर नाज़िल किये जाते हैं। तो यह दर हकीकत किसी को जवाब देने का वह अंदाज़ है जिसको अरबी में "الاجوبه المسكتة" यानि चुप करा देने वाला जवाब कहा जाता है। यह वह जवाब है जिसके बाद फ़रीक़ सानी के लिये किसी कैल व क़ाल का मौक़ा ही नहीं रहता।

बहरहाल कलामे इलाही वाक़िअतन verbal revelation है जिसने अक्वलन कौले जिब्रील की शक़ल इख़्तियार की। हज़रत जिब्रील अलै० के जरिये कौल की शक़ल में नाज़िल हुआ। और फिर ज़बाने मुहम्मदी ﷺ की शक़ल में अदा हुआ। तो यह दर हकीकत revelation है, inspiration नहीं, और महज़ revelation भी नहीं बल्कि verbal revelation है, यानि मायने, मफ़हूम और अल्फ़ाज़ सबके सब अल्लाह तआला की तरफ़ से हैं और यह बहैसियत-ए-मजमूई (पूरे का पूरा) अल्लाह का कलाम है।

(2) कुरान का रसूल अल्लाह ﷺ पर नुज़ूल

कुरान मजीद के मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ पर नुज़ूल के ज़िम्न (बारे) में भी चन्द बातें नोट कर लें। पहली बहस तो "नुज़ूल" की लग़वी बहस से मुताल्लिक़ है। यह लफ़ज़ نَزَلَ، نَزِّلُ सलासी मुजर्रद में भी आता है। तब यह

एक ही बार मुकम्मल पूरे तौर पर नाज़िल होने के बाद वहाँ से तदरीजन और थोड़ा-थोड़ा करके मुहम्मद रसूल ﷺ पर नाज़िल हुआ। लिहाज़ा हुज़ूर ﷺ पर नुज़ूल के लिये अकसर व बेशतर लफ़ज़ तन्ज़ील इस्तेमाल हुआ है।

लफ़ज़ तन्ज़ील के (ज़िम्न) बारे में सूरतुल निशा की आयत 136 निहायत अहम है। इर्शाद हुआ:

"ऐ ईमान वालो! ईमान लाओ (जैसा कि ईमान लाने का हक़ है) अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस किताब पर भी जो उसने अपने रसूल ﷺ पर नाज़िल फ़रमाई और उस किताब पर भी जो उसने पहले नाज़िल की।"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ
الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن
قَبْلِ

तौरात तख़्तियों पर लिखी हुई, मकतूब शकल में हज़रत मूसा अलै० को दी गई थी। वह चूँकि दफ़तन और जुमलतन वाहिदतन (एक बार में पूरी) दे दी गई, इसलिये इसके लिये लफ़ज़ इन्ज़ाल आया है, जबकि कुरान थोड़ा-थोड़ा करके बाइस-तेईस बरस में नाज़िल हुआ। लिहाज़ा इसी के ज़िम्न में लफ़ज़ "नज़ज़ला" इस्तमाल हुआ। चुनाँचे ऊपर वाली आयत है "तन्ज़ील" और "इन्ज़ाल" एक-दूसरे के बिल्कुल मुकाबले में आये हैं। गोया यहाँ "تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَصْنَافِهَا" (चीज़ें अपनी अज़दाद से पहचानी जाती हैं) का उसूल दुरुस्त बैठता है।

हिकमते तन्ज़ील

अब हम यह जानने कि कोशिश करते हैं कि तन्ज़ील की हिकमत क्या है? यह थोड़ा-थोड़ा करके क्यों नाज़िल किया गया और एक ही बार क्यों ना नाज़िल कर दिया गया? कुरान मजीद में इसकी दो हिकमतें बयान हुई हैं।

एक तो यह कि लोग शायद इसका तहम्मूल (बरदाशत) ना कर सकते। चुनाँचे लोगों के तहम्मूल की खातिर थोड़ा-थोड़ा करके नाज़िल किया गया ताकि वह इसको अच्छी तरह समझें, इस पर गौर करें और इसे हरज़े जान बनाएँ और इसी के मुताबिक़ उनके ज़हन व फ़िक्र की सतह बुलंद हो। यह हिकमत सूरह बनी इस्राइल की आयत 106 में बयान की गई है:

"और हमने कुरान को टुकड़ों-टुकड़ों में मुन्कसिम कर दिया ताकि आप थोड़ा-थोड़ा करके और वक्फे-वक्फे से लोगों को सुनाते रहें और हमने इसे बतदरीज उतारा।"

وَقَرَأْنَا لَهُ آيَاتِنَا فَتَوَلَّىٰ عَلَيْنَا يَتَّبِعِ النَّاسُ لَلْأُولَىٰ
فَأَوْفَىٰ بَوَعْدِنَا إِلَىٰ يَوْمِ الْوَعْدِ فَسُيِّرْنَا
بِالْبُرْجِ وَنَزَّلْنَاهُ نَزْزِيلًا ۝ ١٠٦

इस हिकमत को समझने के लिये बारिश की मिसाल मुलाहिज़ा कीजिये। बारिश अगर एकदम बहुत मूसलाधार हो तो उसमें वह बरकात नहीं होती जो थोड़ी-थोड़ी और तदरीजन होने वाली बारिश में होती है। बारिश अगर तदरीजन हो तो ज़मीन के अंदर जज़ब होती चली जायेगी, लेकिन अगर मूसलाधार बारिश हो रही हो तो उसका अकसर व बेशतर हिस्सा बहता चला जायेगा। यही मामला कुरान मजीद के इन्ज़ाल व तन्ज़ील का है। इसमें लोगों की मसलहत है कि कुरान उनके फ़हम में, उनके बातिन में, उनकी शख़्सियतों में तदरीजन सरायत करता चला जाये। सरायत के हवाले से मुझे फिर अल्लामा इक़बाल का शेर याद आया है:

चूँ बजाँ दर रफ़त जाँ दीगर शूद

जान चूँ दीगर शद जहाँ दीगर शूद!

"(यह कुरान) जब किसी के बातिन में सराहत कर जाता है तो उसके अंदर एक इन्कलाब बरपा हो जाता है, और जब किसी के अंदर की दुनिया बदल जाती है तो उसके लिये पूरी दुनिया ही इन्कलाब की ज़द में आ जाती है!"

तो जब यह कुरान किसी के अंदर इस तरह उतर जाता है जैसे बारिश का पानी ज़मीन में ज़ब होता है तो उसकी शख़िसयत में सराहत कर जाता है और उसके सराहत करने के लिये उसका तदरीजन थोड़ा-थोड़ा नाज़िल किया जाना ही हिकमत पर बनी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात सूरतुल फुरक़ान में कही गयी है, इसलिये कि वहाँ कुफ़ारे मक्का बिल् खुसूस सरदाराने कुरैश का बाकायदा एक ऐतराज़ नक़ल हुआ है। फ़रमाया:

"मुन्करीन कहते हैं: इस शख्स पर सारा कुरान एक ही वक़्त में क्यों न उतार दिया गया? हाँ ऐसा इसलिये किया गया है कि इसको हम अच्छी तरह आप (ﷺ) के ज़हेननशीन करते रहें और इसको हमने बगरज़े तरतील थोड़ा-थोड़ा करके उतारा है। और (इसमें यह मस्लिहत भी है कि) जब कभी वह आपके सामने कोई निराली बात (या अजीब सवाल) लेकर आये, उसका ठीक जवाब बर वक़्त हमने आपको दे दिया और बेहतरीन तरीके से बात खोल दी।"

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً
وَاحِدَةً ۖ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ
تَرْتِيلًا ۚ 32 وَلَا يَأْتُوكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ
بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۚ 33

ऐतराज़ यह था कि यह पूरा कुरान एकदम, एक बारगी क्यों नहीं नाज़िल दर दिया गया? इस ऐतराज़ में जो वज़न था, पहले इसको समझ लिये। उन्होंने जो बात की दर हकीकत उससे मुराद यह थी कि जैसे हमारा एक शायर दफ़तन पूरा दीवान लोगों को फ़राहम नहीं कर देता, बल्कि वह एक ग़ज़ल कहता है, कसीदा कहता है, फिर मज़ीद मेहनत करता है, फिर कुछ और तबा आज़माई करता है, फिर कुछ और कहता है, इस तरह तदरीजन दीवान बन जाता है, इसी तरीके से मुहम्मद (ﷺ) कर रहे हैं। अगर यह अल्लाह का कलाम होता तो पूरा का पूरा एकदम नाज़िल हो सकता था। यह तो दर हकीकत इंसान की कैफ़ियत है कि पूरी किताब दफ़तन produce नहीं कर देता। पूरा दीवान तो किसी शायर ने एक दिन के अंदर नहीं कहा बल्कि उसे वक़्त लगता है, वह मुसलसल मेहनत करता है, कुछ तकल्लुफ़ भी करता है, कभी आमद भी हो जाती है, लेकिन वह कलाम दीवान की शक़ल में तदरीजन मदव्वन होता है। तो यह तो इसी तरह की चीज़ है।

"क्यों नहीं यह कुरान इस पर एकदम नाज़िल हो गया?"

لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۖ

अब इसका जवाब दिया गया:

"यह इसलिये किया है ताकि ऐ नबी ﷺ हम इसके ज़रिये से आपके दिल को तस्बीत (जमाव) अता करें।"

كَذَلِكَ ۖ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ

यानि वह बात जो आम इंसानों की मस्लिहत में है वह खुद मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ के लिये भी मस्लिहत पर मब्नी है कि आपके लिये भी

शायद कुरान मजीद का एकबारगी तहम्मूल करना मुश्किल हो जाता। सूरतुल हश्र के आखिरी रूक में यह अल्फाज़ वारिद हुए हैं:

"अगर हम पूरे के पूरे कुरान को दफ़तन किसी पहाड़ पर नाज़िल कर देते तो तुम देखते कि वह अल्लाह के खौफ से दब जाता और फट जाता।" (आयत:21)

(नोट कीजिये कि यहाँ लफ़ज़ "इन्ज़ाल" आया है)। मालूम हुआ कि कल्बे मुहम्मदी ﷺ को जमाव और ठहराव अता करने के लिये इसे बतदरीज नाज़िल किया गया है:

"और हमने इसको बगरज़े तरतील थोड़ा-थोड़ा करके उतारा है।" وَرَكَّلَهُ تَرْتِيلاً

"रतल" छोटे पैमाने को, छोटे-छोटे टुकड़े करने को कहते हैं।

अगली आयत में जो इर्शाद हुआ उसके दोनों मफ़हूम हो सकते हैं। एक यह कि ऐ नबी! जो ऐतराज़ भी यह हम पर करेंगे हम उसका बेहतरीन जवाब आपको अता कर देंगे। लेकिन दूसरा मफ़हूम यह भी है कि यह एक मुसलसल कशाकश है जो आपके और मुश्रीकीने अरब के दरमियान चल रही है। आज वह एक बात कहते हैं, अगर उसी वक़्त उसका जवाब दिया जाये तो वह दर हकीकत आपकी दावत के लिये मौजूं हैं। अगर यह सारे का सारा कलामे इलाही एक ही मर्तबा नाज़िल हो जाता तो हालात के साथ उसकी मुताबिक़त और उनकी तरफ़ से पेश होने वाले ऐतराज़ात का बर वक़्त जवाब न होता और इसके अंदर जो असर अंदाज़ होने की कैफ़ियत है वह हासिल न होती। इस तदरीज में अपनी जगह मौजूनियत है और उसकी अपनी तासीर है। इस ऐतबार से कुरान मजीद को तदरीजन नाज़िल किया गया।

कुरान करीम का ज़माना-ए-नुज़ूल और अर्ज़े नुज़ूल

रसूल अल्लाह ﷺ पर कुरान करीम के नुज़ूल के ज़िम्न में अब दो छोटी-छोटी चीज़ें और नोट कर लीजिये। यह सिर्फ़ मालूमात के ज़िम्न में हैं। इसका ज़माना नुज़ूल क्या है? हम जिस हिसाब (सन् ईसवी) से बात करने के आदी हैं, उसी हिसाब से हमारे ज़हन का सुगरा-कबरा बना हुआ है। इस ऐतबार से नोट कर लीजिये कि कुरान हकीम का ज़माना-ए-नुज़ूल 610 ई० से 632 ई० तक 22 बरस पर मुश्तमिल है। कमरी हिसाब से यह 23 बरस बनेंगे। 40 आमूल फ़ील से शुरू करें तो 12 साल क़ब्ले हिजरत और 11 हिजरी साल मिलकर 23 साल कमरी बनेंगे। जिनके दौरान यह कुरान बतर्ज़े तन्ज़ील थोड़ा-थोड़ा करके नाज़िल हुआ। सही हदीसों में यह शहादत मौजूद है कि पहले सूरह अलक़ की पाँच आयतें नाज़िल हुईं, फिर तीन साल का वक़फ़ा आया। सूरह अलक़ की यह पाँच आयत भी चूँकि कुरान मजीद का हिस्सा हैं, लिहाज़ा सही क़ौल यही है कि कुरान हकीम का ज़माना-ए-नुज़ूल 23 कमरी या 22 शम्सी साल है।

अब यह कि नुज़ूल की जगह कौनसी है? इस ज़िम्न में सिर्फ़ एक लफ़ज़ नोट कर लीजिये कि तकरीबन पूरे का पूरा कुरान "हिजाज़" में नाज़िल हुआ। इसलिये कि अगाज़े वही के बाद हुज़ूर अकरम ﷺ का कोई सफ़र हिजाज़ से बाहर साबित नहीं है। अगाज़े वही से क़बल आप ﷺ ने मुताददद सफ़र किये हैं। आप ﷺ शाम का सफ़र करते थे, यकीनन यमन भी आप ﷺ जाते होंगे। इसलिये कि अल्फाज़े कुरानी "رَحْلَةُ الشَّيْبَانِ وَالصَّيْفِ" की रू से कुरेश के सालाना दो सफ़र होते थे। गर्मियों के मौसम में शिमाल की तरफ़ जाते थे, इसलिये कि फ़लस्तीन का इलाक़ा निस्बतन ठंडा है, और सर्दियों के मौसम में वह जुनूब की तरफ़ (यमन) जाते थे, इसलिये कि वह गर्म इलाक़ा है। तो हुज़ूर अकरम ﷺ ने भी तिजारती सफ़र किये हैं। बाज़ मुहक्कीन ने

तो यह इम्कान भी ज़ाहिर किया है कि आप ﷺ ने उस ज़माने में कोई बेहरी सफ़र भी किया और ग़ल्फ़ को उबूर करके मकरान के साहिल पर किसी जगह आप ﷺ तशरीफ़ लाये। (वल्लाहु आलम!) यह बात मैंने डाक्टर हमीदुल्लाह साहब के एक लेक्चर में सुनी थी जो उन्होंने हैदराबाद (सिन्ध) में दिया था, लेकिन बाद में इस पर जिरह हुई कि यह बहुत ही कमज़ोर कौल है और इसके लिये कोई सनद मौजूद नहीं है। अलबत्ता "अल् खबर" जहाँ आज आबाद है वहाँ पर तो हर साल एक बहुत बड़ा तिजारती मेला लगता था और हुज़ूर ﷺ का वहाँ तक आना साबित है। बहरहाल आपको मालूम है कि हुज़ूर ﷺ आगाज़े वही के बाद दस साल तक तो मक्का मुकर्रमा में रहे, इसके बाद ताईफ़ का सफ़र किया है। फिर आस-पास "अकाज़" का मेला लगता था और मंडियाँ लगती थीं, उनमें आपने सफ़र किये हैं। फिर आप ﷺ ने मदीना मुनव्वरा हिजरत फ़रमाई। इसके बाद सब जंगें हिजाज़ के इलाक़े ही में हुईं, सिवाये ग़जव-ए-तबूक के। लेकिन तबूक भी असल में हिजाज़ ही का शिमाली सिरा है, इस ऐतबार से हिजाज़ ही का इलाक़ा है जिसमें कुरान करीम नाज़िल हुआ था। ताहम दो आयतें इस ऐतबार से मुस्तसना करार दी जा सकती हैं कि वह ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर नाज़िल हुई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि०) से सही मुस्लिम में रिवायत मौजूद है कि शबे मेराज में अल्लाह तआला ने आप ﷺ को जो तीन तोहफ़े अता किये उनमें नमाज़ की फ़र्जियत और दो आयाते कुरानी शामिल हैं। यह सूरतुल बकरह की आखिरी दो आयात हैं जो अर्थ के दो खजाने हैं जो मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ को शबे मेराज में अता हुए। तो यह दो आयतें मुस्तसना हैं कि यह ज़मीन पर नाज़िल नहीं हुई बल्कि आप ﷺ को सिद्रतुल मुन्तहा पर दी गयीं और खुद आप ﷺ सातवें आसमान पर

थे, जबकि बाक़ी पूरा कुरान आसमान से ज़मीन पर नाज़िल हुआ है। जियोग्राफ़ियाई ऐतबार से हिजाज़ का इलाक़ा महबत वही है।

(3) कुरान हकीम की महफूजियत

मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान के बारे में तीन बुनियादी और ऐतकादी (विश्वासी) चीज़ें हैं: अक्वल, यह अल्लाह का कलाम है दूसरा, यह मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ पर नाज़िल हुआ। तीसरा, यह मन व अन कुल का कुल महफूज़ है। इसमें ना कोई कमी हुई है ना कोई बेशी हुई है। ना कमी हो सकती है ना बेशी हो सकती है। ना कोई तहरीफ़ हुई है न कोई तब्दीली। यह गोया हमारे अक़ीदे (विश्वास) का जुज़वे ला यन्फक (वह हिस्सा जो कभी छोड़ा नहीं जा सकता) है। इसमें कुछ इश्तबा (शक) अहले तशय्यो (शिया लोगों) ने पैदा किया है, लेकिन उनकी बात भी मैं कुछ यकीन के साथ इसलिये नहीं कह सकता कि उनका यह कौल भी सामने आता है कि "हम इस कुरान को महफूज़ मानते हैं।" अलबत्ता अवाम में जो चीज़ें मशहूर हैं कि कुरान से फ़लाह आयात निकाल दी गईं, फ़लाह सूरत हज़रत अली (रज़ि०) की मदह या शान में थीं, वह इसमें से निकाल दी गईं वगैरह, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता कि यह उनमें से अवाम का ला नाम की बातें हैं या उनके ऐताकादात (विश्वास) में शामिल हैं। लेकिन यह कि बहरहाल अहले सुन्नत का इज्माई अक़ीदा (पूरी उम्मत इस पर सहमत) है कि यह कुरान हकीम महफूज़ है और कुल का कुल मन व अन हमारे सामने मौजूद है। इसके लिये खुद कुरान मजीद से जो गवाही मिलती है वह सबसे ज़्यादा नुमायां (साफ़) होकर सूरतुल क्रियामा में आई है। फ़रमाया:

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتُحْجَلَ بِهِ ۚ ۱۶ اِنْ عَلَيْنَا جُمُعَةٌ وَفَرَّانَهُ ۚ ۱۷

रसूल अल्लाह ﷺ को अल्लाह तआला ने अज़राहे शफ़कत (प्यार से) फ़रमाया: "आप इस कुरान को याद करने के लिये अपनी ज़बान को तेजी से हरकत न दें। इसको याद करवा देना और पढ़वा देना हमारे ज़िम्मे है।" आप ﷺ मुशक्कत (तकलीफ) न झेलें, यह ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम इसे आप ﷺ के सीने मुबारक के अंदर जमा कर देंगे और इसकी तरतीब कायम कर देंगे, इसको पढ़वा देंगे। जिस तरतीब से यह नाज़िल हो रहा है उसकी ज़्यादा फ़िक्र न कीजिये। असल तरतीब जिसमें इसका मुरतबब किया जाना हमारे पेश नज़र है, जो तरतीब लौहे महफूज़ की है उसी तरतीब से हम पढ़वा देंगे। {ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِهِ} फिर अगर आपको किसी चीज़ में इब्हाम महसूस हो और वज़ाहत (समझाने) की ज़रूरत हो तो इसकी तौज़ीह और तद्वीन भी हमारे ज़िम्मे है।

यह सारी ज़िम्मेदारी अल्लाह तआला ने खुद अपने ऊपर ली है। अगर इन आयात को कोई शख्स कुरान मजीद की आयात मानता है तो उसको मानना पड़ेगा कि कुरान मजीद पूरे का पूरा जमा है, इसका कोई हिस्सा ज़ाया नहीं हुआ। सराहत के साथ यह बात सूरह अल् हिज़्र की आयत 9 में मज़कूर है। फरमाया:

"हमने ही इस 'अल् ज़िक्र' को नाज़िल किया है और हम ही इसकी हिफ़ाज़त करने वाले हैं।"

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

यह गोया हमेशा-हमेश के लिये अल्लाह तआला की तरफ़ से गारंटी है कि हमने इसे नाज़िल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। इस हकीकत को अल्लामा इक़बाल ने ख़ूबसूरत शेर में बयान किया है:

हर्फ़ ऊ रा रैब ने, तब्दील ने
आय इश शर्मिदा तावील ने

"इसके अल्फ़ाज़ में ना किसी शक व शुबह का शायबा है न रद्दो-बदल की गुंजाईश। और इसकी आयत किसी तावील की मोहताज़ नहीं।"

इस शेर में तीन ऐतबारात से नफी की गई है: (1) कुरान के हुरूफ़ में यानि इसके मतन में कोई शक व शुबह की गुंजाईश नहीं। यह मिन व अन महफूज़ है। (2) इसमें कहीं कोई तहरीफ़ (परिवर्तन) हुई हो, कहीं तब्दीली की गयी हो, क़तअन ऐसा नहीं। (3) क्या इसकी आयात की उलट-पुलट तावील भी की जा सकती है? नहीं! यह आख़िरी बात बज़ाहिर बहुत बड़ा दावा मालूम होता है, इसलिये कि तावील के ऐतबार से कुरान मजीद के मायने में लोगों ने तहरीफ़ की, लेकिन वाक़्या यह है कि कुरान मजीद में अगर कहीं माअन्वी तहरीफ़ की कोशिश भी हुई है तो वह क़तअन दर्जा-ए-इस्तनाद को नहीं पहुँच सकी, उसे कभी भी इस्तक़लाल और दवाम हासिल नहीं हो सका, कुरान ने खुद उसको रद्द कर दिया। जिस तरह दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है, ऐसी ही तावीलात भी उम्मत की तारीख़ के दौरान कहीं भी जड़ नहीं पकड़ सकी है और इसी तरह निकाल दी गई हैं। इस बात की सनद भी कुरान में मौजूद है। सूरह हा मीम सजदा की आयत 42 में है:

"बातिल इस (कुरान) पर हमलावर नहीं हो सकता, ना सामने से ना पीछे से, यह एक हकीम व हमीद की नाज़िल करदा चीज़ है।"

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

यह बात सिरे से खारिज अज़ इम्कान (मुमकिन ही नहीं) है कि इस कुरान में कोई तहरीफ़ (परिवर्तन) हो जाये, इसका कोई हिस्सा निकाल दिया जाये, इसमें कोई ग़ैर कुरान शामिल कर दिया जाये। सूरतुल हाक्का

की यह आयात मुलाहिजा कीजिये जहाँ गोया इस इम्कान की नफी में मुबालगे का अंदाज़ है:

“(कोई और तो इसमें इजाफा क्या करेगा) अगर यह (हमारे नबी मुहम्मद ﷺ) खुद भी (बफर्जे महाल) अपनी तरफ से कुछ गढ़ कर इसमें शामिल कर दें तो हम इन्हें दाहिने हाथ से पकड़ेंगे और इनकी शह रग काट देंगे। फिर तुम में से कोई (बड़े से बड़ा मुहाफिज़ व मददगार) नहीं होगा कि जो उन्हें हमारी पकड़ से बचा सके।”

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ 44 ۞ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ 45 ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ 46 ۞ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ 47 ۞

यहाँ तो मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ के लिये भी इस शिद्दत के साथ नफी कर दी गयी है। कुफ्रारे मुश्रिकीन की तरफ से मुतालबा किया जाता था कि आप इस कुरान में कुछ नरमी और लचक दिखायें यह तो बहुत rigid है, बहुत ही uncompromising है, बहरहाल दुनिया में मामलात “कुछ लो कुछ दो” (give and take) से तय होते हैं, लिहाजा कुछ आप नरम पड़ें कुछ हम नरम पड़ते हैं। इसके बारे में फ़रमाया: (अल् क़लम, आयत:9)

“वह तो चाहते हैं कि आप कुछ ढीले हो जायें तो यह भी ढीले हो जायेंगे।”

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

और सूरह यूनस में इर्शाद हुआ:

“जब उन्हें हमारी आयाते बय्यिनात सुनाई जाती हैं तो वह लोग जो हमसे मिलने की तवक्को नहीं रखते, कहते हैं कि इस कुरान के बजाये कोई और कुरान लायें या इसमें कुछ तरमीम कीजिये। (ऐ

وَإِذَا تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا نَبَّئْتُ ۞ قَالَ الَّذِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتَ بَقْرَانٌ غَيْرٌ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي ۚ إِنْ أَنْتَبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۚ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ 15 ۞

नबी!इन्से) कह दीजिए मेरे लिये हर्गिज़ मुमकिन नहीं है कि मैं अपने ख्याल और इरादे से इसके अंदर कुछ तब्दीली कर सकूँ। मैं तो खुद पाबंद हूँ उसका जो मुझ पर वही किया जाता है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूँ तो मुझे एक बड़े हौलनाक दिन के अज़ाब का डर है।”

यह है कुरान मजीद की शान कि यह लफ़्जन, मायनन, मतनन कुल्ली तौर पर (हर तरह से) महफूज़ है।

□ □ □

बाब दोम (दूसरा)

चन्द मुतफरिक् मुबाहिस

कुरान मजीद की ज़बान

अब आईये अगली बहस की तरफ़ कि कुरान मजीद की ज़बान क्या है और इस ज़बान की शान क्या है। यह बात भी कुरान मजीद ने बहुत तकरार और इआदह (दोहराना) के साथ बयान की है कि यह कुरान अरबी मुबीन में है, यानि सस्ता, साफ़, सलीस, खुली और वाज़ेह अरबी में है।

कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है। इसने जिन हुरूफ़ व अस्वात (आवाज़) का जामा पहना वह हुरूफ़ व अस्वात लौहे महफूज़ में हैं। इसके बाद वह कलामे इलाही, क़ौले जिब्रील अलै० और क़ौले मुहम्मद ﷺ बनकर नाज़िल हुआ और लोगों के सामने आया। चुनाँचे सूरह अल् जुख़फ़ के आगाज़ में इर्शाद हुआ:

"हा, मीम। कसम है इस वाज़ेह किताब की! हमने इसे कुराने अरबी बनाया है ताकि तुम समझ सको।"

कुरान की मुखातिब अक्वल क़ौम हिजाज़ में आबाद थी। उससे कहा जा रहा है कि हमने इस कुरान को तुम्हारी ज़बान में बनाया। उसने अक्वलन हुरूफ़ व अस्वात का जामा पहना है, फिर तुम्हारी ज़बान अरबी का जामा पहनकर तुम्हारे सामने नाज़िल किया गया है ताकि तुम इसको समझ सको।

यही बात सूरह यूसुफ़ के शुरू में कही गयी है:

"अलिफ़, लाम, रा। यह उस किताब की आयात है जो अपना मदअन साफ़-साफ़ बयान करती है। हमने इसे नाज़िल किया है कुरान बनाकर अरबी ज़बान में ताकि तुम समझ सको।"

الَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ
أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

सूरह अल् शौरा में फ़रमाया:

"साफ़-साफ़ अरबी ज़बान में (नाज़िल किया गया)।"

بِلسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ١٩٥

सूरह अल् जुमुर में इर्शाद फ़रमाया:

"ऐसा कुरान जो अरबी ज़बान में है, जिसमें कोई टेढ़ नहीं है, ताकि वह बच कर चलें।"

قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 28

इसमें कहीं कजी नहीं, कहीं कोई ऐच-पेच नहीं, इसकी ज़बान बहुत सलीस, सस्ता और बिलकुल वाजेह ज़बान है। इसमें कहीं पहेलियाँ बुझवाने का अंदाज़ नहीं है।

अब नोट कीजिये कि कुरान की अरबी कौनसी अरबी है? इसलिये कि अरबी ज़बान एक है मगर इसके dialects और इसकी बोलियाँ बेशुमार हैं। खुद जज़ीरा नुमाए अरब में कई बोलियाँ थीं, तलपफुज़ और लहजे मुखतलिफ़ थे। बाज़ अल्फाज़ किसी खास इलाके में मुस्तमिल थे और दूसरे इलाके के लोग उन अल्फाज़ को जानते ही नहीं थे। आज भी कहने को तो मिश्र, लीबिया, अल् जज़ाइर, मुरतानिया और हिजाज़ की ज़बान अरबी है, लेकिन उनके यहाँ जो फ़सीह अरबी कहलाती है वह तो एक ही है। वह दरहकीकत एक इसलिये है कि कुरान मजीद ने उसे दवाम अता किया

हैं। यह कुरान मजीद का अरबी ज़बान पर अज़ीम अहसान है। इसलिये कि दुनिया में दूसरी कोई ज़बान भी ऐसी नहीं है जो चौदह सौ बरस से एक ही शान और एक ही कैफ़ियत के साथ बाकी हो। उर्दू ज़बान ही को देखिये 100-200 बरस पुरानी उर्दू आज हमारे लिये नाकाबिले फ़हम है। दक्कन की उर्दू हमें समझ नहीं आ सकती, इसमें कितनी तब्दीली हुई है। इसी तरह फ़ारसी ज़बान का मामला है। एक वह फ़ारसी थी जो अरबों की आमद और इस्लाम के जुहूर के वक़्त थी। अरबों के हाथों ईरान फ़तह हुआ तो रफ़्ता-रफ़्ता उस फ़ारसी का रंग बदलता गया। अब उसको फिर बदला गया है और उसमें से अरबी अल्फ़ाज़ को निकाल कर उसके लहजे भी बदल दिये गये हैं। एक फ़ारसी वह है जो अफ़ग़ानिस्तान में बोली जाती है, वह हमारी समझ में आती है। इसलिये कि जो फ़ारसी यहाँ पढ़ाई जाती थी वह यही फ़ारसी थी। आज जो फ़ारसी ईरान में पढ़ाई जा रही है वह बहुत मुख्तलिफ़ है, अपने लहजे में भी और अपने अल्फ़ाज़ के ऐतबार से भी। लेकिन अरबी "फ़सीह ज़बान" एक है। यह असल में हिजाज़ के बद्दुओं की ज़बान थी। पूरा कुरान हकीम हिजाज़ में नाज़िल हुआ। हिजाज़ में बादिया नशीन थे। अरबों का कहना है कि ख़ालिस ज़बान बादिया नशीनों की है, शहर वालों की नहीं। जबकि मक्का शहर था और वहाँ बाहर से भी लोग आते रहते थे। काफ़िले आ रहे हैं, जा रहे हैं, ठहर रहे हैं। जहाँ इस तरह आमद व रफ़्त हो वहाँ ज़बान ख़ालिस नहीं रहती और उसमें ग़ैर ज़बानों के अल्फ़ाज़ शामिल होकर मुस्तमिल हो जाते हैं और बोल-चाल में आ जाते हैं। ख़ास इसी वजह से मक्का के शरफ़ा अपने बच्चों को पैदाइश के फ़ौरन बाद बादिया नशीनों के पास भेज देते थे। एक तो दूध पिलाने का मामला था। दूसरा यह कि उनकी ज़बान साफ़ रहे, ख़ालिस अरबी ज़बान रहे और वह हर मिलावट से

पाक रहे। तो कुरान मजीद हिजाज़ के बादिया नशीनों की ज़बान में नाज़िल हुआ।

अलबत्ता यह साबित है कि कुरान मजीद में कुछ अल्फ़ाज़ दूसरे क़बाइल और दूसरे इलाकों की ज़बानों के भी आये हैं। अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती रहि० ने ऐसे अल्फ़ाज़ की फेहरिस्त मुत्तब (लिस्ट बनाई है) की है। इसके अलावा कुछ ग़ैर अरबी अल्फ़ाज़ भी कुरान मजीद में आये हैं जो मौरब हो गये हैं। इब्राहीम, इस्माईल, इस्हाक़ यह तमाम नाम दरहकीकत अबरानी ज़बान के अल्फ़ाज़ हैं। लफ़ज़ "ईल" अबरानी ज़बान में अल्लाह के लिये आता है और यह लफ़ज़ हमारे यहाँ कुरान मजीद के ज़रिये आया है। इसी तरीके से "सिज्जील" का लफ़ज़ फ़ारसी से आया है। सहारा में कहीं बारिश के नतीजे में हल्की सी फुहार पड़ी हो तो बारिश के क़तरों के साथ रेत के छोटे-छोटे दाने बन जाते हैं और फिर तेज़ धूप पड़ने पर ऐसे पक जाते हैं जैसे भट्टे में ईंटों को पका दिया गया हो। यह कंकर "सिज्जील" कहलाते हैं जो "संगे गुल" का मौरब है। बाक़ी अक्सर व बेशतर कुरान मजीद की ज़बान जिसमें यह नाज़िल हुआ, वह हिजाज़ के इलाके के बादिया नशीनों की अरबी है, जिसमें फ़साहत व बलागत नुक़ता-ए-उरूज़ पर है और इसका लोहा माना गया है।

इसके अलावा कुरान मजीद में एक सौती आहंग है। इसका एक "मलकूती गिना" (Divine Music) है, इसकी एक अज़ूबत और मिठास है। यह दोनों चीज़ें अरब में पूरे तौर पर तस्लीम की गई हैं और लोगों पर सबसे ज़्यादा मरऊबियत (पसंद) कुरान हकीम की फ़साहत, बलागत और अज़ूबित ही से तारी हुई है। उनकी अपनी ज़बान में होने के ऐतबार से ज़ाहिर बात है कि कुरान के बेहतरीन नाक़द भी वही हो सकते थे। वाज़ेह रहे कि अदब में "तन्कीद" दोनों पहलुओं को मुहीत होती है। किसी चीज़

की कद्र व कीमत का अंदाज़ा लगाना, उसे जाँचना, परखना। उसमें कोई खामी हो तो उसको नुमाया करना, और अगर कोई मुहासिन हो तो उनको समझना और बयान करना। इस ऐतबार से इसकी फ़साहत व बलागत को तस्लीम किया गया है।

मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि अरबी ज़बान आज भी मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ लहजों और बोलियों की शक़ल इख़्तियार कर चुकी है। एक इलाके की आमी (colloquial) रबी दूसरे लोगों की समझ में नहीं आती थी। खुद नुज़ूले कुरान के ज़माने में नजद के लोगों की ज़बान हिजाज़ के लोगों की समझ में नहीं आती थी। इसकी वज़ाहत एक हदीस में भी मिलती है कि नजद से कुछ लोग आए और वह हुज़ूर ﷺ से गुफ़्तगु कर रहे थे जो बड़ी मुश्किल से समझ में आ रही थी और लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे। आज भी नजद के लोग जो गुफ़्तगु करते हैं तो वाक़िया यह है कि अरबी से वाक़फ़ियत (जानने) होने के बावजूद उनकी अरबी हमारी समझ में नहीं आती, उनका लबो लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। कुरान हकीम की ज़बान हिजाज़ के बादिया नशीनों की है। लिहाज़ा अगर तहकीक़ व तदब्बुर कुरान का हक़ अदा करना हो तो जाहिलियत की शायरी पढ़ना ज़रूरी है। अइम्मा-ए-लुगत (Master of language) ने एक-एक लफ़ज़ की तहकीक़ करके और बड़ी गहराईयों में उतर कर जाहिली शायरी के हवाले से जितने भी इस्तशहाद (प्रमाण) हो सकते थे उनको खंगाल कर कुरान में मुस्तमिल अल्फ़ाज़ के माददों के मफ़हूम मुअय्यन (अर्थ बता दिये) कर दिये हैं। एक आम क़ारी को, जो कुरान से तज़क़ुर करना चाहे, सिर्फ़ हिदायत हासिल करना चाहे, इस झगड़े में पड़ने की चंदान ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता तदब्बुर कुरान के लिये जब तहकीक़ की जाती है तो जब तक किसी एक लफ़ज़ की असल पूरी तरह मालूम न की जाए और उसके बाल की खाल न उतार ली

जाए तहकीक़ का हक़ अदा नहीं होता। इस ऐतबार से शेर जाहिली की ज़बान को समझना तदब्बुर कुरान के लिये यकीनन ज़रूरी है।

कुरान के अस्मा व सिफ़ात

अगली बहस कुरान हकीम के अस्मा (नाम) व सिफ़ात (गुणों) की है। अल्लाम जलालुद्दीन स्यूति रहि० ने अपनी शहरा आफ़ाक़ किताब "अल् इतेफ़ाक़ फ़ी उलूमुल कुरान" में कुरान हकीम के अस्मा व सिफ़ात कुरान हकीम ही से लेकर पचपन (55) नामों की फ़ेहरिस्त मुत्तब (तैयार) की है। मैंने जब इस पर गौर किया तो अंदाज़ा हुआ कि वह भी कामिल नहीं है, मसलन लफ़ज़ "बुरहान" उनकी फ़ेहरिस्त में शामिल नहीं है। दरहकीक़त (असल में) कुरान मजीद की सिफ़ात, इसकी शानों और इसकी तासीर के लिये मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ को जमा किया जाये तो 55 ही नहीं इससे ज़्यादा अल्फ़ाज़ बन जायेंगे। लेकिन मैंने इन्हें दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक तो वह अल्फ़ाज़ हैं जो मुफ़रद की हैसियत से और मारफ़ा की शक़ल में कुरान मजीद में कुरान के लिये वारिद हुए हैं, जबकि कुछ सिफ़ात हैं जो मौसूफ़ के साथ आ रही हैं। मसलन "कुरान मजीद" में "मजीद" कुरान का नाम नहीं है, दरहकीक़त सिफ़त है। इसी तरह "अल् कुरान अल् मजीद" में अगरचे "अलिफ़ लाम" के साथ "अल् मजीद" आता है, लेकिन यह चूँकि मौसूफ़ के साथ मिल कर आया है लिहाज़ा यह भी सिफ़त है।

कुरान माजीद के लिये जो अल्फ़ाज़ बतौर-ए-इस्म आये हैं, उनमें से अक्सर व बेशतर वह हैं जिनके साथ लाम लगा है। कुरान के लिये अहमतरीन नाम जो इसका इम्तियाज़ी (विशेष) और इख़्तसासी (The Exclusive) नाम है, "अल् कुरान" है। (मैं बाद में इसकी वज़ाहत करूँगा)

इसके बाद कसरत से इस्तेमाल होने वाला नाम "अल् किताब" है। कुरान की असल हकीकत पर रोशनी डालने वाला अहमतरिन नाम "अल् ज़िक्र" है। कुरान मजीद की इफ़ादियत के लिये सबसे ज़्यादा जामेअ नाम "अल् हुदा" है। कुरान मजीद की नौइयत और हैसियत के ऐतबार से अहम तरीन नाम "अल् नूर" है। कुरान मजीद की एक इन्तहाई अहम शान जो एक लफ़्ज़ के तौर पर आई है "अल् फुरकान" है यानि (हक़ व बातिल में) फ़र्क कर देने वाली शय, दूध का दूध और पानी का पानी जुदा कर देने वाली शय। कुरान का एक नाम "अल् वही" भी आया है: { قُلْ إِنَّمَا أُنزِلَ كُمْ بِالْوَحْيِ إِلَيَّ } (अल् अम्बिया:45)। इसी तरह "कलामुल्लाह" का लफ़्ज़ भी खुद कुरान में आया है: { حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ } (अल् तौबा:6) चूँकि यहाँ कलाम मुदाफ़ वाक़ेअ हुआ है, लिहाज़ा यह भी मआरफ़ा बन गया। मेरे नज़दीक जिन्हें हम कुरान के नाम करार दें, वह तो यही बनते हैं। अगरचे, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, जो लफ़्ज़ भी कुरान के लिये सिफ़त के तौर पर या इसकी शान को बयान करने के लिये कुरान में आ गया है अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती रहि० ने उसको फ़ेहरिस्त में शामिल करके 55 नाम गिनवाये हैं, लेकिन यह फ़ेहरिस्त भी मुकम्मल नहीं।

कुरान करीम की मुख्तलिफ़ शानों और सिफ़ात के लिये यह अल्फ़ाज़ आए हैं:

1) करीमुन	إِنَّهُ لَفُرْآنٌ كَرِيمٌ 77	(अल् वाक़्या:77)
2) अल् हकीम	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 77	(यासीन:1-2)
3) अल् अज़ीम	وَلَقَدْ أَنْزَلْنَاكَ سُبْحَانَكَ مِنَ الْمَثَابِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ 87	(अल् हिज़्र:87)
4) मजीदुन और अल् मजीद	بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ 21 और 21 رَوِّعُ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ 21	(अल् बुरुज:21) (काफ़:1)
5) अल् मुबीन	حَمْدٌ لِلَّهِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ 21	(अल् जुखरुफ़:1-2)

6) रहमतुन	هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ 57	(यूनस:57)
7) अलिय्युन	وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ 21	(अल् जुखरुफ़:4)
8) बसाइर	فَدَجَّاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ 21	(अल् अनआम:104)
9,10) बशीरुन व नज़ीरुन	بَشِيرًا وَنَذِيرًا 21	(हा मीम सज्दा:4)
[अगरचे यह अल्फ़ाज़ अम्बिया के लिये आते हैं लेकिन यहाँ खुद कुरान के लिये भी आये हैं। कुरान अपनी जात में फ़ी नफ़सी बशीर भी है, नज़ीर भी है]		
11) बुशरा	وَبَشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ 21	(अल् नहल:89, 102)
12) अज़ीजुन	وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ 41	(हा मीम सज्दा:41)
13) बलागुन	هَذَا بَلَّغٌ لِّلنَّاسِ 21	(इब्राहीम:52)
14) बयानुन	هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ 21	(आले इमरान:138)
15) मौइज़तुन		
16) शिफ़ाउन	فَدَجَّاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ 21	(यूनस:57)
17) अहसनुलक़सस	نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ 21	(यूसुफ़:3)
18) अहसनुल हदीस		
19) मुताशाबिह		
20) मसानिया	اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَابِي 21	(अल् जुमुद:23)
21) मुबारकुन	كِتَابُ الْوَيْلَةِ الْبَارِكِ الْمُبْرَكِ 21	(सुआद:29)
22) मुसद्दिकुन		
23) मुहय्मिनुन	مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ 21	(अल् मायदा:48)
24) क़य्यिम	فَيَمَّا لَيِّنَدُ بِأَسَا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ 21	(अल् कहफ़:2)

यह मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ हैं जो कुरान हकीम की मुख्तलिफ़ शानों के लिये आए हैं। जैसा कि अल्लाह तआला के निन्यानवे (99) नाम हैं, जो उसकी मुख्तलिफ़ शानों को ज़ाहिर करते हैं, इसी तरह हुज़ूर ﷺ के नामों

की फ़ेहरिस्त भी आपने पढ़ी होगी। आप ﷺ की मुख्तलिफ़ शानें हैं, इसके ऐतबार से आप बशीर भी हैं, नज़ीर भी हैं, हादी भी हैं, मुअल्लिम भी हैं। कुरान मजीद के भी मुख्तलिफ़ अस्मा व सिफ़ात हैं।

लफ़ज़ "कुरान" की लुग़वी बहस:

कुरान मजीद के नामों में सबसे अहम नाम "अल् कुरान" है, जिसके लिये मैंने लफ़ज़ exclusive इस्तेमाल किया था कि यह किसी और किताब के लिये इस्तेमाल नहीं हुआ, वरना तौरात किताब भी है, हिदायत भी थी, और उसके लिये लफ़ज़ नूर भी आया है। इर्शाद हुआ:

*"हमने तौरात नाज़िल की जिसमें हिदायत
भी है और नूर भी।"* (अल् मायदा:44)

खुद कुरान मजीद हिदायत भी है, नूर भी है, रहमत भी है। तो बकिया तमाम औसाफ़ तो मुश्तरिक (एक जैसे) हैं, लेकिन अल् कुरान के लफ़ज़ का इतलाक़ कुतुबे समाविया (आसमानी किताबों) में से किसी और किताब पर नहीं होता। यह इम्तियाज़ी, इख्तसासी और इस्तस्नाई नाम सिर्फ़ कुरान मजीद के लिये है। इसी लिये एक राय यह है कि यह इस्मे अलम है, और इस्मे जमिद है, इस्मे मुश्तक़ नहीं है। अल्लाह तआला के नाम "अल्लाह" के बारे में भी एक राय यह है कि यह इस्मे ज़ात है, इस्मे अलम है, इस्मे जामिद है, मुश्तक़ नहीं है, यह किसी और माद्दे से निकला हुआ नहीं है। जबकि एक राय यह है कि यह भी सिफ़त है, जैसे अल्लाह तआला के दूसरे सिफ़ाती नाम हैं। जैसे "अलीम" अल्लाह तआला की सिफ़त है और "अल् अलीम" नाम है, "रहीम" सिफ़त है और "अर्रहीम" नाम है, इसी तरह इलाह पर "अल्" दाख़िल हुआ तो "अल् इलाह" बन गया और दो लाम

मुद्ग़ाम होने (मिलने) से यह "अल्लाह" बन गया। यह दूसरी राय है। जो मामला लफ़ज़ अल्लाह के बारे में इख्तलाफ़ी है बईना वही इख्तलाफ़ लफ़ज़ कुरान के बारे में है। एक राय यह है कि यह इस्मे जामिद और इस्मे आलम है, इसका कोई और माद्दा नहीं है। जबकि दूसरी राय यह है कि यह इस्मे मुश्तक़ है। लेकिन फिर इसके माद्दे की ताईन में इख्तलाफ़ है।

एक राय के मुताबिक़ इसका माद्दा "قرن" है, यानि कुरान में जो "नून" है वह भी हर्फ़ असली है। दूसरी राय के मुताबिक़ इसका माद्दा "ق ر ء" है। यह गोया महमूज़ है। मैं यह बातें अहले इल्म की दिलचस्पी के लिये अर्ज़ कर रहा हूँ। जिन लोगों ने इसका माद्दा "قرن" माना है, उनके भी दो राय हैं। एक राय यह कि जैसे अरब कहते हैं "فَرَنَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ" (कोई शय [चीज़] किसी दूसरे के साथ शामिल कर दी गई) तो इससे कुरान बना है। अल्लाह तआला की आयात, अल्लाह तआला का कलाम जो वक़तन-फ-वक़तन नाज़िल हुआ, इसको जब जमा कर दिया गया तो वह "कुरान" बन गया। इमाम अश'अरी भी इस राय के कायल हैं। जबकि एक राय इमाम फ़राअ की है, जो लुग़त के बहुत बड़े इमाम हैं, कि यह करीना और कराइन से बना है। कराइन कुछ चीज़ों के आसार होते हैं। कुरान मजीद की आयात चूँकि एक-दूसरे से मुशाबह हैं, जैसा कि सूरह अल् जुमुर में कुरान मजीद की यह सिफ़त वारिद हुई है "كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيًّا" (आयत:23)। इस ऐतबार से आपस में यह आयात कुरनाअ हैं। चुनाँचे करीना से कुरान बन गया है।

जो लोग कहते हैं कि इसका माद्दा "ق ر ء" है वह कुरान को मसदर मानते हैं। فَرَأَ، يَفْرَأُ، فَرَأَ، وَفِرَاءَةٌ وَفُرَأْنَا। यह अगरचे मसदर का मारूफ़ वज़न नहीं है लेकिन इसकी मिसालें अरबी में मौजूद हैं। जैसे رُحَانَ سے رُحَانٌ और غُفْرَانَ سے غُفْرَانٌ। इनके मादह में "नून" शामिल नहीं है। जैसे गुफ़रान और रुजहान मसदर हैं, ऐसे ही فُرَا سے मसदर कुरान है यानि पढ़ना। और मसदर

बसा औकात मफ़ऊल का मफ़हूम देता है। तो कुरान का मफ़हूम होगा पढ़ी जाने वाली शय, पढ़ी गयी शय। "قُرْأ" में जमा करने का मफ़हूम भी है। अरब कहते हैं: قَرَأْتُ الْمَاءَ فِي الْحَوْضِ "मैंने हौज़ के अंदर पानी जमा कर लिया।" इसी से कुरिया बना है, यानि ऐसी जगह जहाँ लोग जमा हो जायें। गोया कुरान का मतलब है अल्लाह का कलाम जहाँ जमा कर दिया गया। तमाम आयात जब जमा कर ली गयीं तो यह कुरान बन गया। जैसे कुरिया वह जगह है जहाँ लोग आबाद हो जायें, मिल-जुल कर रह रहे हों। तो जमा करने का मफ़हूम قَرَأَ में भी है और قَرَن में भी है। यह दोनों माद्दे एक-दूसरे से बहुत करीब हैं। बहरहाल यह इस लफ़्ज़ की लुगवी बहस है।

कुरान का अस्लूबे कलाम

अब मैं अगली बहस पर आ रहा हूँ कि इसका अस्लूबे कलाम क्या है। कुरान मजीद ने शद व मद के साथ जिस बात की नफ़ी की है वह यह है कि यह शेर नहीं है: (यासीन:69)

"हमने अपने इस रसूल को शेर सिखाया ही नहीं, ना इनके यह शायाने शान है।"

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

शायरों के बारे में सूरह अल् शौराअ में आया है:

"और शायरों की पैरवी तो वही लोग करते हैं जो गुमराह हों। क्या तूने नहीं देखा कि वह हर वादी में घूमते रहते हैं (हर मैदान में सरगर्दा रहते हैं) और यह कि वह कहते हैं जो नहीं करते।"

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ
أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهيمُونَ
يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

अगली आयत में {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...} के अल्फ़ाज के साथ इस्तसना भी आया है, और इस्तसना कायदा-ए-कुल्लिया की तौसीक करता है (Exception proves the rule)--- चुनाँचे कुरान मजीद के ऐतबार से शेर गोयी कोई अच्छी शय नहीं है, कोई ऐसी महमूद सिफ़त नहीं है कि जो अल्लाह तआला अपने रसूल को अता फ़रमाता। बल्कि हुज़ूर अकरम ﷺ का मामला तो यह था कि आप ﷺ कभी कोई शेर पढ़ते भी थे तो ग़लती हो जाती थी। इसलिये कि नबी अकरम ﷺ पर से अल्लाह तआला शायरी की तोहमत हटाना चाहता था, लिहाज़ा आपके अंदर शायरी का वस्फ़ (खूबी) ही पैदा नहीं किया गया। सीरत का एक दिलचस्प वाक़या आता है कि हुज़ूर ﷺ ने एक मर्तबा एक शेर पढ़ा और उसमें ग़लती हुई। इस पर हज़रत अबु बकर (रज़ि०) मुस्कुराये और अर्ज़ की: اَشْهَدُ اَنَّكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ "मैं ग़वाही देता हूँ कि यकीनन आप अल्लाह के रसूल हैं।" इसलिये कि अल्लाह ने फ़रमाया है: {وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ} (यासीन:69) तो वाक़िअतन आपको शेर से यानि शेर के वज़न और उसकी बहर वगैरह से मुनासबत नहीं थी। बाकी जहाँ तक शेर के मफ़हूम का और आला मज़ामीन का ताल्लुक है तो खुद हुज़ूर ﷺ का फ़रमान है: ((مِنَ النَّبِيِّانَ لَسِحْرًا وَاِنَّ مِنْ)) (الشِّعْرَ لِحِكْمَةٍ) यानि बहुत से बयान बहुत से खुत्बे और तक़रीरें जादू असर होते हैं और बहुत से अशआर के अंदर हिकमत के ख़जाने होते हैं। बाज़ शायरों के अशआर हुज़ूर ﷺ ने खुद पढ़े भी हैं और उनकी तहसीन फ़रमाई है, लेकिन कुरान बहरहाल शेर नहीं है।

अलबत्ता एक बात कहने की ज़ुरत कर रहा हूँ कि क़दीम ज़माने की शायरी जिसमें बहर, वज़न और रदीफ़ व काफ़िया की पाबंदी सख़्ती के साथ होती थी, उसके ऐतबार से यकीनन कुरान शेर नहीं है, लेकिन एक शायरी जिसका रिवाज असरे हाज़िर में हुआ है और उसके लिये ग़ालिबन

कुरान ही के अस्लूब को चुराया गया है, जिसे आप "आज़ाद नज़्म" (Blank Verse) कहते हैं, उसके अंदर जो सिफ़ात और खुसूसियात आजकल होती हैं उनका मिन्बा और सरचश्मा कुरान हकीम है। इसलिये कि इसमें एक रिदम (Rythm) होता है, इसमें फ़ासल भी हैं, क़वानी के तर्ज़ पर सौती आहंग भी है, लेकिन वह जो मारुफ़ शायरी थी उसके ऐतबार से कुरान बड़ी ताकीद के साथ कहता है कि कुरान शेर नहीं है।

कुरान के अस्लूब के ज़िमन में दूसरी अहम बात यह है कि आम मायने में कुरान किताब भी नहीं है। मैं यहाँ इक़बाल का मिसरा qoute कर रहा हूँ, अगरचे इसके वह मायने नहीं "ई किताबे नीस्त चीज़े दीगर अस्त!"

आज हमारा किताब का तसव्वुर यह है कि उसके मुख्तलिफ़ अबवाब (Chapters) होते हैं। आप किसी किताब या तस्नीफ़ में एक मौज़ू को एक बाब की शक़ल देते हैं। एक बाब (Chapter) में एक बात मुकम्मल हो जानी चाहिये। अगले बाब में बात आगे चलेगी, कोई पिछली बात नहीं दोहराई जायेगी, तीसरे बाब में बात और आगे चलेगी। फिर एक किताब मज़मून के ऐतबार से एक वहादत बनेगी और उसके अंदर मौज़ूआत (विषय) और उन्वानात (शीर्षकों) के हवाले से अबवाब (Chapters) तकसीम हो जायेंगे। गोया हमारे यहाँ मारुफ़ मायने में किताब का इत्लाक़ जिस चीज़ पर किया जाता है, उस मायने में कुरान किताब नहीं है। अल्बत्ता यह "अल् किताब" है ब-मायने लिखी हुई शय। अल्लाह तआला ने इसे किताब करार दिया है और इसके लिये सबसे ज़्यादा कसरत से यही लफ़ज़ "किताब" ही कुरान में आया है। यह अल्फ़ाज़ साढ़े तीन सौ (350) जगह आया है। कुरान और कुरआनन तकरीबन 70 मक़ामात पर आया है। लेकिन "कुरान" exclusive आया है, जबकि किताब का लफ़ज़ तौरात, इंजील, इल्मे खुदावंदी और तकदीर के लिये भी आया है और कुरान मजीद के हिस्सों

और अहकाम के लिये भी आया है। बहरहाल किताब इस मायने में तो है। माज़अल्लाह, कोई यह नहीं कह सकता कि कुरान किताब नहीं है, लेकिन जिस मायने में हम लफ़ज़ किताब बोलते हैं उस मायने में कुरान किताब नहीं है।

तीसरी बात यह कि यह मज्मुआ मक़ालात (collection of essays) भी नहीं है। इसलिये कि हर मक़ाला अपनी जगह पर खुद मकतफ़ी और एक मुकम्मल शय होता है। लेकिन कुरान मजीद के बारे में हम यह बात नहीं कह सकते। तो फिर यह है क्या? पहली बात तो यह नोट कीजिये कि इसका अस्लूब खुत्बे का है। अरब में दो ही चीज़ें ज़्यादा मारुफ़ थीं, खिताबत या शायरी। शौअरा (शायर का plural) उनके यहाँ बड़े महबूब थे। शायरी का उनको बड़ा ज़ौक (पसंद) था और वह शौअरा की बड़ी क़द्र करते थे। उनके यहाँ कसीदा गोई के मुक़ाबले होते थे। फिर हर साल जो सबसे बड़ा शायर शुमार होता था उसकी अज़मत को तस्लीम करने की अलामत के तौर पर सब शायर उसके सामने बाक़ायदा सजदा करते थे। फिर उसका कसीदा बैतुल्लाह पर लटका दिया जाता था। यही कसीदे "معلقة" के नाम से मारुफ़ हैं। चुनाँचे अरब या तो शेरों से वाक़िफ़ थे या खुत्बों से। तो कुरान मजीद उस दौर की दो सबसे ज़्यादा मारुफ़ अस्नाफ़ (शायरी और खुत्बा) में खुत्बे के अस्लूबी पर है। इस ऐतबार से हम कह सकते हैं कि कुरान हकीम मज्मुआ-ए-खुत्बाते इलाहिया (A collection of divine orations) है, जिसमें हर सूरात एक खुत्बे की मानिंद है।

खुत्बे के ऐतबार से चंद बाते नोट कर लें। खुत्बे में मुखातब (दर्शक) और खतीब (वक्ता) के दरमियान एक ज़हनी रिश्ता होता है। मुखातिब (वक्ता) को मालूम होता है कि मेरे सामने कौन लोग बैठे हैं, उनकी फ़िक्र क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके अक़ाइद क्या हैं, उनके नज़रियात क्या

हैं। वह उनका हवाला दिये बगैर अपनी गुफ्तुगू के अंदर उन पर तन्कीद भी करेगा, उनकी तसीह भी करेगा, लेकिन कोई तम्हीदी कलिमात नहीं होंगे कि अब मैं तुम्हारी फ़लाँ ग़लती की तसीह करना चाहता हूँ, मैं अब तुम्हारे इस ख़्याल की नफ़ी करना चाहता हूँ। यह अंदाज़ नहीं होगा बल्कि वह रवानी के साथ आगे चलेगा। मुखातिब (वक्ता) और मुखातब (दर्शक) के माबैन एक ज़हनी हम-आहंगी होती है, वह एक-दूसरे से वाक्फ़ होते हैं, और ख़ास तौर पर मुखातिबीन के फ़हम, उनकी समझ, उनके अक़ीदे, उनके नज़रियात से ख़तीब वाक्फ़ होता है। यह दर हकीकत ख़ुत्बे की शान है। यही वजह है कि इसमें तहवीले ख़िताब होती है और बगैर वारनिंग के होती है। बसा औकात ग़ायब को हाज़िर फ़र्ज़ करके उससे ख़िताब किया जाता है। चुनाँचे ऐसा भी होता है कि एक ख़तीब मस्जिद में ख़ुत्बा दे रहा है और वह मुखातिब कर रहा है सदरे ममलकत को, हालाँकि वह वहाँ मौजूद नहीं होते। इस तरह जो लोग बैठे हुए हैं बसा औकात उनसे सीगा ग़ायब में गुफ्तुगू शुरू हो जायेगी, और यह भी बलागत का अंदाज़ है। कभी वह एक तरफ़ बात कर रहा, कभी दूसरी तरफ़ कर रहा है, कभी किसी ग़ायब से बात कर रहा है और ख़िताबत का वही अंदाज़ होगा अगरचे वह ग़ायब वहाँ मौजूद नहीं है। इसको तहवीले ख़िताब कहते हैं। कुरान मजीद पर गौर करने के ज़िम्न में इसकी बहुत अहमियत होती है। अगर ख़िताब का रुख मुअय्यन हो कि यह बात किससे कही जा रही है, मुखातब कौन है, तो इस बात का असल मफ़हूम उजागर होकर सामने आता है, वरना अगर मुखातब का तअय्युन न हो तो बहुत से बड़े-बड़े मुग़ालतें जन्म ले सकते हैं।

ख़ुत्बे और मक़ाले में एक वाजेह फ़र्क यह होता है कि मक़ाले में आम तौर पर सिर्फ़ अक्ल से अपील की जाती है। इसमें मन्तिक और अक्ली

दलीलें होती हैं, जबकि ख़ुत्बे में अक्ल के साथ-साथ जज़्बात से भी अपील होती है। गोया कि इंसान के अंदर झाँक कर बात की जाती है। लोगों को दावत दी जाती है कि अपने अंदर झाँको। और:

"और खुद तुम्हारे अंदर भी (निशानियाँ हैं)
तो क्या तुमको सूझता नहीं है?"

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ 21

(अज़ ज़ारियात:21)

और:

"(ज़रा गौर करो) क्या अल्लाह के बारे में
शक करते हो जो ज़मीन और आसमान का
बनाने वाला है?" (इब्राहिम:10)

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

यह अंदाज़ बहरहाल किसी तहरीर या मक़ाले में नहीं होगा, यह ख़ुत्बे का अंदाज़ है।

एक और बात जो ख़ुत्बे के ऐतबार से उसके ख़साइस (गुणों) में से है वह यह कि एक मौस्सर (असरदार) ख़ुत्बे के शुरू में बहुत जामेअ गुफ्तुगू होती है। कामयाब ख़ुत्बा वही होगा जिसका आगाज़ ऐसा हो कि मुकर्रर और ख़तीब अपने मुखातबीन (दर्शकों) और सामईन (श्रोताओं) की तवज्जोह अपनी तरफ़ मब्ज़ूल करा ले (पलटा ले)। और फिर अगरचे ख़ुत्बे के दौरान मज़मून (विषय) दार्ये-बार्ये फैलेगा, इधर जायेगा, उधर जायेगा लेकिन आखिर में आकर वह फिर किसी मज़मून के ऊपर मुर्तकज़ (केंद्रीत) हो जायेगा। यह अगर नहीं है तो गोया कि वक्त ज़ाया हो गया। हमारे यहाँ बड़े-बड़े ख़तीब पैदा हुए हैं। ख़ासतौर पर मजलिसे अहरार ने बड़े अवामी ख़तीब पैदा किये, जिनमें से अताउल्लाह शाह बुखारी रहि० बहुत बड़े ख़तीब थे। उनकी तक़रीर का यह आलम होता था कि गुफ्तुगू चार-चार घंटे, पाँच-

पाँच घंटे चल रही है। उसमें कभी मशरिक की, कभी मगरिब की, कभी शिमाल की और कभी जुनूब की बात आ जाती। कभी हँसाने का और कभी रुलाने का अंदाज़ होता, कहीं लतीफ़ा गोई भी हो जाती। लेकिन अक्वल और आखिर बात बिल्कुल वाज़ेह होती। ख़ूब घुमा फिरा कर भी मुखातब को किसी एक बात पर ले आना कि उठे तो कोई एक बात, कोई एक पैग़ाम लेकर उठे, कोई एक जज़्बा उसके अंदर जाग चुका हो, एक पैग़ाम उस तक पहुँच चुका हो, यह ख़ुत्बे के औसाफ़ हैं।

आपको मालूम है ख़्वाह ग़ज़ल हो या क़सीदा, शायरी में मुताला और मक्ता दोनों की बड़ी अहमियत है। मुताला जानदार है तो आप पूरी ग़ज़ल पढ़ेंगे और अगर मुताला ही फुसफुसा है तो आगे आप क्या पढ़ेंगे! इसी तरह मक्ता भी जानदार होना चाहिये। इसी लिये मक्ता और मुताला के अल्फ़ाज़ अलैहदा से वाज़ेह किए गये हैं। ख़ुतबात के अंदर भी इब्तदा और इख़तताम पर निहायत जामेअ और अहम मज़मून होता है। कुरान मजीद की सूरतों की इब्तदा और इख़तताम भी निहायत जामेअ मज़ामीन पर होती है। चुनाँचे कुरान मजीद की सूरतों की इब्तदाई आयात और इख़ततामी आयात की फ़ज़ीलत पर बहुत सी हदीसेँ मिलती हैं। सूरतुल बकरह की इब्तदाई आयात और इख़ततामी आयात, इसी तरह सूरह आले इमरान की शुरू की आयात और फिर इख़ततामी आयात निहायत जामेअ हैं। यह अंदाज़ अक्सर व बेशतर सूरतों में मिलेगा। यह है असल में बिल् अमूम कुरान का असलूब, जो ज़ाहिर बात है शायरी का नहीं है। आम मयाने में वह किताब नहीं, मज्मुआ-ए-मक़ालात नहीं। इसका असलूब अगर है तो वह ख़ुत्बे से मिलता है। यह गोया ख़ुत्बाते इलाहिया हैं जिनका मज्मुआ है कुरान!



बाब सौम (तीसरा)

कुरान मजीद की तरकीब व तक्रसीम

आयात और सूरतों की तक्रसीम

बहुत सी चीज़ों से मिल कर कोई शै मुरक्कब (मिश्रण) बनती है। कुरान कलामे मुरक्कब है। इसकी तक्रसीम सूरतों और आयात में है। फिर इसमें अहज़ाब और गुप हैं। आम तसव्वुरे किताब तो यह है कि इसके अबवाब होते हैं, लेकिन कुरान हकीम पर इन इस्तलाहात का इत्लाक़ नहीं होता। कुरान हकीम ने अपनी इस्तलाहात ख़ुद वाज़ेह की है। इन इस्तलाहात की दुनिया में मौजूद किसी भी किताब की इस्तलाहात से कोई मुशाबिहत नहीं है। चुनाँचे अल्लामा जाहज़ ने एक बड़ा ख़ूबसूरत उन्वान कायम किया है। वो कहते हैं कि अरब इससे तो वाकिफ़ थे कि उनके बड़े-बड़े शायरों के दीवान होते थे। सारा कलाम किताबी शक़ल में जमा हो गया तो वह दीवान कहलाया। लिहाज़ा किसी भी दर्जे में अगर मिसाल या तशबीह से समझना चाहें तो दीवान के मुकाबले में लफ़ज़ कुरान है। फिर दीवान बहुत से क़सीदों का मज्मुआ होता था। हमारे यहाँ भी किसी शायर का दीवान होगा तो उसमें क़सीदेँ होंगे, ग़ज़लेँ होंगी, नज़में होंगी। कुरान हकीम में इस सतह पर जो लफ़ज़ है वह सूरत है। अल्लाह तआला का यह कलाम सूरतों पर मुश्तमिल है। अगर कोई नस्र (गद्य) की किताब है तो वह जुमलों पर मुश्तमिल होगी और अगर नज़म (कविता) की है तो वह अशआर पर मुश्तमिल होगी। इसकी जगह कुरान मजीद की इस्तलाह आयत है। शायरी में अशआर के ख़ात्मे पर रदीफ़ के साथ-साथ एक लफ़ज़ काफिया कहलाता

हैं और गज़ल के तमाम अशआर हम काफिया होते हैं। कुरान मजीद पर भी हम आमतौर पर इस लफ़्ज़ का इत्लाक़ कर देते हैं, इसलिये कि कुरान मजीद की आयतों में भी आखिरी अल्फ़ाज़ के अंदर सौती आहंग है। यहाँ इन्हें फ़वासिल कहा जाता है, काफिया का लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाता कि किसी भी दर्जे में शेर के साथ कोई मुशाबिहत ना पैदा हो जाये।

कुरान मजीद का सबसे छोटा यूनिट आयत है। यानि कुरान मजीद की इब्तदाई इकाई के लिये लफ़्ज़ आयत अख़ज़ किया गया है। आयत के मायने निशानी के हैं। कुरानी आयत गोया अल्लाह के इल्म व हिकमत की निशानी है। आयत का लफ़्ज़ कुरान मजीद में बहुत से मायनों में इस्तेमाल हुआ है। मसलन आयाते आफ़ाकी और आयाते अन्फुसी। इस कायनात में हर तरफ़ अल्लाह तआला की निशानियाँ हैं। कायनात की हर शय अल्लाह तआला की कुदरत, उसके इल्म और उसकी हिकमत की गवाही दे रही है। गोया हर शय अल्लाह की निशानी है। फिर कुछ निशानियाँ हमारे अंदर हैं। चुनाँचे फ़रमाया:

"और ज़मीन में निशानियाँ हैं यकीन लाने
वालों के लिये। और खुद तुम्हारे अपने
वजूद में भी। क्या तुमको सूझता नहीं?"
(अज़ ज़ारियात:20-21)

मजीद फ़रमाया:

"अनकरीब हम उनको अपनी निशानियाँ
आफ़ाक़ में भी दिखायेंगे और उनके अपने
नफ़्स में भी, यहाँ तक कि उन पर यह बात
वाज़ेह हो जायेगी कि यह कुरान वाक़ई
बरहक़ है।" (हा मीम सजदा:53)

अंग्रेजी में आयत के लिये हम लफ़्ज़ verse बोल देते हैं, मगर verse तो शेर को कहते हैं जबकि कुरान की आयात ना तो शेर हैं, ना मिसरे हैं, ना जुमले हैं। बस बायना लफ़्ज़ आयत ही को आम करना चाहिये। बहरहाल कुछ आयाते आफ़ाकी हैं, यानि अल्लाह की निशानियाँ, कुछ आयाते अन्फुसी हैं, वह भी अल्लाह की निशानियाँ हैं और आयाते कुरानियाँ भी दरहकीकत अल्लाह तआला की हिकमत बालगा और इल्मे कामिल की निशानियाँ हैं। यह लफ़्ज़ कुरान की इकाई के तौर पर इस्तेमाल हुआ है।

जान लेना चाहिये कि आयात का तअय्युन किसी ग्रामर, बयान या नहव (syntax) के उसूल पर नहीं है, इसमें कोई इज्जहाद (अपनी राय) दाखिल नहीं है, बल्कि इसके लिये एक इस्तलाह "तौकीफ़ी" इस्तेमाल होती है, यानि यह रसूल अल्लाह ﷺ के बताने पर मौकूफ़ (निर्भर) है। चुनाँचे हम देखते हैं कि आयात बहुत तवील (लम्बी) भी हैं। एक आयत आयतल कुर्सी है जिसमें मुकम्मल दस जुमले हैं, लेकिन बाज़ आयात हर्फ़ मुक़त्आत पर भी मुशतमिल हैं। {حَمَّ} एक आयत है, हालाँकि इसका कोई मफ़हूम मालूम नहीं है, आम ज़बान के ऐतबार से इसके मायने मुअय्यन नहीं किये जा सकते। यह तो हुरूफे तहज्जी हैं। इसको मुरक्कबे कलाम भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसको अलैहदा-अलैहदा पढ़ा जाता है। इसलिये यह हुरूफे मुक़त्आत कहलाते हैं। {عَسُوٌّ} {حَمَّ} इनको जमा नहीं कर सकते, यह तोड़-तोड़ कर अलैहदा-अलैहदा पढ़े जायेंगे। इसी तरह "अलिफ़ लाम मीम" को "अलम्" नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन यह भी आयत है। इस बारे में एक बात याद रखिये कि जहाँ हुरूफे मुक़त्आत में से एक-एक हर्फ़ आया है जैसे {رُ وَالْقُرْآنُ الْمَجِيدُ} {رُّ وَالْقَلَمُ وَمَا يَسْطُرُونَ} {صَّ وَالْقُرْآنُ ذِي الذِّكْرِ} यहाँ एक हर्फ़ पर आयत नहीं बनी, लेकिन दो-दो हुरूफ़ पर आयतें बनी हैं। "हा मीम" कुरान में सात जगह आया है और यह मुकम्मल आयत है।

अलिफ़ लाम मीम आयत है। अलबत्ता "अलिफ़ लाम रा" तीन हुरूफ़ हैं और वह आयत नहीं है। मालूम हुआ कि इसकी बुनियाद किसी उसूल, कायदे या इज्जतहाद (अपनी राय) पर नहीं है बल्कि यह अमूर कुल्लियतन तौकीफी (अल्लाह के द्वारा सिखाया हुआ) हैं कि हुज़ूर ﷺ के बताने से मालूम हुए हैं। अलबत्ता फिर हुज़ूर ﷺ से चूँकि मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, इसलिये इस पहलु से कहीं-कहीं फ़र्क़ वाक़ेअ हुआ है। चुनाँचे आयाते कुरानिया की तादाद मुत्फ़िक़ अलै नहीं है। इस पर तो इत्तेफ़ाक़ है कि आयतों की तादाद छः हज़ार से ज़्यादा है, लेकिन बाज़ के नज़दीक कमोबेश 6216, बाज़ के नज़दीक 6236 और बाज़ के नज़दीक 6666 है। इसके मुख्तलिफ़ असबाब हैं। बाज़ सूरतों के अंदर आयतों के तअय्युन में भी फ़र्क़ है। लेकिन यह सब किसी का अपना इज्जतहाद (अपनी राय) नहीं है, बल्कि सब के सब अदद व शुमार हुज़ूर ﷺ की नक़ल होने की बुनियाद पर है। एक फ़र्क़ यह भी है कि आयत बिस्मिल्लाह कुरान हकीम में 113 मर्बता सूरतों के शुरू में आती है (क्योंकि सूरतों की कुल तादाद 114 है और उनमें से सिर्फ़ एक सूरत सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं आती)। अगर इसको हर मर्तबा शुमार किया जाये तो 113 तादाद बढ़ जायेगी, हर मर्तबा शुमार ना किया जाये तो 113 तादाद कम हो जायेगी। इस ऐतबार से आयाते कुरानिया की तादाद मुत्फ़िक़ अलै नहीं है, बल्कि इसमें इख़्तलाफ़ है। जैसा कि पहले ज़िक़्र हो चुका कि हुरूफ़े मुक़त्आत पर भी आयत है, मुक्कबाते नाक़िसा पर भी आयत है, जैसे {وَالْعَصْرِ} कहीं आयत मुकम्मल जुमला भी है, और ऐसी आयतें भी हैं जिनमें दस-दस जुमले हैं।

कुरान हकीम की आयतें जमा होती हैं तो सूरतें वजूद में आती हैं सूरत का लफ़्ज़ "सूर" से माखूज़ है और यह लफ़्ज़ सूरह अल् हदीद में फ़सील के मायने में आया है। पिछले ज़माने में हर शहर के बाहर, गिर्दा-गिर्द (चारों

तरफ़) एक फ़सील (firewall) होती थी जो शहर का इहाता कर लेती थी, शहर की हिफ़ाज़त का काम भी देती थी और हद बंदी भी करती थी। आयतों को जब जमा किया गया तो उससे जो फ़सीलें वजूद में आयीं वह सूरतें हैं। फ़सल अलैहदा करने वाली शय को कहते हैं। तो गोया एक सूरह दूसरी सूरह से अलैहदा हो रही है। फ़सील अलैहदगी की बुनियाद है। फ़सील के लिये "सूर" का लफ़्ज़ मुस्तमिल है, फिर इससे सूरत बना है। अलबत्ता यह सूरतें "अबवाब" नहीं हैं, बल्कि जिस तरह आयत के लिये लफ़्ज़ verse मुनासिब नहीं इसी तरह सूरत के लिये लफ़्ज़ "बाब" या chapter दुरुस्त नहीं।

अब जान लीजिये कि जैसे आयात का मामला है ऐसे ही सूरतों का भी है। चुनाँचे सूरतें बहुत छोटी भी हैं। कुरान मजीद की तीन सूरतें सिर्फ़ तीन-तीन आयात पर मुश्तमिल हैं: सूरह अल् अस्त्र, सूरह अल् नस्र, सूरह अल् कौसर। जबकि तीन सूरतें 200 से ज़्यादा आयतों पर मुश्तमिल हैं। सूरह अल् बकरह की 285 या 286 आयतें हैं। (सूरह अल् बकरह की आयतों की तादाद के ऐतबार से राय में फ़र्क़ है)। सबसे ज़्यादा आयतें सूरह अल् बकरह में हैं। फिर सूरह अश् शौरा में 227 और सूरह आराफ़ में 206 आयतें हैं। मुहक्कीन उलेमाओं का इस पर इज्मा है कि आयतों की तरह सूरतों का तअय्युन भी हुज़ूर ﷺ ने खुद फ़रमाया। अगरचे एक ज़ईफ़ सा कौल मिलता है कि शायद यह काम सहाबा किराम (रज़ि०) ने किसी इज्जतहाद से किया हो, मगर यह मुख्तार कौल नहीं है, ज़ईफ़ है। इज्मा इसी पर है कि आयतों की ताईन भी तौकीफी और सूरतों की ताईन भी तौकीफी है।

कुरान हकीम की सात मंज़िलें

दौरे सहाबा (रज़ि०) में हमें एक तकसीम मिलती है और वह है सात मंज़िलों की शकल में सूरतों की गुपिंग। इन्हें अहज़ाब भी कहते हैं। "हज़ब" का लफ़्ज़ अहादीस में मिलता है, लेकिन वह एक ही मायने में नहीं होता। यह लफ़्ज़ इस मायने में भी इस्तेमाल होता था कि हर शख्स अपने लिये तिलावत की एक मिक्दार मुअय्यन कर लेता था कि मैं इतनी मिक्दार रोज़ाना पढ़ूँगा। यह गोया कि उसका अपना हज़ब है। चुनाँचे हज़रत उमर बिन ख़ताब (रज़ि०) से मरवी एक हदीस में आया है कि रसूल ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया:

مَنْ نَامَ عَنْ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ (أخرجه الجماعة الا البخارى)

"जो शख्स नींद (या बीमारी) की वजह से रात को (तहज्जुद में) अपने हज़ब को पूरा न कर सके, फिर वह फ़जर और जुहर के दरमियान उसकी तिलावत कर ले तो उसके लिये उतना ही सवाब लिखा जायेगा गोया उसने उसे रात के दौरान पढ़ा है।" (यह हदीस बुखारी के सिवा दीगर अइम्मा-ए-हदीस ने रिवायत की है)

यानि जो शख्स किसी वजह से किसी रात अपने हज़ब को पूरा न कर सके, जितना भी निसाब उसने मुअय्यन किया हो, किसी बीमारी की वजह से, या नींद का ग़लबा हो जाये, तो उसे चाहिये कि अपनी इस किरात या तिलावत को वह दिन के वक़्त ज़रूर पूरा कर ले। सहाबा किराम (रज़ि०) में से अक्सर का मामूल था कि हर हफ़्ते कुरान मजीद की तिलावत ख़त्म कर लेते थे। लिहाज़ा ज़रूरत महसूस हुई कि कुरान के सात हिस्से ऐसे हो जायें कि एक हिस्सा रोज़ाना तिलावत करें तो हर हफ़्ते कुरान मजीद का दौर मुकम्मल हो जाये। इसलिये सूरतों के सात मज्मुए या गुप बना दिये गये। इन गुपों के लिये आज-कल हमारे यहाँ जो लफ़्ज़ मुस्तमिल है वह "मंज़िल" है, लेकिन हदीसों और रिवायतों में हज़ब का लफ़्ज़ आता है।

अहज़ाब या मंज़िलों की इस तकसीम में बड़ी ख़ूबसूरती है। ऐसा नहीं किया गया कि यह सातों हिस्से बिल्कुल मसावी (बराबर) किये जायें। अगर ऐसा होता तो ज़ाहिर बात है कि सूरतें टूट जातीं, उनकी फ़सील ख़त्म हो जाती। चुनाँचे हर हज़ब में पूरी-पूरी सूरतें जमा की गईं। इस तरह अहज़ाब या मंज़िलों की मिक्दार मुख्तलिफ़ हो गईं। चुनाँचे कुछ हज़ब छोटे हैं कुछ बड़े हैं, लेकिन इनके अंदर सूरतों की फ़सीलें नहीं टूटीं, यह इनका हुस्न है। ग़ौर करें तो मालूम होता है कि यह शय भी शायद अल्लाह तआला ही की तरफ़ से है। अगरचे यह नहीं कहा जा सकता कि मंज़िलों की ताईन भी तौक्रीफ़ी है, लेकिन मंज़िलों की इस तकसीम में गिनती के ऐतबार से जो हुस्न पैदा हुआ है उससे मालूम होता है कि यह भी अल्लाह तआला की हिकमत ही का एक मज़हर है। सूरतुल फ़ातिहा को अलग रख दिया जाये कि यह तो कुरान हकीम का मुक़दमा या दिबाचा है तो इसके बाद पहला हज़ब या मंज़िल तीन सूरतों (अल् बकररह, आले इमरान, अल् निसा) पर मुश्तमिल है। दूसरी मंज़िल पाँच सूरतों पर, तीसरी मंज़िल सात सूरतों पर, चौथी मंज़िल नौ सूरतों पर, पाँचवीं मंज़िल ग्यारह सूरतों पर, और छठी मंज़िल तेरह सूरतों पर मुश्तमिल है, जबकि सातवीं मंज़िल (हज़बे मुफ़स्सल) जो कि आखिरी मंज़िल है, इसमें 65 सूरतें हैं। आखिर में सूरतें छोटी-छोटी हैं। याद रहे कि 65 भी 13 का multiple बनता है (13x5=65)। सूरतों की तादाद जैसा कि ज़िक्र हो चुका 114 है। यह तादाद मुत्तफ़िक़ अलै है, जिसमें कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं।

आजकल जो कुरान हकीम हुकुमत सऊदी अरब के ज़ेरे अहतमाम बहुत बड़ी तादाद में बड़ी ख़ूबसूरती और नफ़ासत से शाया (प्रकाशित) होता है, उसमें हज़ब का लफ़्ज़ बिल्कुल एक नये मायने में आया है। उन्होंने हर पारे को दो हज़ब में तकसीम कर लिया है, गोया निस्फ़ पारे की बजाये लफ़्ज़

हज़ब है। फिर वह हज़ब भी चार हिस्सों में मुन्क़सिम है: رُبْع الحزب، نصف الحزب और फिर ارباع الحزب। ثلاثه ارباع الحزب। इस तरह उन्होंने हर पारे के आठ हिस्से बना लिये हैं। यह लफ़्ज़ हज़ब का बिल्कुल नया इस्तेमाल है। इसकी क्या सनद और दलील है और यह कहाँ से माखूज़ है, यह मेरे इल्म में नहीं है।

इंसानी कलाम हुरूफ़ और अस्वात (आवाज़) से मुरतब (बना) होता है और हर ज़बान में हुरूफे हिजाइया होते हैं। फिर हुरूफ़ मिल कर कलिमात बनाते हैं। कलिमात से कलाम वजूद में आता है, ख्वाह वह कलाम मंज़ूम (नज़्म में) हो या नसर हो। इस तरह कुरान मजीद की तरकीब है। हुरूफ़ से मिलकर कलिमात बने, कलिमात ने आयात की शक़ल इख़्तियार की, आयात जमा हुई सूरतों की शक़ल में और सूरतें जमा हो गयीं मंज़िलों की शक़ल में।

रुकुओं और पारों की तक़सीम

सूरतों की पहली तक़सीम रुकुओं में है। यह तक़सीम दौरे सहाबा (रज़ि०) और दौरे नबवी ﷺ में मौजूद नहीं थी। यह तक़सीम ज़माना मा बाद की पैदावार है। रुकुओं की तक़सीम बड़ी सूरतों में की गई। 35 सूरतें ऐसी हैं जो एक ही रुकु पर मुश्तमिल हैं, यानि वह इतनी छोटी हैं कि इन्हें एक रकात में आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन बक्रिया सूरतें तवील हैं। सूरह अल् बकरह में 285 या 286 आयात हैं और उसके 40 रुकु हैं। हुज़ूर ﷺ से मंकूल है कि आप ﷺ ने एक रात इन तीन सूरतों (अल् बकरह, आले इमरान, अल् निसा) की मंज़िल एक रकात में मुकम्मल की है। लेकिन यह तो इस्तसनात (exceptions) की बात है। आम तौर पर तिलावत की वह मिक़दार जो एक रकात में बा-आसानी पढ़ी जा सकती हो, एक रुकु पर मुश्तमिल होती है। रुकु रकात से ही बना है। यह तक़सीम

हज्जाज बिन युसुफ़ के ज़माने में यानि ताबईन के दौर में हुई है। लेकिन ऐसा नज़र आता है कि यह तक़सीम बड़ी मेहनत से मायने पर गौर करते हुए की गई है कि किसी मक़ाम पर एक मज़मून मुकम्मल हो गया और दूसरा मज़मून शुरु हो रहा है तो वहाँ अगर रुकु कर लिया जाये तो बात टूटेगी नहीं। अगरचे हमारे यहाँ आमतौर पर अइम्मा-ए-मसाजिद पढ़े-लिखे लोग नहीं होते, अरबी ज़बान से वाक़िफ़ नहीं होते, लिहाज़ा अक्सर ऐसी तकलीफ़देह सूरते हाल पैदा होती है कि वह ऐसी जगह पर रुकु कर देते हैं जहाँ कलाम का रब्त मुक़तह हो जाता है। फिर अगली रकात में वहाँ से शुरु करते हैं जहाँ से बात मायनवी ऐतबार से बहुत ही गिराँ गुज़रती है। रुकुओं की तक़सीम बिलउमूम बहुत उम्दा है, लेकिन चंद एक मक़ामात पर ऐसा महसूस होता है कि अगर यह आयत यहाँ से हटा कर रुकु मा क़बल में शामिल की गई होती या रुकु का निशान इस आयत से पहले होता तो मायने और मफ़हूम के ऐतबार से बेहतर होता। बहरहाल अक्सर व बेशतर रुकुओं की तक़सीम मायनवी ऐतबार से सही है जो बड़ी मेहनत से गहराई में गौर करके की गई है।

इसके अलावा एक तक़सीम पारों की शक़ल में है। यह तक़सीम तो और भी बाद के ज़माने की है और बड़ी भूड़ी तक़सीम है, इसलिये कि इसमें सूरतों की फ़सीलें तोड़ दी गई हैं। ऐसा महसूस होता है कि जब मुसलमानों का जोशे ईमान कम हुआ और लोगों ने मामूल बनाना चाहा कि हर महीने में एक मर्तबा कुरान ख़त्म कर लें तब उनको ज़रूरत पेश आई कि इसको तीस हिस्सों में तक़सीम किया जाये। इस मक़सद के लिये किसी ने ग़ालिबन यह हरकत की कि उसके पास जो मुस्हफ़ मौजूद था उसने उसके सफ़हें (पन्ने) गिन कर तीस पर तक़सीम करने की कोशिश की। इस तरह जहाँ भी सफ़हा (पन्ना) कट गया वहीं निशान लगा दिया और अगला पारा

शुरू हो गया। इस भूँडी तकसीम की मिसाल देखिये कि सूरह अल् हिज़ की एक आयत तेहरवें पारे में है जबकि बाकी पूरी सूरत चौदहवें पारे में है। हमारे यहाँ जो मुस्हफ़ है उनमें आपको यही शक़ल नज़र आयेगी। सऊदी अरब से जो कुरान मजीद बड़ी तादाद में शाये होकर (छप कर) पूरी दुनिया में फैला है, यह अब पाकिस्तानी और हिन्दुस्तानी मुसलमानों के लिये इसी अंदाज़ से शायी किया जाता है जिससे कि हम मानूस (परिचित) हैं। अलबत्ता अहले अरब के लिये जो कुरान मजीद शायी किया जाता है उसमें रमूज़े अवकाफ़ और अलामाते ज़ब्त भी मुख्तलिफ़ हैं और उसमें चौदहवाँ जुज़ सूरह अल् हिज़ से शुरू किया जाता है। गोया वह तकसीम जो हमारे यहाँ है उसमें उन्होंने इज्तहाद से काम लिया है, अगरचे पारों की तकसीम बाकी रखी है। बाज़ दूसरे अरब मुमालिक (देशों) से जो कुरान मजीद शाये होते हैं, उनमें पारों का ज़िक्र ही नहीं है। इसलिये कि यह कोई मुत्तफ़िक़ अलै चीज़ नहीं है और ज़मान-ए-ताबईन में भी इसका कोई तज़करा नहीं है, यह इससे बहुत बाद की बात है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि०) और हज़रत इमरान इब्ने हुसैन (रज़ि०) से मरवी मुत्तफ़िक़ अलै हदीस है कि रसूल अल्लाह ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

इस हदीस की रू से बेहतरीन अदवार (वक़्त) तीन ही हैं। दौरे सहाबा, दौरे ताबईन, फिर दौरे तबे ताबईन। इन तीन ज़मानों को हम "قرن مشهود لها" कहते हैं। बाकी इसके बाद का मामला हुज्जत नहीं है, इसकी दीन के अंदर कोई मुस्तक़िल और दायमी अहमियत नहीं है।

तरतीबे नुज़ूली और तरतीबे मुस्हफ़ का इख्तलाफ़

कुरान हकीम की तरतीब के ज़िम्न में पहली बात जो बिल्कुल मुत्तफ़िक़ अलै और हर शक व शुबह से बाला है वह यह है कि तरतीबे नुज़ूली बिल्कुल मुख्तलिफ़ है और तरतीबे मुस्हफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। अक्सर व बेशतर जो सूरतें इब्तदा में नाज़िल हुईं वह आखिर में दर्ज हैं और हिज़रत के बाद जो सूरतें नाज़िल हुईं हैं (अल् बकरह, आले इमरान, अल् निसा, अल् मायदा) उनको शुरू में रखा गया है। तो इसमें किसी शक व शुबह की गुंजाईश नहीं कि तरतीबे नुज़ूली और तरतीबे मुस्हफ़ मुख्तलिफ़ है।

जहाँ तक तरतीबे नुज़ूली का ताल्लुक़ है, इससे हर तालिबे इल्म को दिलचस्पी होती है जो कुरान मजीद पर गौर करना चाहता है। इसलिये कि तरतीबे नुज़ूली के हवाले से कुरान हकीम के मायने और मफ़हूमों का एक नया पहलु सामने आता है। एक तो यह कि एक खास पसमंज़र के साथ सूरतें जुड़ती हुई चली जाती हैं। इब्तदा में क्या हालात थे जिनमें यह सूरतें नाज़िल हुईं, फिर हालात ने क्या पलटा खायी तो अगली सूरतें नाज़िल हुईं। चुनाँचे तरतीबे नुज़ूली के हवाले से कुरान हकीम को मुरत्तब किया जाये तो एक ऐतबार से वह सीरतुन नबी ﷺ की किताब बन जायेगी। इसलिये कि आगाज़े वही के बाद से लेकर आप ﷺ के इन्तेक़ाल तक वह ज़माना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। दूसरे यह कि इस पूरे ज़माने के साथ कुरान मजीद की आयात और सूरतों का जो मज्मुई रब्त है, तरतीबे नुज़ूली की मदद से उसे समझने और गौर फ़िक़र करने में मदद मिलती है। पस (इसलिये) कुरान मजीद के हर तालिबे इल्म को इससे दिलचस्पी होना समझ में आता है। चुनाँचे बाज़ सहाबा (रज़ि०) के बारे में रिवायात मिलती हैं कि उन्होंने तरतीबे नुज़ूली के ऐतबार से कुरान हकीम को मुरत्तब (set) किया था। हज़रत अली (रज़ि०) के बारे में यह बात बहुत शद व मद (विस्तार) के साथ कही जाती है कि उन्होंने भी इसको तरतीबे नुज़ूली के

ऐतबार से कुरान हकीम को मुरतब किया था, और अवाम की सतह पर यह मशहूर है कि अहले तशय्य (शिया) उसी को असल और मुस्तनद कुरान मानते हैं और हज़रत अली (रज़ि०) का यह मुस्हफ़ उनके बारहवें इमाम के पास है, जो एक गार में रू पोश हैं। क़यामत के करीब जब वह ज़ाहिर होंगे तब वह अपना यह मुस्हफ़ यानि "असल कुरान" लेकर आर्येंगे। गोया अहल तशय्य (शिया) यह कुरान उस वक़्त तक के लिये ही कुबूल करते हैं। आमतौर पर उनकी तरफ़ यही बात मन्सूब है, लेकिन दौरे हाज़िर के बाज़ शिया उल्मा इस तसव्वुर के कायल नहीं हैं। एक शिया आलिमे दीन सय्यद हादी अली नक़वी ने बहुत शद व मद (विस्तार) के साथ इस तसव्वुर की नफ़ी की है और कहा है कि "हम इसी कुरान को मानते हैं, यही असल कुरान है और इसे मन व अन महफूज़ मानते हैं। हमारे नज़दीक कोई आयत इससे खारिज नहीं हुई और कोई शय बाहर से बाद में इसमें दाखिल नहीं हुई। यही जो "ذُنُفِين" यानि जिल्द के दो गतों के माबैन है, यही हकीकी और असली कुरान है।"

बहरहाल अगर हज़रत अली (रज़ि०) के पास ऐसा कोई मुस्हफ़ था जिसे आपने तरतीबे नुज़ूली के मुताबिक़ मुरतब किया था तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। अमली और हकीकी ऐतबार से कुरान हकीम पर गौरो फ़िक्र करने के लिये कुरान मज़ीद के बाज़ अंग्रेज़ी तर्जुमें में भी तरतीबे नुज़ूली के ऐतबार से सूरतों को मुरतब करके तर्जुमा किया गया है। (मुहम्मद इज़तु दरविज़ा ने भी अपनी तफ़सीर "अल् तफ़सीर अल् हदीस" में सूरतों को नुज़ूली ऐतबार से तरतीब दिया है।) अमली ऐतबार से इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन असल हुज्जत तरतीबे मुस्हफ़ की है। यह तरतीब तौकीफ़ी (अल्लाह के द्वारा बताया हुआ) है। यह मुहम्मद रसूल अल्लाह

ﷺ की दी हुई तरतीब है और यही तरतीब लौहे महफूज़ में है। असल कुरान तो वही है। अज़रूए अल्फ़ाज़े कुरानी:

{إِنَّهُ لَفُرْآنٌ كَرِيمٌ 77 77 فِي كِتَابٍ مَّكْتُوبٍ 78} (अल् वाक़िया:77-78) {إِنَّ هُوَ فُرْآنٌ مَّحِيذٌ 21 21 فِي لَوْحٍ مَّخْفُوظٍ 22} (अल् बुरुज:21-22)

"अल् इतक़ान फ़ी उलूमुल् कुरान" में जलालुद्दीन स्यूति रहि० ने बहुत ही ज़ोर और ताकीद के साथ किसी का यह कौल नक़ल किया है कि अगर तमाम इंसान और जिन्न मिल कर कोशिश कर लें तब भी तरतीबे नुज़ूली पर कुरान को मुरतब नहीं किया जा सकता। इसलिये कि इसके बारे में हमारे पास मुकम्मल मालूमात नहीं हैं। बहुत सी सूरतों के अंदर बाद में नाज़िल होने वाली आयतें पहले आ गई हैं और शुरु में नाज़िल होने वाली बाद में आई हैं। इस ऐतबार से एक-एक आयत के बारे में मुअय्यन करना और उसकी तरतीब के बारे में इज्मा नामुमकिन है। चुनाँचे असल मुस्हफ़ वही है जो हमारे पास है और इसकी तरतीब भी तौफीकी (अल्लाह के द्वारा बताया हुआ) है जो मुहम्मद रसूल ﷺ ने बताई है।

इस तरतीबे मुस्हफ़ के ऐतबार से इस दौर में सूरतों की एक नयी गुपिंग की तरफ़ रहनुमाई हुई है। मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही रहि० ने ख़ासतौर पर अपनी तवज्जह को नज़मे कुरान पर मरकूज़ किया, आयात का बाहमी रब्त तलाश किया। नेज़ यह कि आयतों की वह कौनसी क़द्र मुशतरक है जिसकी बिना पर उनको सूरतों में जमा किया गया--- फिर यह कि हर सूरत का एक अमूद और मरकज़ी मज़मून है, बज़ाहिर आयतें ग़ैर मरबूत (असंबंधित) नज़र आती हैं लेकिन दरहकीकत उनके माबैन (बीच) एक मन्तकी (वैचारिक) रब्त मौजूद है और हर आयत उस सूरत के अमूद (केंद्रीय विचार) के साथ मरबूत (संबंधित) है--- मज़ीद यह कि सूरतें जोड़ें

की शकल में हैं--- इन चीजों पर मौलाना फ़राही रहि० ने ज्यादा तवज्जह की। मौलाना इस्लाही साहब ने इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाया है।

इस बारे में एक इश्तबाह (शक) पैदा हो सकता है, जिसे रफ़ा (दूर) कर देना ज़रूरी है कि कुरान मज़ीद का यह पहलु इस ज़माने में क्यों सामने आया और इससे पहले इस पर ग़ौर क्यों नहीं हो सका? क्या हमारे अस्लाफ़ (पूर्वज) कुरान मज़ीद पर तदब्बुर का हक़ अदा नहीं करते थे? इस इस्तबाह (शक) को अपने ज़हन में न आने दें, इसलिये कि कुरान मज़ीद की शान यह है कि इसके अजायब (अजूबे) कभी ख़त्म नहीं होंगे। हुज़ूर ﷺ का अपना क़ौल है: "لَا تَقْضَىٰ عَجَابُهُ"। अगर कोई शख्स यह समझता है कि किसी खास दौर के मुहद्दीन, मुहक्कीन, मुफ़स्सरीन कुरान मज़ीद के इल्म का बतमाम व कमाल इहाता कर चुके तो वह सख़्त ग़लती पर है। अगर ऐसा होता तो यह कुरान मज़ीद पर भी तअन होता और खुद हुज़ूर ﷺ के इस क़ौल की भी नफ़ी होती। यह तो जैसे-जैसे ज़माना आगे बढ़ेगा कुरान मज़ीद के अजायब, इसकी हिकमतें, इसके उलूम (अध्ययन) व मारफ़ के नये-नये खज़ाने बरामद होते रहेंगे। चुनाँचे हमारा तर्ज़ अमल यह होना चाहिये कि मुताअला कुरान के बाद हम यह महसूस करें कि हमने अपनी इस्तताअत (क्षमता) के मुताबिक़ इसको सीखा है और बाद में आने वाले इसमें से कुछ और भी हासिल करेंगे, वह हमेशा इसके लिये कोशां रहेंगे, इसमें ग़ौरो फ़िक़र और तदब्बुर करते रहेंगे और नये-नये उलूम (अध्ययन) और नये-नये निक़ात इसमें से बरामद होते रहेंगे। अल्लाह तआला कि हिकमत में यही ज़माना इस इन्क़शाफ़ के लिये मुअय्यन था, और ज़ाहिर बात है कि हिकमते कुरानी का जो भी कोई नया पहलु दरयाफ़्त होगा वह किसी इंसान ही के ज़रिये से होगा। लिहाज़ा इसके लिये तबियत के अंदर बुअद महसूस ना करें। बहरहाल मौलाना फ़राही रहि० ने नज़्मे कुरान को

अपना खुसूसी मौजू (विषय) बनाया। वह तफ़्सीर कुरान लिखना चाहते थे मगर लिख नहीं सके, सिर्फ़ चंद सूरतों की तफ़ासीर उन्होंने लिखी हैं। उनमें से भी बाज़ ना-मुकम्मल हैं। वह एक मुफक्किर किस्म के इंसान थे मुसन्निफ़ किस्म के इंसान नहीं थे। मुफक्किर इंसान मुसलसल ग़ौर करता रहता है और उसके सामने नये-नये पहलू आते रहते हैं। चुनाँचे उनका तस्नीफ़ व तालीफ़ का अंदाज़ यह था कि उन्होंने मुख्तलिफ़ मौजूआत (विषयों) पर फ़ाइल खोल रखे थे। जब कोई नया ख़याल आता तो कागज़ पर लिख कर मुतालका फ़ाइल में शामिल कर लेते। यही वजह है कि उनकी अक्सर तसानीफ़ उनकी वफ़ात के बाद किताबी शकल में शायी (छपी) हुई हैं, जबकि उनके ज़माने में वह सिर्फ़ फ़ाइलों की शकल में थीं और किसी शय के छपने की नौबत आई ही नहीं। सोच-विचार का तसलसुल उनके आखिरी लम्हें तक जारी रहा। "मुकद्दमा निज़ामुल कुरान" वाकिअतन उनके फ़िक़र और सोच की सही नुमाइन्दगी (प्रतिनिधित्व) करता है। इस ज़िमन में उनके शागिर्द रशीद अमीन अहसन इस्लाही साहब ने बात को आगे बढ़ाया है। नज़्मे कुरान के बारे में इन हज़रात के नतीजे फ़िक़र के चंद निक़ात मुलाहिज़ा हों:

- (i) हर सूरत का एक अमूद (केंद्रीय विचार) है, जैसे एक हार की डोरी है उसमें मोती पिरोये हुए हैं। यह डोरी देखने वालों को नज़र नहीं आती, मोती नज़र आते हैं, लेकिन उनको बाँधने वाली शय तो डोरी है जिसमें वह पिरोये गए हैं। इसी तरह हर सूरत का एक मरकज़ी मज़मून या अमूद (केंद्रीय विचार) है जिसके साथ उसकी तमाम आयतें मरबूत (जुड़ी) हैं।
- (ii) कुरान मज़ीद की अक्सर सूरतें जोड़ों की शकल में हैं और यूँ कह सकते हैं कि एक ही मज़मून का एक रुख़ एक सूरत में आ जाता है और उसी

का दूसरा रुख उस जोड़े के दूसरे हिस्से में आकर मज़मून की तकमील कर देता है। मौलाना इस्लाही साहब ने भी ऐसा ही फ़रमाया है। अलबत्ता जहाँ तक इस उसूल के इन्तबाक़ (अनुपालन) का ताल्लुक है इसमें इख़ितलाफ़ की गुंजाइश है और जो हज़रात मेरे दरसों में तसलसुल (sequence) से कसरत करत रहे हैं उन्हें मालूम है कि मुझे बहुत से मौकों पर इस्लाही साहब से इख़ितलाफ़ भी है, लेकिन उसूलन यह बात दुरुस्त है कि कुरान मजीद की अक्सर सूरतें जोड़ों की शक़ल में हैं। ताहम बाज़ सूरतें मुनफ़रिद हैसियत की मालिक हैं, उनका जोड़ा उस जगह पर मौजूद नहीं है। अगरचे मैंने तहकीक़ की है कि अक्सर व बेशतर ऐसी सूरतों के जोड़े भी मायनन कुरान में मौजूद हैं। मसलन सूरह अल् नूर तन्हा और मुनफ़रिद है, सूरह अल् अहज़ाब भी मुनफ़रिद और तन्हा है, लेकिन यह दोनों आपस में जोड़ा हैं और इनमें जोड़ा होने की निस्बत ब-तमाम व कमाल मौजूद है। इसी तरह सूरह अल् फ़ातिहा मुनफ़रिद (अनोखी) है। वह तो इस ऐतबार से भी मुनफ़रिद (अनोखी) है कि वाकिअतन उसका ब-तमाम व कमाल जोड़ा बनना मुमकिन नहीं, वह अपनी जगह पर कुरान हकीम और سَيِّعًا مِنَ الْمَثَانِي है, लेकिन सूरह अन्नास में गौर करें तो मायनन यह सूरत सूरह अल् फ़ातिहा का जोड़ा बनती है। इसलिये कि सूरह अल् फ़ातिहा में इस्तआनत (मदद) है और सूरह अन्नास में इस्तआज़ह (शरण)। फिर सूरतुल फ़ातिहा में अल्लाह तआला की तीन शानें रब, मालिक, इलाह हैं और यही तीन शानें सूरतुन्नास में भी हैं।

(iii) तिलावत के लिये सात मंज़िलों के अलावा कुरान हकीम में सूरतों की एक मायनवी गुपिंग भी है। इस ऐतबार से भी सूरतों के सात गुप हैं और हर गुप में एक मक्की और मदनी दोनों तरह की सूरतें शामिल

हैं। हर गुप में एक या एक से ज़्यादा मक्की सूरतें और उसके बाद एक या एक से ज़्यादा मदनी सूरतें हैं। एक गुप की मक्की और मदनी सूरतों में वही निस्बत है जो एक जोड़े की दो सूरतों में होती है। जैसे एक मज़मून की तकमील एक जोड़े की सूरतों में होती है, यानि एक रुख एक फ़र्द में और दूसरा रुख दूसरे फ़र्द में, इसी तरह हर गुप का एक मरकज़ी मज़मून और अमूद (केंद्रीय विचार) है, जिसका एक रुख मक्की सूरतों में और दूसरा रुख मदनी सूरतों में आ जाता है। इस तरह गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करके नये मैदान सामने आ रहे हैं। जो इन्सान भी इनका अमूद मुअय्यन करने में ग़ौरो फ़िक्र करेगा वह किसी नतीजे पर पहुँचेगा, अगरचे अमूद मुअय्यन करने में इख़ितलाफ़ हो सकता है। सबसे बड़ा गुप पहला है जिसमें मक्की सूरत सिर्फ़ एक यानि सूरतुल फ़ातिहा जबकि मदनी सूरतें चार हैं जो सवा छः पारों पर फैली हुई है, यानि सूरतुल बकरह, आले इमरान, अल् निसा और अल् मायदा। दूसरा गुप इस ऐतबार से मुतवाज़िन है कि उसमें दो सूरतें मक्की और दो मदनी हैं। सूरतुल अनआम और सूरतुल आराफ़ मक्की हैं जबकि सूरतुल अन्फ़ाल और सूरतुल तौबा मदनी हैं। तीसरे गुप में सूरह युनुस से सूरह अल् मोमिनून तक चौदह मक्की सूरतें हैं। यह तकरीबन सात पारे बन जाते हैं। इसके बाद एक मदनी सूरत है और वह सूरतुल नूर है। इसके बाद चौथे गुप में सूरतुल फ़ुरक़ान से सूरतुल सज्दा तक मक्कियात हैं, फिर एक मदनी सूरत सूरतुल अहज़ाब है। पाँचवें गुप में सूरह सबा से लेकर सूरतुल अहकाफ़ तक मक्कियात हैं, फिर तीन मदनी सूरतें हैं, सूरह मुहम्मद, सूरतुल फ़तह और सूरह अल् हुजरात हैं। इसके बाद छठे गुप में फिर सूरह काफ़ से सूरतुल वाक़िया तक सात मक्कियात हैं जिनके बाद फिर दस मदनियात हैं सूरह अल्

हदीद से सूरह अल् तहरीम तक। इसी तरह सातवें गुप में भी पहले मक्की सूरतें हैं और आखिर में दो मदनी सूरतें हैं। इस तरह यह सात गुप बनते हैं। यह गुप मौलाना इस्लाही साहब के मुस्तब करदा हैं, इनमें पहला और आखिरी गुप इस ऐतबार से अक्सी निस्बत रखते हैं कि पहले गुप में सिर्फ एक सूरत सूरह फ़ातिहा मक्की है और सवा छः पारों पर मुश्तमिल चार तवील-तरीन सूरतें मदनी हैं, जबकि आखिरी गुप में सूरतल मुल्क से लेकर पूरे दो पारे तकरीबन मक्कियात पर मुश्तमिल हैं, आखिरी में सिर्फ दो सूरतें "मौअव्वज़तैन" मदनी हैं। यानि यहाँ निस्बत बिल्कुल अक्सी है। लेकिन दूसरा गुप भी मुतवाज़िन है, यानि दो सूरतें मक्की, दो मदनी-- और छठा गुप भी मुतवाज़िन है कि उसमें सात सूरतें मक्की हैं (सूरह काफ़ से सूरह वाक़िया तक) जबकि दस सूरतें मदनी हैं (सूरह अल् हदीद से सूरह अल् तहरीम तक) लेकिन हुज्म (volume) के ऐतबार से तकरीबन बराबर हैं। यह भी ग़ौरो फ़िक्र और सोच-विचार का एक मौजू है और इससे भी कुरान मजीद की हिकमत व हिदायत और उसके इल्म के नये-नये गोशे (corner) सामने आ रहे हैं।

कुरान हकीम की सूरतों के जोड़े होने का मामला कुरान मजीद में बाज़ जगहों पर तो बहुत ही नुमाया है। "अल् मौअव्वज़तैन" आखिरी दो सूरतें हैं जो तअव्वुज़ पर मुश्तमिल हैं: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْقُ} और {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} इसी तरह "अज़ ज़हरावैन - दो निहायत ताबनाक सूरतें" अल् बकरह और आले इमरान हैं। हुज़ूर ﷺ इन दोनों को भी एक नाम दिया जैसे आखिरी दो सूरतों को एक नाम दिया। इसी तरह सूरतुल मुज़म्मिल और सूरतुल मुदस्सिर में और सूरह अद् दुहा और सूरह अलम नशरह में मायनवी रब्त है। सूरह अल् तहरीम और सूरह अत् तलाक़ में तो यह रब्त बहुत ही नुमाया

है। दोनों सूरतों का आगाज़ बिल्कुल एक जैसा है: {بِأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} और {بِأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} गहरी मुनासबत है। इसके बाद सूरह अस्सफ़ और सूरतुल जुमा का जोड़ा है। सूरह अस्सफ़ ﷻ से और सूरतुल जुमा ﷻ के अल्फ़ाज़ से शुरु हो रही हैं। सूरह अस्सफ़ की मरकज़ी आयत जो रसूल ﷺ के मक़सदे बेअसत को मुअय्यन कर रही है {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ} (आयत:9) है, जबकि सूरतुल जुमा की मरकज़ी आयत जो हुज़ूर ﷺ के इन्क़लाब का असासी मिन्हाज मुअय्यन कर रही है {بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} (आयत:2) है। बहरहाल सूरतों का जोड़ा होना, सूरतों का गुप की शकल में होना, इन गुप्स का अपना एक अमूद और एक मरकज़ी मज़मून होना, फिर इसके दो रुख बन जाना जो इसकी मक्कियात और मदनियात में आते हैं, कुरान मजीद के इल्म व हिकमत के खज़ाने के वह दरवाज़े हैं जो अब खुले हैं। इस तरह दरवाज़े हर दौर में खुलते रहे हैं और आइन्दा भी खुलते रहेंगे। चुनाँचे कुरान मजीद पर तज़क्कुर (याद) और तदब्बुर (सोच-विचार) तसलसुल (निरंतर) के साथ जारी रहना चाहिये।

पीछे सात मंज़िलों और सात अहज़ाब का ज़िक्र हो चुका। अब मक्की और मदनी सूरतों के सात गुप्स का बयान हुआ। यह दोनों किस्म के गुप दो जगह पर आकर मिल जाते हैं। पहली मंज़िल तो सूरह अल् निसा पर खत्म हो जाती है और पहला गुप सूरह मायदा पर खत्म होता है। सूरह अल् तौबा पर दूसरी मंज़िल भी खत्म होती है और दूसरा गुप भी खत्म होता है। सूरह यूनुस से तीसरी मंज़िल शुरु होती है और तीसरा गुप भी शुरु होता है। इसी तरह एक मक़ाम और है। सूरह काफ़ से आखिरी मंज़िल भी शुरु हो रही है और उसी से छठा गुप भी शुरु हो रहा है। सूरह काफ़ छठे गुप की

पहली मक्की सूरत है। यह छठा ग्रुप सूरह अल् तहरीम पर खत्म हो जाता है और आखिरी ग्रुप सूरतुल मुल्क से शुरु होता है, लेकिन जो मंज़िल सूरह काफ़ से शुरु होती है वह सूरह अन्नास तक एक ही है।

यह वह चीज़ें हैं जो मालूमात के दर्जे में सामने रहें और ज़हन में मौजूद रहें तो इंसान जब ग़ौर करता है तो इनके हवाले से बाज़ अवकात हिकमत के बड़े कीमती मोती हाथ लगते हैं।



बाब चाहरम (चौथा)

तद्वीने कुरान (कुरान की परिपूर्ति)

कुरान मजीद की तद्वीन के बारे में यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि यह रसूल अल्लाह ﷺ की हयाते तैय्यबा में मुकम्मल हो गयी थी। किसी शायर का दीवान उसकी गज़लों और कसीदों पर मुश्तमिल होता है। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और उसकी भी तद्वीन हुई है। यह भी एक दीवान की शकल में है, इसको भी जमा किया गया है। जमा व तद्वीने कुरान अपनी जगह पर बहुत अहम मौजू (विषय) है। इसके बारे में खास मालूमात हमारे ज़हनों में हर वक़्त मुसतहज़र (याद) रहनी चाहिये, क्योंकि आमतौर पर अहले तशय्यो के हवाले से हमारे यहाँ जो चीज़ें मशहूर हैं (वल्लाहु आलम वह हकीकत पर मब्नी हैं या महज़ मुखालिफ़ीन का प्रोपेगंडा है) इनकी वजह से लोगों के ज़हनों में शुबहात पैदा हुए हैं और वह काफ़ी बड़े हलके के अंदर फैले हैं।

हमारे यहाँ जुमे के ख़ुत्बे जो मुरत्तब किये गए हैं और आम खतीब पढ़ते हैं, उनमें भी ऐसे अल्फ़ाज़ आ गये हैं जो बहुत बड़े-बड़े मुग़ालतों की बुनियाद बन गये हैं। हो सकता है किसी दुश्मने इस्लाम ने, किसी बातिनी ने, किसी ग़ाली क्रिस्म के राफ़दी ने यह अल्फ़ाज़ शामिल कर दिये हों। बज़ाहिर तारीफ़ हो रही है मगर हकीकत में तनकीस हो रही है और दीन की जड़ काटी जा रही है। इसकी मिसाल भी इसी तद्वीने के ज़ेल (below) में आयेगी।

कुरान मजीद की तद्वीन तीन मराहिल (steps) में मुकम्मल हुई। पहली तद्वीन रसूल अल्लाह ﷺ की हयाते तैय्यबा में हो गई थी, लेकिन वह तद्वीन उस शकल में थी कि सूरतें मुअय्यन हो गईं, सूरतों की तरतीब मुअय्यन हो गई। किताबी शकल में कुरान मजीद हुजूर ﷺ की हयाते तैय्यबा में मौजूद नहीं था। लोगों के पास मुख्तलिफ हिस्सों में लिखा हुआ कुरान था। लोग ऊँट के शाने (shoulder) की हड्डी (जो काफी चौड़ी होती है) पर लिखते थे या कुल्हे की हड्डी पर लिखा जाता था। ऊँट की पसलियाँ (ribs) भी बड़ी चौड़ी होती हैं यह भी इस मकसद के लिये इस्तेमाल होती थीं। कागज़ उस ज़माने में कहाँ था, कपड़ा ज़्यादा दस्तयाब था, लिहाज़ा कपड़े पर भी लिखा जाता था। इसी तरह छोटे-छोटे पत्थरों पर भी आयात लिख लेते थे। याद रहे कि कुरान मजीद की असल हैसीयत "कौल" की है: { إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ } (अल् हाक्का:40) ना तो यह हुजूर ﷺ को लिखी हुई शकल में दिया गया ना हुजूर ﷺ ने लिखी हुई शकल में उम्मत को दिया। हुजूर ﷺ को भी यह पढ़ाया गया है। अज़ रुए अल्फ़ाज़े कुरानी:

"हम आपको पढ़ायेंगे, फिर आप भूलेंगे नहीं।"

سَتُفَرِّقُكَ فَلَ تَنْسَى

(अल् आला:6)

यह अक्वलन कौले जिब्राईल (अलै०) फिर कौले मुहम्मद ﷺ बन कर लोगों के सामने आया। जिब्राईल (अलै०) से हुजूर ﷺ ने सुना, हुजूर ﷺ से सहाबा (रज़ि०) ने सुना। चुनाँचे असल में तो कुरान पढ़ी जाने वाली शय है। लेकिन जैसे-जैसे कुरान नाज़िल होता आप ﷺ उसे लिखवा भी लेते। बाज़ सहाबा किराम (रज़ि०) किताबते वही की ज़िम्मेदारी पर मामूर (तैनात) थे। और

हुजूर ﷺ ने इस बात का हुक्म भी दे दिया था कि ((لَا تَكْتُبُوا)) "मेरी तरफ़ से सिवाये कुरान के कुछ ना लिखो।"

अहादीस को लिखने से हुजूर ﷺ ने मना फ़रमा दिया था ताकि कहीं अल्लाह और रसूल ﷺ का कलाम गडमड ना हो जाये, सिर्फ़ कुरान मजीद को ही लिखने का हुक्म दिया। लेकिन असल कुरान अल्लाह ताला ने हुजूर ﷺ के सीने में जमा किया और मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ ने सहाबा (रज़ि०) के सीनों में जमा कर दिया। वह कौल से कौल की शकल में गया है, लोगों ने हुजूर ﷺ के दहन मुबारक से सीखा है। बहरहाल रसूल ﷺ के दौर में लिखा हुआ कुरान भी था लेकिन किताबी शकल में जमाशुदा नहीं था। जमाशुदा शकल में सिर्फ़ सीनों में था, हुफ़फ़ाज़ को याद था। उन्हें याद था कि कुरान इस तरतीब के साथ है। इसके लिये सबसे बड़ी दलील यह है कि सही रिवायात के मुताबिक़ हर रमज़ानुल मुबारक में जितना कुरान उस वक़्त तक नाज़िल हो चुका था, हुजूर ﷺ और हज़रत जिब्राईल (अलै०) उसका दौर करते थे, जैसा कि हमारे यहाँ रमज़ान के आने से पहले हुफ़फ़ाज़ दौर करते हैं, एक हाफ़िज़ सुनाता है, दूसरा सुनता है ताकि तरावीह में सुनाने के लिये ताज़ा हो जाये। तो रमज़ानुल मुबारक में हुजूर ﷺ और हज़रत जिब्राईल (अलै०) मुजाकरह करते थे, कुरान मजीद का दौर होता था। आप ﷺ की ज़िन्दगी के आखरी रमज़ान में आप ﷺ ने जिब्राईल (अलै०) से कुरान मजीद का दो मरतबा मुकम्मल दौर किया। चुनाँचे जहाँ तक हाफ़जे में और सीने में कुरान का मुदत्विन हो जाना है वह तो नबी अकरम ﷺ की हयात तैय्यबा के दौरान मुकम्मल हो गया था।

तद्वीने कुरान का दूसरा मरहला हज़रत अबुबकर (रज़ि०) के अहदे ख़िलाफ़त में आया जब मुरतद्दीन (वह शख्स जो इस्लाम क़बूल करने के बाद फिर दोबारा काफ़िर, यहूद या इसाई हो जाये) और मानिईन ज़कात

(जकात देने से मना करने वाले) से जंगे हुई। जंगे यमामा में तो बहुत बड़ी तादाद में सहाबा (रज़ि०) शहीद हुए। यह बड़ी खूबेज जंग थी और इसमें कसीर तादाद में हुफ्फाज़े कुरान शहीद हो गए तो तशवीश पैदा हुई और यह खयाल आया कि इस कुरान को अब किताबी शकल में जमा कर लेना चाहिये। यह खयाल सबसे पहले हज़रत उमर (रज़ि०) के दिल में आया। हज़रत उमर (रज़ि०) ने यह बात हज़रत अबुबकर (रज़ि०) से कही तो वो बड़े मुतरद्दिद (परेशान) हुए कि मैं वह काम कैसे करूँ जो हुज़ूर ﷺ ने नहीं किया! लेकिन हज़रत उमर (रज़ि०) इसरार (आग्रह) करते रहे और रफ्ता-रफ्ता हज़रत अबुबकर (रज़ि०) को भी इस पर इन्शाराहे सद्र हो गया (दिल ने मान लिया)। उन्होंने हज़रत उमर (रज़ि०) से कहा कि अब तुम्हारी इस बात के लिये अल्लाह ने मेरे सीने को कुशादाह (बड़ा) कर दिया है। इसके बाद यह जिम्मेदारी हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि०) पर डाली गयी जो हुज़ूर ﷺ के ज़माने में कातिबे वही थे। आप ﷺ के चंद खास सहाबा जो किताबते वही पर मामूर (तैनात) थे, उनमें हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि०) बहुत मारूफ़ (मशहूर) थे। उनसे हज़रत अबुबकर (रज़ि०) ने फ़रमाया कि तुम यह काम करो, और उनके साथ कुछ और सहाबा की एक कमेंटी तशकील दे दी (गठित कर दी)। वह भी पहले बहुत मुतरद्दिद रहे। उनकी दलील भी यह थी कि जो काम हुज़ूर ﷺ ने नहीं किया वह मैं कैसे करूँ! इलावज़ह (इससे बड़ी बात) यह तो पहाड़ जैसी जिम्मेदारी है, यह मैं कैसे उठाऊँ! लेकिन जब हज़रत अबुबकर और उमर (रज़ि०) दोनों का इसरार (आग्रह) हुआ तो उनका भी सीना खुल गया। फिर जिन सहाबा (रज़ि०) के पास कुरान हकीम का जो हिस्सा भी लिखी हुई शकल में था, उनसे लिया गया और मुख्तलिफ़ शहादतों और हुफ्फाज़ की मदद से अहदे सिद्दीक़ी में कुरान पाक को एक किताब की शकल में मुरत्तब (जमा) कर

लिया गया। याद रहे कि एक किताब की शकल में भी कुरान मजीद की तद्वीन रसूल अल्लाह ﷺ के इन्तेकाल के दो साल के अंदर-अंदर मुकम्मल हो गई। हज़रत अबुबकर (रज़ि०) का अहदे ख़िलाफ़त कुल सवा दो बरस हैं।

हज़रत अबुबकर (रज़ि०) की मजलिसे शूरा में यह मसला भी ज़ेरे गौर आया कि हुज़ूर ﷺ के ज़माने में तो कुरान एक जिल्द के माबैन जमा नहीं किया गया, लिहाज़ा इसका नाम क्या रखा जाए! एक तजवीज़ यह आयी कि इसे भी इन्जील का नाम दिया जाये। एक राय यह दी गयी कि इसका नाम "सफ़र" हो, इसलिये कि सफ़र का लफ़्ज़ तौरात की किताबों के लिये मारूफ़ चला आ रहा था, जैसे सफ़र अय्यूब एक किताब थी। तो सफ़र किताब को कहते हैं जिस की जमा "असफ़र" है और यह लफ़्ज़ कुरान में भी आया है। सफ़र का लफ़्ज़ी मतलब है रोशनी देने वाली। फिर अबदुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि०) ने तजवीज़ पेश की कि इसका नाम "मुस्हफ़" होना चाहिये। उन्होंने कहा कि मेरा आना-जाना हब्शा होता है, वहाँ के लोगों के पास एक किताब है और वह उसे मुस्हफ़ कहते हैं। अब "मुस्हफ़" के लफ़्ज़ पर इतेफ़ाक़ और इज्माअ हो गया। चुनाँचे कुरान के लिये हज़रत अबुबकर (रज़ि०) के अहदे ख़िलाफ़त में हज़रत अबदुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि०) की तजवीज़ पर मुस्हफ़ नाम रखा गया और इस पर लोगों का इज्माअ हुआ। तद्वीने कुरान का यह दूसरा मरहला है।

कुरान हकीम की तिलावत के ज़िम्न में एक मामला चला आ रहा था, जैसा कि हदीस में आता है कि कुरान मजीद सात हुरूफ़ पर नाज़िल हुआ था। अरबों की ज़बान तो एक थी लेकिन बोलियाँ मुख्तलिफ़ थीं, अल्फाज़ के लहजे मुख्तलिफ़ थे। तो सब लोगों को इजाज़त दी गई थी कि वह अपने-अपने लहजे के अंदर कुरान पढ़ लिया करें ताकि सहूलत रहे, वरना बड़ी

मशक़क़त की ज़रूरत थी कि सब लोग अपने लहजे बदलें। यह वह ज़माना था कि इन्क़लाबी जद्दो-जहद का tempo इतना तेज़ था कि इन कामों के लिये ज़्यादा फ़ुरसत नहीं थी कि इसके लिये बाक़ायदा इदारे कायम हों, मुख्तलिफ़ जगहों से लोग आर्यें और अपना लहजा बदल कर कुरैश के लहजे के मुताबिक़ करें, हिजाज़ी लहजा इख़्तियार करें। चुनाँचे इजाज़त दी गई थी कि अपने-अपने लहजों में पढ़ लें। मुख्तलिफ़ लहजों में पढ़ने के साथ कुछ लफ़्ज़ी फ़र्क़ भी आने लगे। हज़रत उस्मान (रज़ि०) के ज़माने तक पहुँचते-पहुँचते नौबत यह आ गई कि मुख्तलिफ़ लहजों में लफ़्ज़ी फ़र्क़ के साथ भी कुरान पढ़ा जाने लगा। कोई शख्स कुरान पढ़ रहा होता, दूसरा कहता कि यह गलत पढ़ रहा है, यह यूँ नहीं है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वह सही है। इस पर उस जज़्बाती क्रौम के अंदर तलवारें निकल आती थीं। अंदेशा हुआ कि अगर इस तरह से ये बात फैल गई तो कुरान का कोई एक टेक्स्ट (text) मुत्तफ़िक़ अलैह नही रहेगा। उम्मत को जमा करने वाली शय तो यह कुरान ही है, इसमें लफ़्ज़ी फ़र्क़ के नतीजे में दाइमी (अविनाशी) इफ़तेराक़ (विभाजन) व इन्तेशार (गड़बड़) पैदा हो जायेगा। चुनाँचे हज़रत उस्मान (रज़ि०) ने सहाबा (रज़ि०) के मशवरे से तय किया कि कुरान का एक टेक्स्ट (text) तैयार किया जाये। इस टेक्स्ट के लिये लफ़्ज़ "रस्म" है। रस्मुल ख़त का लफ़्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। "अबत" हुरूफ़ है, लेकिन अरबी में लिखे जाएँगे तो इनका रस्मुल ख़त कुछ और है, उर्दू में लिखे जाएँगे तो इनकी शक़ल और है। हज़रत उस्मान (रज़ि०) ने एक रस्मुल ख़त और एक टेक्स्ट पर कुरान जमा किया। उन्होंने भी एक कमेटी बनाई और हुक्म दे दिया गया कि तमाम लहजों को रद्द करके कुरैश के लहजे पर कुरान का टेक्स्ट तैयार किया जाये जो मुत्तफ़िक़ अलैह टेक्स्ट होगा। चुनाँचे इस कमेटी ने बड़ी मेहनत शाक्का से इस काम की तकमील की।

इस तरह कुरान का रस्मुल ख़त मुअय्यन हो गया और मुत्तफ़िक़ अलैह टेक्स्ट वजूद में आ गया। रस्मे उस्मानी के मुताबिक़ सूरह फ़ातिहा में "ملك يوم الدين" लिखा जायेगा, लिखने की शक़ल यह नहीं होगी: "ملك يوم الدين"। एक किरात में चूँकि مَلِك भी है तो "ملك" को "مَلِك" भी पढ़ा जा सकता है और "مَلِك" भी। तो यह बहुत बड़ा कारनामा है जो हज़रत उस्मान (रज़ि०) ने सहाबा (रज़ि०) के मशवरे से सरअंजाम दिया कि कुरान का एक रस्मुल ख़त मुअय्यन हो गया और मसाहिफ़े उस्मान (रज़ि०) तैयार हो गये। बाज़ रिवायात के मुताबिक़ उसकी चार नकूल (copies) तैयार की गई, बाज़ रिवायात के मुताबिक़ पाँच और बाज़ में सात का अदद भी मिलता है। उनमें से एक मुस्हफ़ official version के तौर पर मदीने में रखा गया और बाकी नक़लें मक्का मुकर्रमा, दमिश्क़, कूफ़ा, यमन, बहरीन और बसरह को भेज दी गई। उनमें से कोई-कोई नक़ल अब भी मौजूद है। तुर्की और ताशक़न्द में वह "मुसाहिफ़े उस्मानी" मौजूद हैं जो हज़रत उस्मान (रज़ि०) ने तैयार कराये थे।

यहाँ एक अहम बात तवज्जोह तलब है कि हमारे यहाँ खुत्बाते जुमा में बाज़ ख़तीब ये जुमला पढ़ जाते हैं: "جامع آيات القرآن عثمان بن عفان رضی الله عنه" यहाँ हम-काफ़िया अल्फ़ाज़ जमा करके सौती आहंग के साथ एक खास अन्दाज़ पैदा किया गया है, लेकिन यह अल्फ़ाज़ इस क़दर गलत और इतने गुमराहकुन हैं कि इससे यह तसव्वुर पैदा होता है कि आयाते कुरानिया को सबसे पहले हज़रत उस्मान (रज़ि०) ने जमा किया। यह बात कुरान पर से ऐतमाद को हटा देने वाली है। आयाते कुरानिया तो रसूल अल्लाह ﷺ के ज़माने में जमा हो चुकी थीं, सूरतें हुज़ूर ﷺ के ज़माने में वजूद में आ चुकी थीं, सूरतों की तद्वीन ही नहीं तरतीब भी हुज़ूर ﷺ के ज़माने में अमल में आ चुकी थी। किताबी शक़ल में कुरान अबुबकर (रज़ि०) के ज़माने में जमा

हुआ। हज़रत उस्मान (रज़ि०) और अबुबकर (रज़ि०) के ज़माने में दस-पन्द्रह साल का फसल है। अगर "جامع آيات القرآن" हज़रत उस्मान (रज़ि०) को करार दिया जाये तो कोई शख्स कह सकता है कि कुरान की तद्वीन हुज़ूर ﷺ के पन्द्रह या बीस साल बाद हुई है। हज़रत उस्मान (रज़ि०) का अहदे खिलाफत बारह बरस है और हुज़ूर ﷺ के इन्तेकाल के 24 बरस के बाद उनका इन्तेकाल हुआ। तो इस तरह कुरान के मतन (text) के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किये जा सकते हैं, जबकि हकीकत यह है कि हज़रत उस्मान (रज़ि०) आयाते कुरानी के जमा करने वाले नहीं हैं बल्कि उम्मत को कुरान के एक टेक्स्ट और रस्मुल खत पर जमा करने वाले हैं। इसलिये आज दुनिया में जो मुस्हफ मौजूद हैं यह "मुस्हफे उस्मान" कहलाता है। इसका नाम "मुस्हफ" हज़रत अबुबकर (रज़ि०) ने रखा था और मुस्हफे उस्मान में रस्मुल खत और टेक्स्ट मुअय्यन हो गया कि अब कुरान इसी तरीके से लिखा जायेगा और यही पूरी दुनिया के अंदर official टेक्स्ट है।

हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर कुरान पाक की इशाअत (प्रकाशन) के इदारे रस्मे उस्मानी का पूरा अहतमाम नहीं करते और इस ऐतबार से उनमें रस्म की गलतियाँ भी आ जाती हैं, इसलिये कि उनके सामने अपने-अपने मफ़ादात (फ़ायदे) होते हैं यानी कम खर्च से ज़्यादा नफ़ा हासिल करने की कोशिश---- लेकिन अब सऊदी हुकूमत ने इसका अहतमाम करके बड़ी नेकी कमाई है। कुरान मजीद की हिफाज़त के हवाले से एक नेकी मिस्र ने कमाई थी। जब इस्राईल ने किराअते कुरान मजीद के अन्दर तहरीफ़ करके उसको आम करने की कोशिश की तो हुकूमते मिस्र ने अपने चोटी के कुराअ, क़ारी महमूद खलील हुसरी और अब्दुल बासित अब्दुस्समद से पूरा कुरान मजीद मुख्तलिफ़ किरातों में तिलावत कराया और उनके केसिट्स तैयार करके दुनिया में फैला दिये कि अब गोया वह रेफ़रेंस का काम देंगे।

उनके होते हुए अब किसी के लिये मुमकिन नहीं है कि इस तरह किरात के हवाले से कुरान में कोई तहरीफ़ कर सके। इसी तरह सऊदी अरब की हुकूमत ने करोड़ों रुपये के खर्च से बहुत बड़ी फाउंडेशन बनाई है, जिसके ज़ेरे अहतमाम बड़े उम्दा आर्ट पेपर पर आलमी मैयार (quality) की बड़ी उम्दा जिल्द के साथ लाखों की तादाद में यह कुरान मजीद छापे जा रहे हैं, जो हज़रत उस्मान (रज़ि०) के मुअय्यन करदा रस्मुल खत के मुताबिक़ हैं।

बहरहाल हज़रत उस्मान (रज़ि०) "جامع آيات القرآن" की बजाये "جامع الأمة على رسم واحد" यानी उम्मत को कुरान हकीम के एक रस्मुल खत पर जमा करने वाले हैं। यह तद्वीन भी हुज़ूर ﷺ के इन्तेकाल के 24 बरस के अंदर मुकम्मल हो गई। यही वजह है कि दुनिया मानती है और तमाम मुस्तशरिक़ (orientalist) मानते हैं कि जितना ख़ालिस मतन (pure text) कुरान का दुनिया में मौजूद है, किसी दूसरी किताब का मौजूद नहीं है। यह बात "الفضل ما شهدت به الاعداء" का मिस्दाक़ है, यानी फ़ज़ीलत तो वह है, जिसको दुश्मन भी तस्लीम करने पर मजबूर हो जाये। और यह किसी शय की हक्कानियत (सत्यता) के लिये आख़री सबूत होता है। पस यह बात पूरी दुनिया में मुसल्लम (accepted) है कि कुरान हकीम का टेक्स्ट महफूज़ है या जितना महफूज़ टेक्स्ट कुरान का है इतना और किसी किताब का नहीं है। यानी किरात के फर्क़ भी रिकॉर्ड पर हैं, सबाअ (सात) किरात और अशरा (दस) किरात रिकॉर्ड पर हैं, उनमें भी एक-एक हर्फ़ का मामला मदवन (recorded) है कि फ़लॉ किरात में यह लफ़ज़ ज़बर के साथ पढ़ा गया है या ज़ेर के साथ। और यह तमाम official किरात हैं। बाकी जहाँ तक रस्मुल खत का ताल्लुक़ है उसका टेक्स्ट हज़रत उस्मान (रज़ि०) ने मुअय्यन कर दिया। उम्मते मुस्लिमा पर यह उनका बहुत बड़ा अहसान

हैं। कुरान हकीम की compilation और उसकी तद्वीन के मुताल्लिक यह चीजें ज़हन में रहनी चाहिये। यह हकाईक सामने ना हों तो कुछ लोग ज़हनों में शुक्क व शुबहात पैदा कर सकते हैं।



बाब पन्जम (पाँचवा)

कुरान मजीद का मौजू

अब हम अगली बहस पर आते हैं कि कुरान का मौजू क्या है। क्या कुरान फ़लसफ़े की किताब है? क्या यह साइंस की किताब है? क्या यह जियोलॉजी या फिज़िक्स की किताब है? किस किस्म की किताब है? तो पहली बात यह समझिये कि कुरान का मौजू है इंसान--- लेकिन इंसान की एनाटोमी, उसकी फिज़ियोलॉजी या anthropology नहीं है, बल्कि इंसान की हिदायत। यह हिदायत का लफ़्ज़ कुरान मजीद के लिये बुनियादी हैसियत रखता है। चुनाँचे देखिये सूरतुल बकरह के शुरु ही में फ़रमाया: {هُدًى لِّلنَّاسِ} (आयत:2) फिर उसके वस्त (बीच) में इर्शाद हुआ: {هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} (आयत:185) यानि पूरे नोए इंसानी के लिये हिदायत। सूरह यूनुस में फ़रमाया: {هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ} (आयत:57)। सूरह लुक़मान में फ़रमाया: {هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ} (आयत:3)। सूरह बकरह (आयत:97) और सूरह नम्ल (आयत:2) में {هُدًى وَبُشْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ} जबकि सूरह आले इमरान में {هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُتَّقِينَ} (आयत:138) और सूरतुल मायदा में {هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُتَّقِينَ} (आयत:46) के अल्फ़ाज़ आये। मालूम हुआ कि "هُدًى" का लफ़्ज़ कुरान हकीम के लिये कसरत के साथ आया है। फिर यह सिर्फ़ नकरह नहीं "ال" के साथ मारफा बन कर भी कई जगह आया है। तीन मर्तबा तो इस आयत मुबारका में आया जो रसूल अल्लाह ﷺ के मक़सदे बअसत को बयान करती है: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ} (अल् तौबा: 33, अल् फ़तह:28, अस् सफ़:9) هُدًى नकरह था, اَلْهُدَى मारफ़ा हो गया। यानि हिदायते कामिला, हिदायते ताम्मा, हिदायते अब्दी। इसी तरह सूरह अल्

नज्म (आयत:23) में फ़रमाया: { وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ }। सूरतुल जिन्न का आगाज़ जिन्नात की एक जमात के इस क़ौल: { إِنَّا سَمِعْنَا فُرْأْنَا عَجَبًا } (आयत:1) से होता है। आगे चल कर अल्फ़ाज़ आते हैं: { وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ } (आयत:13) गोया सूरतुल जिन्न ने मुअय्यन किया कि "فُرْأْنَا عَجَبًا" और "الْهُدَىٰ" मुतरादिफ़ (बराबर) अल्फ़ाज़ हैं। सूरह बनी इस्राईल और सूरह अल् कहफ़ में आया है:

"क्या शय है जो लोगों को ईमान लाने से रोकती है जबकि उनके पास अल् हुदा आया है?" (बनी इसराइल:94, अल् कहफ़:55)

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ

तो गोया कुरान का मौजू है इंसान की हिदायत।

अब यह बात ज़हन में रखिये कि इंसान के इल्म के दो गोशे (corner) हैं, इल्मे इंसानी दो हिस्सों में मुन्कसिम (विभाजित) है। मशहूर कहावत है: (الْعِلْمُ عِلْمَانِ: عِلْمُ الْأَنْدَانِ عِلْمٌ وَ الْأَنْدِيَانِ) एक हिस्सा है माददी दुनिया (Physical World) का इल्म, माददी हकाइक का इल्म, जो हवास (senses) के ज़रिये से हासिल होता है। देखना, सुनना, सूँघना, चखना, छूना हमारे हवासे खम्सा (five senses) हैं। यह तमाम सलाहियतें हैं जिनसे कुछ मालूमात हासिल होती हैं और अक्ल का कंप्यूटर इनको प्रोसेस करता है, इनसे नतीजे निकालता है और उन्हें स्टोर कर लेता है। फिर हवास के ज़रिये से मज़ीद (ज़्यादा) कोई मालूमात हासिल होती है तो अब इनको भी वह प्रोसेस करके अपने साबक़ा (पिछली) "memory store" के साथ हमआहंग (compatible) करके कोई और नतीजा अख़ज़ करता (निकालता) है। इस तरह रफ़ता-रफ़ता इंसान का यह इल्म बढ़ता चला जा रहा है और हम नहीं कह सकते कि यह अभी और कहाँ तक जायेगा। आज

से सौ साल पहले भी इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इंसानी इल्म वहाँ पहुँच जायेगा जहाँ आज पहुँच चुका है। यह इल्म बिल् हवास व अल् अक्ल है और इस इल्म का वही से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक उस इल्मे अस्मा से है जो बिल्कुल शुरु में हज़रत आदम (अलै०) में वदीयत (रखना) कर दिया गया था और यही दुनिया में सरबुलंदी की बुनियाद है।

इल्मे इंसानी के दो गोशों के ज़िम्न में सूरतुल बकरह का चौथा रुकु बहुत अहम है। इल्मुल अस्मा का ज़िक्र उसके शुरु में हैं। जब अल्लाह तआला ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं ज़मीन में एक खलीफ़ा बनाने वाला हूँ तो फ़रिश्तों की तरफ़ से यह बात इस्तफ़हामन पेश की गई (पूछी गयी):

"क्या आप उसको ज़मीन में खलीफ़ा बनाएँगे जो उसमें फ़साद फैलाएगा और खूँरैज़ियाँ करेगा?" (आयत:30)

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ

फ़रिश्तों का यह अशक़ाल इस तरह दूर किया गया:

"और अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखा दिये।" (आयत:31)

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

यह इल्मे अस्मा जो आदम को दिया गया, यही हुक्मते अरज़ी (ज़मीन की खिलाफ़त) की बुनियाद है। जो क़ौम इस इल्म के अंदर तरक्की करेगी वही इक्तदार अरज़ी (सत्ता) की हक़दार ठहरेगी। अलबता इस रूकू के आखिरी में फ़रमाया गया कि जब हज़रत आदम (अलै०) से ख़ता हो गई और शैतान के अग़वा (लालच) से मुतास्सिर होकर अल्लाह तआला के हुक्म की खिलाफ़वर्ज़ी हो गई तो उन्होंने अल्लाह तआला के हुज़ूर तौबा की और अल्लाह तआला ने उनकी तौबा कुबूल करने का बायन तौर ऐलान कर दिया:

(आयत:37). فَطَقَّيْنَا أَدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ .

इसके बाद ज़िक्र है कि जब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि अब ज़मीन में जाकर रहो और वहाँ का चार्ज संभालो तो फ़रमाया:

"तो जब भी मेरी तरफ़ से तुम्हारे पास कोई
हिदायत आये तो जो लोग मेरी उस
हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिये किसी
ख़ौफ़ और रंज का मौक़ा ना होगा।"

(आयत:38)

वह इल्मे हिदायत है।

यह दो चीज़ें बिल्कुल अलैहदा-अलैहदा हैं। इल्मे अस्मा दरहकीकत यूँ समझिये कि जैसे आम की गुठली में आम का पूरा दरख्त होता है। वही गुठली तो है जो आप ज़मीन में दबाते हैं। फिर अगर वहाँ पानी पड़ता है और ज़मीन में रुईदगी की सलाहियत भी है तो वह गुठली फटेगी। उसमें से जो दो पत्ते निकलेंगे वह फलें-फूलेंगे, परवान चढ़ेंगे तो दरख्त बनेगा। वह पूरा दरख्त आम की गुठली में बिल्कुवत (potentially) मौजूद था, अल्बत्ता उसे बिल् फ़अल (actually) पूरा दरख्त बनने में तीन-चार साल लगेंगे। तो जिस तरह पूरा दरख्त आम की गुठली में बिल् कुव्वत मौजूद था लेकिन वह आम का दरख्त कई साल के अंदर बिल् फ़अल वजूद में आया, बयीना यह मामला कुल माददी हकाइक़ का है कि इस ज़िम्न में कुल इल्म हज़रत आदम (अलै०) के वजूद में बिल् कुव्वत (potentially) वदीयत कर दिया गया! अब इसकी exfoliation हो रही है, वह बढ़ता जा रहा है, बर्गोबार ला रहा है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, इस इल्म का कोई ताल्लुक़ आसमानी हिदायत से नहीं है। अब यह खुद रु पौदा है जो

बढ़ता चला जा रहा है, और मालूम नहीं कहाँ तक पहुँचेगा। अल्लामा इक़बाल ने इसकी सही ताबीर की है:

उरुज-ए-आदम-ए-खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं

कि यह टूटा हुआ तारा मय कामिल ना बन जाये!

अल्लामा की ज़िन्दगी में तो इंसान ने चाँद पर क़दम नहीं रखा था, लेकिन अब इंसान चाँद पर क़दम रख कर आ गया है। मज़ीद यह कि अब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अपने कमालात दिखा रही है। क्लोनिंग के तरीके से हैवानात पैदा किये जा रहे हैं। इस इंसानी इल्म के साथ अगर इल्मे वही यानि इल्मे हिदायत ना हो तो यह इल्म बजाये खैर के शर का ज़रिया बन जाता है। चुनाँचे आज यह इल्म वाक़िअतन शैतानी कुव्वत बन चुका है, हलाकत का सामान बन चुका है, तबाही का ज़रिया बन चुका है।

{فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 38} ने हज़रत आदम अलै० से लेकर हज़रत मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ तक इरतकाई मराहिल तय किये। जैसे-जैसे नौए इंसानी शऊर की मंजिलें तय करती गईं, अल्लाह तआला की तरफ़ से हिदायत में भी इज़ाफ़ा होता गया, ता आँके (यहाँ तक कि) यह इल्मे हिदायत कुरान हकीम में आकर "الْهُدَى" (Final Guidance) की सूरत में मुकम्मल हो गया। इस हिदायत में जो इरतका हुआ है उसे भी आप समझ लीजिये। पहली किताबें जो नाज़िल हुईं उनमें भी "هُدًى" तो थीं। सूरतुल मायदा में इर्शाद हुआ:

"हमने तौरात नाज़िल की थी, उसमें

हिदायत भी थी नूर भी था।" (आयत:44)

इसी रूक़ में (सूरतुल मायदा का सातवाँ रूक़) इंजील के बारे में फ़रमाया:

"उसमें हिदायत भी थी नूर भी था।"

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ٥

فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ٧

(आयत:46)

लेकिन यह हिदायत और नूर दर्जा-ब-दर्जा तरक्की करता रहा है, यहाँ तक कि कुरान में आकर यह कामिल हुआ है और **أَلْهَدَى** बन गया है। अब यह **هُدَى** नहीं, **أَلْهَدَى** है, यानि हिदायते ताम्मा (मुकम्मल)।

इसकी वजह क्या है? देखिये एक बच्चे को अगर आप तालीम देना चाहते हैं तो उसकी ज़हनी सतह को मल्हूज़ (ध्यान में) रखे बगैर नहीं दे सकते। आप प्राइमरी में ज़ेरे तालीम किसी बच्चे के लिये चाहे पी०एच०डी० उस्ताद रख दें, लेकिन वह उस्ताद बच्चे की ज़हनी इस्तअदाद (क्षमता) की मुनासिबत से ही उसे तालीम दे सकेगा। बच्चा रफ़ता-रफ़ता आगे बढ़ेगा। यहाँ तक कि जब वह अपनी अक्ल और शऊर की पूरी शिद्दत, कुव्वत और बलूगत को पहुँच जायेगा तब उसे आखिरी इल्म पढ़ाया जायेगा। पहले वह तारीख पढ़ रहा था, अब फ़लसफ़ा-ए-तारीख पढ़ेगा। इस हवाले से अल्लाह तआला ने अपनी हिदायत तदरीज के साथ उतारी है। तौरात में सिर्फ़ अहकाम हैं, हिकमत है ही नहीं, जबकि इंजील में हिकमत है, अहकाम हैं ही नहीं। दोनों चीज़ें मिल कर एक बात को मुकम्मल करती हैं। तौरात में सिर्फ़ अहकाम हैं। जैसे आप बच्चे को बता देते हैं कि भई खाने-पीने से रोज़ा टूट जाता है, रोज़े का मतलब यह है कि अब दिन भर खाना-पीना कुछ नहीं है। चाहे बच्चा अभी छः सात साल का है, वह यह बात समझ लेता है। इस तरह उसे अहकाम तो दे दिये जायेंगे कि यह करो, यह ना करो, यह Do's हैं यह Donts हैं।

चुनाँचे तौरात में अहकामे अशरा (The Ten Commandments) दे दिये गये, लेकिन अभी इनकी हिकमत नहीं बताई गई। इसलिये कि अभी हिकमत का तहम्मूल (समझना/धैर्य) इंसान के लिये मुमकिन नहीं था।

अभी नौए इंसानी का अहदे तफूलियत (बचपन) था। यूँ समझिये कि वह आज से साढ़े तीन हज़ार साल कब्ल का इंसान था। तौरात चौदह सौ कब्ल मसीह में हज़रत मूसा अलै० को दी गई। इसके चौदह सौ साल बाद हज़रत ईसा अलै० को इंजील दी गई, जिसमें सिर्फ़ हिकमत है, अहकाम हैं ही नहीं। लेकिन आज से दो हज़ार साल पहले हज़रत मसीह अलै० के यह अल्फ़ाज़ इंजील में मौजूद हैं (अब भी मौजूद हैं) कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने हवारीन से फ़रमाया था: "मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी थीं, मगर अभी तुम उनका तहम्मूल नहीं कर सकोगे, जब वह फ़ारक़लीत आयेगा तो तुम्हें सब कुछ बतायेगा।" यह मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ की पेशनगोई थी। हज़रत मसीह अलै० ने फ़रमाया कि अभी तुम तहम्मूल नहीं कर सकते। गोया तुम्हारी ज़हनी बलूगत के लिये छः सौ बरस मज़ीद दरकार हैं। चुनाँचे अल् हुदा कुरान हकीम में आकर मुकम्मल हुआ है।

कुरान मजीद जो हिदायत देता है उसके भी दो हिस्से हैं। एक फ़िक्रो नज़र की हिदायत है, जिसका उन्वान "ईमान" है। इसका मौजू वही है जो फ़लसफ़े का है। यानि कायनात की हकीकत क्या है, जिन्दगी की हकीकत क्या है, जिन्दगी का माल क्या है, इसका आगाज़ क्या है, अन्जाम क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ख़ैर क्या है, शर क्या है, इल्म क्या है? कुरान मजीद का दूसरा मौजू हिदायते अमली है, इन्फ़रादी सतह पर भी और इज्तमाई सतह पर भी। यह अवांमर व नवाही (करना ना करना) और हलाल व हराम के अहकाम पर मुश्तमिल है। फिर इसमें मआशी व मआशरती अहकाम भी हैं। यह हिदायते फ़िक्रो नज़र और हिदायते फअल व अमल (इन्फ़रादी व इज्तमाई) कुरान हकीम का मौजू है।

इस ज़िंमन में यह बात नोट कर लीजिये कि साइंस और टेक्नोलॉजी कुरान हकीम का मौजू नहीं है, कुरान मजीद किताबे हिदायत है, साइंस की

किताब नहीं है, अलबत्ता इसमें साइंसी उलूम (studies) की तरफ इशारे मौजूद हैं और उनके हवाले मौजूद हैं। कुरान मजीद कायनाती हकाइक को आयाते इलाहिया करार देता है। सूरतुल बकरह की आयत 164 मुलाहिजा कीजिये, जिसे मैं "आयातुल आयात" करार देता हूँ:

"यक्रीनन आसमानों और ज़मीन की साख्त हैं, रात और दिन के पेहम एक-दूसरे के बाद आने में, उन कश्तियों में जो इंसान के नफे की चीज़ें लिये हुये दरियाओं और समुंदरों में चलती-फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर उसके जरिये से मुर्दा ज़मीन को जिन्दगी बख़्शता है और (अपने इसी इन्तेज़ाम की बदौलत) ज़मीन में हर क्रिस्म की जानदार मख्लूक को फैलाता है, हवाओं की गर्दिश में, और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान ताबेअ फ़रमान बना कर रखे गये हैं, उन लोगों के लिये बेशुमार निशानियाँ हैं जो अक़ल से काम लेते हैं।"

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَخَرِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝١٦٤

यह सब अल्लाह की निशानियाँ हैं। इनमें अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह का इल्मे कामिल, अल्लाह की हिकमत बालगा (प्रभावी) सब कुछ शामिल है। तो यह जो मज़ाहिर तबीई (Physical Phenomena) हैं, कुरान हकीम इनका जा-बजा हवाला देता है। बाज़ कायनाती हकाइक वह हैं जिनका ताल्लुक फ़ल्कियात (Astronomy) से है। फ़रमाया: (यासीन:40)

यानि यह "तमाम अजरामे समाविया अपनेअपने- मदार (orbit) में तैर रहे हैं।"

وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝٤٠

मालूम हुआ हर शय हरकत में है। इंसान पर एक दौर ऐसा गुज़रा है जब वह समझता था कि ज़मीन साकिन है और सूरज इसके गिर्द हरकत कर रहा है। फिर एक दौर आया जिसमें कहा गया कि नहीं, सूरज साकिन है, ज़मीन हरकत करती है, ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, और आज हमें मालूम हुआ कि हर शय हरकत में है। सूरज का भी अपना एक मदार (orbit) है, उसमें वह अपने पूरे कुन्बे समेत हरकत कर रहा है। यह निज़ामे शम्सी उसका कुन्बा है, इस पूरे कुन्बे को लेकर वह भी एक मदार में हरकत कर रहा है। तो मालूम हुआ कि अल्फ़ाज़े कुरानी: {وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} में "كُلٌّ" का लफ़ज़ जिस तरह मन्क़ह और मुबरहन होकर, जिस शान के साथ आज होवीदा (ज़ाहिर) हुआ है, आज से पहले इंसान को मालूम नहीं था। कुरान मजीद में कायनाती मज़ाहिर के बारे में जो बात कही गई है वह कभी ग़लत नहीं हो सकती। यह वह हकीकत है जो इस दौर में आकर पूरी तरह वाज़ेह हुई है।

डाक्टर मोरिस बोकाई एक फ़्राँसिसी सर्जन थे। उन्होंने कुरान और बाइबिल दोनो का तकाबली मुताला किया। वाज़ेह रहे कि बाइबिल से मुराद अहदनामा कदीम (Old Testament) और अहदनामा जदीद (New Testament) दोनों हैं। तकाबिली मुताला के बाद वह इस नतीजे पर पहुँचे कि पूरे कुरान में कोई एक लफ़ज़ भी ऐसा नहीं है जिसे हमारे साइंसी इन्क़शाफ़ात में से किसी ने ग़लत साबित किया हो, जबकि तौरात में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि साइंस उन्हें ग़लत साबित कर चुकी है। इस पर उन्होंने 250 सफ़ों की किताब तहरीर की: "The Bible, The Quran and Science"। सवाल यह पैदा होता है कि तौरात भी तो अल्लाह की किताब

हैं, फिर उसमें ऐसी चीजें क्यों आ गईं जो साइंसी हकाइक के खिलाफ हैं। इसका जवाब यह है कि असल तौरात तो छठी सदी कबल मसीह ही में गुम हो गई थी जब बख्त नसर के हाथों येरुशलम की तबाही हुई थी। इसके डेढ़ सौ वर्ष बाद कुछ लोगों ने तौरात को याददाशतों से मुरतब किया। लिहाजा उस वक़्त इंसानी इल्म की जो सतह थी उसके ऐतबारत से तावीलात तौरात में शामिल हो गयीं, क्योंकि इंसान तो अपनी ज़हनी सतह के मुताबिक ही सोच सकता है। तौरात में तहरीफ होने की वजह से इसमें ऐसी चीजें दर्ज हैं जो साइंस की रू से ग़लत साबित हुईं। अलबता कुरान में ऐसी कोई तावील नहीं हुई और इसकी हिफ़ाजत का अल्लाह तआला ने खुद ज़िम्मा लिया है। यह बात बड़ी अहम है इसको बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में डाक्टर रफीउद्दीन मरहूम ने कहा है कि यह कायनात अल्लाह का फअल है। उसकी तखलीक और उसकी तदबीर है, जबकि कुरान अल्लाह का क़ौल है, और अल्लाह तआला के क़ौल व अमल में तज़ाद (विरोध) मुमकिन नहीं है। किसी इन्सान के क़ौल व अमल में भी अगर कोई तज़ाद हो तो वह इंसानियत की सतह से नीचे उतर जाता है, अल्लाह तआला के क़ौल और अमल में तज़ाद कैसे हो सकता है? यहाँ यह हो सकता है कि एक दौर में इंसानों ने बात समझी ना हो, उनका ज़हन वहाँ तक पहुँचा ना हो, उनकी मालूमात का दायरा अभी इस हद तक हो कि इन हकाइक तक ना पहुँचा जा सके। लेकिन जैस-जैसे वक़्त आयेगा मज़ीद हकाइक मुन्कशिफ़ होंगे और यह बात ज़्यादा से ज़्यादा वाज़ेह से वाज़ेहतर होती चली जायेगी कि जो कुछ कुरान ने फ़रमाया है वही बरहक़ है। यहाँ आज से पहले इंसानी ज़हन इस हद तक रसाई हासिल करने का अहल नहीं था। सूरह हा मीम सजदा की आख़िरी से पहली आयत ज़हन में रखिये:

"हम उन्हें दिखाते चले जायेंगे अपनी निशानियाँ आफ़ाक़ में भी और खुद उनकी जानों में भी, यहाँ तक कि यह बात पूरी तरह निखर कर उनके सामने वाज़ेह हो जायेगी कि यह कुरान ही हक़ है।"

سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ

डॉक्टर कीथल मूर कनाडा के बहुत बड़े एम्ब्रॉयलॉजिस्ट हैं। उनकी किताब इल्मे जनीन (Embryology) में सनद मानी जाती है और यूनिवर्सिटी की सतह पर बतौर टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है। उन्होंने कुरान हकीम का मुताला करने के बाद इन्तहाई हैरत का इज़हार किया है कि आज से चौदह सौ वर्ष कबल जबकि ना माइक्रोस्कोप मौजूद थी और ना ही dissection होता था, कुरान ने इल्मे जनीन के मुताल्लिक जो मालूमात दी हैं वह सही तरीन हकाइक पर मुश्तमिल हैं। डॉक्टर मौसूफ़ सूरतुल मोमिनून की आयात 12 से 14 का मुताला करते हुए अंगशत बद नदाँ हैं:

"हमने इंसान को मिट्टी के सत् से बनाया, फिर उसे एक महफूज़ जगह टपकी हुई बूँद में तब्दील किया, फिर उस बूँद को लोथड़े की शक़ल दी, फिर लोथड़े को बोटी बना दिया, फिर बोटी की हड्डियाँ बनाई, फिर हड्डियों पर गोशत चढ़ाया, फिर उसे एक दूसरी ही मख़लूक बना कर खड़ा किया।"

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلْسَلَةٍ مِنْ طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۚ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ

उनका कहना है कि वाक़्या यह है कि इंसानी तखलीक के मराहिल की इससे ज़्यादा सही ताबीर मुमकिन नहीं है। तो यह हकीकत ज़हन में रखिये कि अगरचे कुरान मज़ीद साइंस की किताब नहीं है, लेकिन जिन साइंसी हकाइक या साइंसी मज़ाहिर (phenomena) का कुरान ने हवाला दिया है

वह यकीनन हक़ हैं, चाहे ता-हाल हम उनकी हक्कानियत को ना समझ पाये हों। मसलन आज भी मुझे नहीं मालूम कि कुरान जो "सात आसमान" कहता है तो इनसे क्या मुराद है। लेकिन मुझे यकीन है कि एक वक़्त आयेगा जब इंसान समझेगा कि "सात आसमान" के यह अल्फ़ाज़ ठीक-ठीक उस हकीकत पर मुन्तबिक़ होते हैं जो आज हमारे इल्म में आयी है, पहले नहीं आयी थी। अलबत्ता जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, अमली ऐतबार से यह नुक्ता बहुत अहम है कि कुरान साइंस या टेक्नोलॉजी की किताब नहीं है और इसके हवाले से एक बड़ा मन्तकी नतीजा यह निकलता है कि अगर हमारे अस्लाफ़ ने अपने दौर की मालूमात की सतह पर कुरान की इन आयात का कोई खास मफ़हूम मुअय्यन किया तो हमारे लिये लाज़िम नहीं है कि हम उसकी पैरवी करें। हम कुरान में बयानकरदा साइंसी मज़ाहिर को उस साइंसी तरक्की के हवाले से समझेंगे जो रोज़ ब रोज़ हो रही है। यहाँ तक कि आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस मामले में खुद मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ से भी अगर कोई बात मन्कूल हो तो वह भी कतई नहीं समझी जायेगी, क्योंकि हुज़ूर ﷺ यह चीज़ें सिखाने के लिये नहीं आये थे। यह बात अगरचे बहुत से लोगों पर सकील और गिराँ गुज़रेगी लेकिन सही तर्ज़ अमल यही होगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़िमन में अगर हुज़ूर ﷺ की कोई हदीस भी सामने आ जाये तो उसको भी हम दलीले कतई नहीं समझेंगे।

इस सिलसिले में ताबीरे नख़ल का वाक्या बहुत अहम है। आपको मालूम है कि हुज़ूर ﷺ की पैदाइश मक्के की है, हिजरत तक सारी ज़िन्दगी आपने वहाँ गुज़ारी, वह वादी-ए-गैर ज़िज़रा है, जहाँ कोई पैदावार, कोई ज़राअत, कोई काशत होती ही नहीं थी, लिहाज़ा आप ﷺ को उसका कोई तजुर्बा सिरे से था ही नहीं। हाँ तिजारत का भरपूर तजुर्बा था और उसके

तमाम असरारो रमूज़ से आप ﷺ वाकिफ़ थे। आप ﷺ मदीना तशरीफ़ लाये तो आप ﷺ ने देखा कि खजूरों के सिलसिले में अंसारे मदीना "ताबीरे नख़ल" का मामला करते थे। खजूर एक ऐसा पौधा है जिसके नर और मादा फूल अलैहदा-अलैहदा होते हैं। अगर इसके नर और मादा फूलों को करीब ले आये तो इसके बारआवर (उपजाऊ) होने का इम्कान ज़्यादा हो जाता है। अहले मदीना को यह बात तजुर्बे से मालूम हुई थी और वह इस पर अमल पैरा (पालन करते) थे। मदीना तशरीफ़ आवरी पर रसूल अल्लाह ﷺ ने जब अहले मदीना का यह मामूल देखा तो उनसे फ़रमाया कि अगर आप लोग ऐसा ना करें तो क्या है? ऐसा ना करना शायद तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। यह बात आप ﷺ ने अपने इज्जतहाद और फ़हम के मुताबिक़ इस बुनियाद पर फ़रमायी कि फ़ितरत अपनी देखभाल खुद करती है। अल्लाह तआला ने फ़ितरत का निज़ाम इंसानों पर नहीं छोड़ा, बल्कि यह तो खुदकार निज़ाम है। चुनाँचे आप ﷺ ने फ़रमाया कि आप लोग इस कुदरती निज़ाम में दख़ल ना दें तो क्या है? अलबत्ता आप ﷺ ने रोका नहीं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि सहाबा कराम रिज़वान अल्लाहु तआला अलैहिम अज्मईन के लिये हुज़ूर ﷺ का इतना कहना भी गोया हुक्म के दर्जे में था। उन्होंने उस साल वह काम नहीं किया, लेकिन फ़सल कम हो गई। अब वह इरते-इरते, झिझकते-झिझकते हुज़ूर ﷺ की खिदमत में आये और अर्ज़ किया कि हुज़ूर! हमने इस मर्तबा ताबीरे नख़ल नहीं की है तो फ़सल कम हुई है। इस पर आप ﷺ ने फ़रमाया: ((أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ))⁽¹⁾ इस हदीस का एक-एक लफ़ज़ याद कर लीजिये। आप ﷺ ने फ़रमाया कि यह जो तुम्हारे अपने दुनयवी और माददी मामलें हैं जिनकी बुनियाद तजुर्बे पर है, यह तुम मुझसे बेहतर जानते हो। तुम ज़्यादा तजुर्बेकार हो, तुम इन हकीकतों

से ज़्यादा वाकिफ हो। एक दूसरी रिवायत में रसूल ﷺ के यह अल्फ़ाज़ नक़ल हुए हैं:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَأْيِي
فَأَنَّمَا بَشَرٌ (2)

"मैं तो एक बशर हूँ। जब मैं तुम्हें तुम्हारे दीन के बारे में कोई हुक्म दूँ तो उससे सरताबी ना करना, लेकिन जब मैं तुम्हें अपनी राय से कोई हुक्म दूँ तो जान लो कि मैं एक बशर ही हूँ।"

गोया आप ﷺ ने वाज़ेह फ़रमा दिया कि मैं यह चीज़ें सिखाने नहीं आया, मैं जो कुछ सिखाने आया हूँ वह मुझसे लो! इस ऐतबार से यह हदीस बुनियादी अहमियत रखती है। ज़ाहिर है आप ﷺ टेक्नोलॉजी सिखाने नहीं आये थे। आप ﷺ तिब्ब व जराहत सिखाने नहीं आये थे, आप ﷺ कोई और साइंस पढ़ाने नहीं आये थे। वरना तो हम शिकवा करते कि आप ﷺ ने हमें एटम बम बनाना क्यों नहीं सिखा दिया? जब रसूल अल्लाह ﷺ ने यह फ़रमा दिया कि ((أَنْتُمْ أَكْثَرُ دُنْيَاكُمْ)) तो हमारे लिये यह बात आखिरी दर्जे में सनद है कि जैसे-जैसे साइंसी इन्कशाफ़ात (खुलासे) हो रहे हैं, जैसे-जैसे इल्मे इंसानी की exploration हो रही है, वैसे-वैसे हकीकते फ़ितरत हमारी निगाहों के सामने मुन्कशिफ़ हो रहे हैं। जैसे आम की गुठली से आम का पूरा दरख़्त वजूद में आता है ऐसे ही हज़रत आदम अलै० के वजूद में इल्म बिल् हवास और इल्म बिल अक्ल का जो mechanism रख दिया गया था, यह उसी का नतीजा है कि इल्म फैल रहा है। इससे जो भी चीज़ें हमारे सामने आईं उनमें कहीं रुकावट नहीं है कि हम सलफ़ की बात को लेकर बैठ जाएँ कि साइंस ख़वाह कुछ भी कहे हम तो असलाफ़ की बात मानेंगे। यहाँ पर इस तर्ज़े अमल के लिये कोई दलील और बुनियाद नहीं।

कुरान का असल मौज़ू ईमान है। मा वराउल तबीयाती हकाइक (Beyond Physical Facts) आलमे ग़ैब से मुताल्लिक हैं, जो हमारे

आलमे महसुसात (feelings) से मा वरा (beyond) हैं, जिसकी खबरें हमें सिर्फ़ वही से मिल सकती हैं। इल्मे हकीकत जिसे हम इज्माली तौर पर ईमान कहते हैं यह कुरान का असल मौज़ू है, यानि हिदायते फ़िक्री व अमली। तमददुनी मैदान में, मआशी व इक़तसादी और मआशरती मैदान में यह करो और यह ना करो। यह चीज़ें खाने-पीने की हैं, यह चीज़ें खाने-पीने की नहीं हैं। यह हराम हैं, यह नजिस हैं। यह इल्म हुज़ूर ﷺ ने दिया है और कुरान का मौज़ू असल में यही है। अलबत्ता कुरान में जो साइंसी रेफरेन्सेस आये हैं, वह ग़लत नहीं हैं, वह लाज़िमन दुरुस्त हैं।

इंसानी इल्म के तीन दायरे हैं। एक इल्म बिल् हवास है, यह इंसानी इल्म का पहला दायरा है। हवास के ज़रिये हमें मालूमात हासिल होती हैं, जिन्हें आज-कल हम sense data कहते हैं। आँख ने देखा, कान ने सुना, हाथ ने उसकी पैमाइश की। इसके बाद दूसरा दायरा इल्म बिल अक्ल है। अक्ल sense data को प्रोसेस करती है। इस ज़िमन में इस्तदलाल और इस्तनबात के उसूल मुअय्यन किये गये हैं। इंसान अपने हवासे खम्सा (five senses) के ज़रिये इल्म हासिल करता है, फिर अक्ल इन मालूमात को process करती है तो इंसान किसी नतीजे पर पहुँचता है। यूँ अक्ल हवास की मोहताज हुई, लेकिन अक्ल व हवास के मा वरा (के ऊपर) भी एक इल्म है जिसे शाह इस्माईल शहीद रहि० ने इल्म बिल् क़ल्ब का नाम दिया है। आज इसे extra sensory perceptions कहा जा रहा है। यह इल्म का तीसरा दायरा है। इससे पहले अदब में इसके लिये वज्दान (intuition) का लफ़ज़ था। यह इल्म बिल् क़ल्ब दरहकीकत वह ख़ास इंसानी इल्म है जिससे आज के माददा परस्त वाकिफ़ नहीं हैं। वही का ताल्लुक इसी तीसरे दायरे से है। इसलिये कि वही का नुज़ूल क़ल्ब पर होता है। अज़रुए अल्फ़ाज़ कुरानी: (अल् शौरा:193-194)

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۖ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۚ ۱۹۳ ۖ

अक्ल और हवास से हासिल होने वाले उल्म (अध्ययन) में तमाम फ़िज़िकल साइंस, मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी के मज़ामीन (articles) शामिल हैं। इंसान के मुख्तलिफ़ चीज़ों के खवास (गुण) मालूम किये, कुछ तबीई (भौतिक) और किमियाई (रासायनिक) तब्दीलियों के उसूल दरयाफ़्त (खोज) किये। फिर उन उसूलों से जो मालूमात हासिल हुईं उनको इस्तेमाल किया। इससे इंसान की टेक्नोलॉजी तरक्की करती जा रही है और अभी ना मालूम कहाँ तक पहुँचेगी। यह एक इल्म है जिसका ज़िक्र कुरान हकीम में { وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا } के अल्फ़ाज़ में कर दिया गया। अलबत्ता इंसान सिर्फ़ इस इल्म पर क़ानेअ (काफी/पर्याप्त) नहीं रहा, इसलिये कि इससे तो सिर्फ़ जुज़वी (partly) इल्म हासिल होता है, इंसान एक-एक ज़व्व (ingredients) क़दम-ब-क़दम सीखता है। इंसान की एक तलब (urge) है कि वह माहियत (nature) मालूम करना चाहता है कि कायनात की हकीकत क्या है? मेरी हकीकत क्या है? इल्म की हकीकत, खैर (अच्छे) व शर (बुरे) की हकीकत क्या है? ज़ाहिर बात है कि आज से एक हज़ार साल पहले के इंसान की मालूमात (इल्म बिल् हवास और इल्म बिल् अक्ल के ऐतबार से) बड़ी महदूद थीं, लेकिन उस वक़्त के इंसान को भी इस चीज़ की ज़रूरत थी कि वह कोई राय कायम करे कि यह कायनात जिसका मैं एक फ़र्द हूँ, उसकी हकीकत क्या है, खुद मेरी हकीकत क्या है? मेरी ज़िन्दगी का आगाज़ क्या है? मेरा इसके साथ रब्त (link) व ताल्लुक क्या है? इस सफ़र की मंज़िल क्या है? मैं अपनी ज़िन्दगी में क्या करूँ, क्या ना करूँ? क्या करना सही है क्या करना ग़लत है? यह इंसान की ज़रूरत है। लिहाज़ा इस ज़रूरत के तहत जब इंसान ने सोचना शुरू किया तो फ़लसफ़े का आगाज़ हुआ जो गुल्थियों को सुलझाना चाहता है। इन

गुल्थियों को सुलझाने के लिये फिर इंसान ने अक्ल के घोड़े दौड़ाये, अपनी मन्तिक (तर्क) को इस्तेमाल किया। फ़लसफ़ा, मा बाद अल् तबीअ'यात, इलाहियात, अख्लाकियात और नफ़िसयात, यह तमाम उल्म (studies) इंसानी उल्म (studies) में से हैं। गोया कि इल्म बिल् हवास और इल्म बिल् अक्ल के नतीजे में यह दो इल्म वजूद में आये। एक फ़िज़िकल साइंस का इल्म जिसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है। दूसरा सोशल साइंस का इल्म जिसमें फिलोसफी, सोशियोलॉजी, नफ़िसयात, अख्लाकियात, इक्तसादयात (economics) और सियासियात वगैरह शामिल हैं।

जान लीजिये कि **هُدًى** जिसकी तकमीली शकल "الهُدًى" कुरान मजीद है, उसका मौजू इंसानी इल्म का दायरा-ए-अक्वल नहीं है। यह साइंस की किताब नहीं है और ना ही साइंस पढ़ाने या टेक्नोलॉजी सिखाने आई है। अम्बिया इसलिये नहीं भेजे गये। अगरचे कुरान मजीद में साइंसी मज़ाहिर (घटनाओं) की तरफ़ हवाले मौजूद हैं और वह लाज़िमन दुरुस्त हैं, लेकिन वह कुरान का असल मौजू नहीं है। जैसे-जैसे इंसान के साइंसी इल्म में तदरीजन तरक्की हो रही है इसी तरह इन रेफरेन्सेस को समझना भी इंसान के लिये मुमकिन हो रहा है। अलबत्ता कुरान का असल मौजू मा बाद अल् तबीअ'यात है। फिर फ़िक्क व अमल दोनों के लिये रहनुमाई दरकार है, जैसे कि किसी रास्ते पर चलने वाले "रोड साइज़" की ज़रूरत होती है कि इधर ना जाना, इधर खतरा है, हलाकत है। इसी तरह इंसान को सफ़रे हयात में इन cautions की ज़रूरत है कि इधर खतरा है, यह तुम्हारे लिये मम्नूअ (मना) है, यह हराम है, यह नुकसानदेह है, इसमें हलाकत है, चाहे तुम्हें हलाकत नज़र नहीं आ रही लेकिन तुम उधर जाओगे तो तुम्हारे लिये हलाकत है। दरहकीकत यह कुरान का असल मौजू है।

बाब शशम (छठा)

फ़हम-ए-कुरान के उसूल (कुरान को समझने के सिद्धान्त)

फ़हम-ए-कुरआन के सिलसिले में दर्ज ज़ेल (निम्नलिखित) उन्वानात (शीर्षक) की तफ़हीम (समझ) ज़रूरी है।

1) कुरान करीम का अस्लूबे इस्तदलाल (तर्क का अंदाज़)

कुरान के तालिबे इल्म को जानना चाहिये कि कुरान का अस्लूबे इस्तदलाल मन्तिकी (logical) नहीं, फ़ितरी (naturally) है। इंसान जिस फ़लसफ़े से वाकिफ़ है उसकी बुनियाद मन्तिक है। चुनाँचे हमारे फ़लासफ़ा (दार्शनिक) और मुतकल्लिमनी (धर्मविज्ञानी) इस्तखराजी मन्तिक (Deductive Logic) से ऐतना (उपेक्षा) करते रहे हैं, जबकि कुरआन मजीद ने इसे सिरे से इख़्तियार नहीं किया। वक़ती तकाज़े के तहत हमारे मुतकल्लिमनी ने इसे इख़्तियार करने की कोशिश की लेकिन इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुँच पाया। ईमानी हकाइक को जब इस्तखराजी मन्तिक के ज़रिये से साबित करने की कोशिश की गई तो यकीन कम और शक ज़्यादा पैदा हुआ। इस ज़िम्न में केंट की बात हर्फ़ आख़िर का दर्जा रखती है, लिहाज़ा अल्लामा इक़बाल ने भी अपने खुत्बात का आगाज़ इसी हवाले से किया है। केंट ने हत्मी (अंतिम) तौर पर साबित कर दिया कि किसी मन्तिकी दलील से खुदा का वजूद साबित नहीं किया जा सकता। मन्तिक में अल्लाह की हस्ती के अस्बात (यकीन) के लिये एक दलील लायेंगे तो मन्तिक की दूसरी दलील उसे काट देगी। जैसे लोहा लोहे को

काटता है इसी तरह मन्तिक, मन्तिक को काट देगी। कुरआन अग़रचे कहीं-कहीं मन्तिक को इस्तेमाल तो किया है लेकिन वह भी मन्तिकी इस्तलाहात (वाक्यांश) में नहीं। कुरआन मजीद का अस्लूबे इस्तदलाल फ़ितरी है और इसका अंदाज़ ख़िताबी है। जैसे एक ख़तीब जब खुत्बा देता है तो जहाँ वह अक़ली दलीलें देता है वहाँ जज़्बात से भी अपील करता है। इससे उसके खुत्बे में गहराई व गैराई (प्रभाव) पैदा होती है। एक लेक्चर में ज़्यादातर दारोमदार मन्तिक पर होता है। यानि ऐसी दलील जो अक़ल को कायल कर सके। लेकिन शौला बयान ख़तीब इंसान के जज़्बात को अपील करता है। इसको ख़िताबी दलील कहा जाता है। यही ख़िताबी अंदाज़ और इस्तदलाल कुरआन ने इस्तेमाल किया है।

इंसान की फ़ितरत में कुछ हकीकतें मौजूद हैं। कुरान के पेशे नज़र इन हकीकतों को उभारना मक़सूद है। यानि इंसान को अमादा किया जाए कि:

"अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िन्दगी!"

अक़ल और मन्तिक का दायरा तो बड़ा महदूद है। इंसान अपने अंदर झाँके तो उसके अंदर सिर्फ़ अक़ल ही नहीं है, कुछ और भी है। बक़ौल अल्लामा इक़बाल:

हैं ज़ौके तजल्ली भी इसी खाक में पिन्हाँ

गाफ़िल! तो नरा साहब अदराक नहीं है!

यह जो इसके अंदर "कोई और" शय भी है, उसे अपील करना ज़रूरी है ताकि इंसान फ़ितरत की बुनियाद पर अपने अंदर झाँके और महसूस करे कि हाँ यह है! ताहम उसके लिये कोई मन्तिकी दलील भी पेश कर दी जाये। तो यह नूरुन अला नूर (सोने पे सुहागा) होगा। यह है दरहकीकत कुरआन का फ़ितरी तर्ज़ इस्तदलाल। बाज़ मक़ामात पर ऐसे मालूम होता है कि जैसे कुरआन अपने मुखातिब की आँखों में आँखें डाल कर कुछ कह रहा है

और उसे तवज्जोह दिला रहा है कि ज़रा गौर करो, सोचो, अपने अंदर झाँको। जैसे सूरह इब्राहिम की आयत 10 में फ़रमाया गया:

"क्या अल्लाह की हस्ती में कोई शक है जो
आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाला
है?"

यहाँ कोई मन्तकी दलील नहीं है, लेकिन मुखातिब को दरू बीनी पर आमामाद किया जा रहा है कि अपने अन्दर झाँको, तुम्हें अपने अंदर सुबूत मिलेगा, तुम्हें अपने अन्दर अल्लाह की हस्ती की शहादत मिलेगी। सूरतुल अनाम की आयत 19 में इर्शाद हुआ:

"क्या तुम वाकई इस बात की गवाही दे रहे
हो कि अल्लाह के सिवा कोई और इलाह
भी है?"

यानि तुम यह बात कह तो रहे हो, लेकिन ज़रा सोचो तो सही क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारी फ़ितरत इसे तस्लीम करती है? अपने बातिन में झाँको, क्या तुम्हारा दिल इसकी गवाही देता है? हालाँकि ज़ाहिर है कि वह तो इसके मुद्दई थे और अपने माअबुदाने बातिल के लिये कट मरने को तैयार थे। इस खिताबी दलील के पसमंज़र में यह हकीकत मौजूद है कि तुम जानते हो कि यह महज़ एक अक़ीदा (dogma) है जो चला आ रहा है, तुम्हारे बाप-दादा की रिवायत है, इसकी हैसियत तुम्हारे नस्ली ऐतकादात (racial creed) की है। कुरआन मजीद दरहकीकत इंसान की फ़ितरत के अंदर जो शय मुज़मर (फ़ैसी) है उसी को उभार कर बाहर लाना चाहता है। चुनाँचे कुरआन का अस्लूबे इस्तदलाल मन्तकी नहीं है, बल्कि फ़ितरी है। इसको खिताबी अंदाज़ कहा जायेगा।

2) कुरान हकीम में मुहक्कम और मुताशाबेह की तक्सीम

सूरह आले इमरान की आयत 7 मुलाहिज़ा कीजिये! इर्शाद हुआ है:

"वही है (अल्लाह) जिसने (ऐ मुहम्मद ﷺ)
आप पर किताब नाज़िल की, उसमें से कुछ
आयाते मुहक्कमात हैं, वही किताब की
जड़ बुनियाद हैं और दूसरी मुताशाबेह हैं।"

इस आयत में लफ़ज़ किताब दो दफ़ा आया है, दोनों के मफ़हूम में बारीक सा फ़र्क है। मुताशाबेह इन मायने में कि असल मफ़हूम को समझने में इश्तबाह (गलती) हो जाता है, वह आयाते मुताशाबिहात हैं। आगे फ़रमाया:

"तो वह लोग जिनके दिलों में कजी है वह
मुताशाबेह आयात के पीछे पड़ जाते हैं
(उन्हीं पर ग़ौरो फ़िक्र और उन्हीं में खोज
कुरेद में लगे रहते हैं) उनकी नीयत ही
फ़ितना उठाने की है, और वह भी हैं जो
उसका असल मफ़हूम जानना चाहते हैं।"

"हालाँकि उसके हकीकी मायने व मुराद
अल्लाह ही जानता है।"

"अलबत्ता जो लोग इल्म में पुख्तगी के
हामिल हैं वह कहते हैं कि हम ईमान रखते
हैं इस पूरी किताब पर (मुहक्कमात पर भी
और मुताशाबेहात पर भी), यह सब हमारे
रब की तरफ़ से है।"

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ
هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ
ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ف

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ
عِنْدِ رَبِّنَا

"लेकिन नसीहत नहीं हासिल करते मगर
वही जो होशमन्द हैं।"

وَمَا يَنْفَعُ إِلَّا أَوْلُوا الْأَلْتَابِ

अल्लाह तआला हमें उन अक्लमन्दों और होशमन्दों में शामिल करे,
رَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ में हमारा शुमार हो!

मुहक्कम और मुतशाबेह से मुराद क्या है? जान लीजिये कि "मुहक्कम कतई" यानि वह मुहक्कम जिनके कतई होने में ना पहले कोई शुबह हो सकता था ना अब है, ना आइंदा होगा, वह तो कुरआन हकीम के अवामिर व नवाही (Do's and Donts) हैं। यानि यह करो, यह ना करो, यह हलाल है, यह हराम है, यह जायज़ है, यह नाजायज़ है, यह पसंदीदा है, यह नापसंदीदा है, यह अल्लाह को पसंद और यह अल्लाह को नापसंद है।

कुरान हकीम का अमली हिस्सा दरहकीकत मुहक्कमात ही पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि इस आयत में किताब का लफ़्ज़ दो मर्तबा आया है। पहले बहैसियत मजमुई पूरे कुरान के लिये फ़रमाया: {هُوَ الَّذِي هُوَ الَّذِي} कुरआन मजीद का जो हिस्सा अमली हिदायतों पर मुश्तमिल है उसके लिये भी लफ़्ज़ "किताब" मख्सूस है। चुनाँचे दूसरी मर्तबा जो लफ़्ज़ किताब आया है: {هُنَّ أُمُّ الْكُتُبِ} वह इसी मफ़हूम में है। जहाँ कोई शय वाजिब की जाती है वहाँ "क़ुतब" का लफ़्ज़ आता है। जैसे {كُتُبٌ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ} {عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ} नमाज़ के बारे में सूरह निसा (आयत:103) में फ़रमाया: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} यहाँ किताब से मुराद वह हुक्म है जो दिया गया है, तो इन मायने में {هُنَّ أُمُّ الْكُتُبِ} से मुराद कानून, शरीअत, अमली हिदायात, अवामिर व नवाही हैं और असल में वही मुहक्कमात हैं।

दायमी मुतशाबिहात आलमे ग़ैब और उसके ज़िमन में आलम-ए-बरज़ख, आलम-ए-आखिरत, आलम-ए-अरवाह, मलाइका का आलम

और आलम-ए-इमसाल वगैरह हैं। यह दरहकीकत वह दायरे हैं जो हमारी निगाहों से ओझल हैं और इसकी हकीकतों को कव्व कमाहक, इस ज़िन्दगी में समझना महाल और नामुमकिन है। लेकिन इनका एक इल्म दिया जाना ज़रूरी था। मा बाद अल् तबीअ'यात ईमानियात के लिये ज़रूरी है कि इस सबका एक इज्माली ख़ाका सामने हो। हर इंसान ने मरना है, मरने के फ़ौरन बाद आलम-ए-बरज़ख में यह कुछ होना है, बा'अस बाद अल् मौत (मौत के बाद उठना) है, हश्र-नश्र है, हिसाब-किताब है, जन्नत व दोज़ख है। इन हकीकतों का इज्माली इल्म मौजूद ना हो तो बुनियादी ज़रूरत के तौर पर इंसान को जो फ़लसफ़ा दरकार है वह उसको फ़राहम नहीं होगा। लेकिन इनकी हकीकतों तक रसाई इस ज़िन्दगी में रहते हुए हमारे लिये मुमकिन नहीं, लिहाज़ा इनका जो इल्म दिया गया है वह आयाते मुतशाबिहात हैं, और वह दाईमन मुतशाबिहात ही रहेंगी। हाँ जब उस आलम में आँख खुलेगी तो असल हकीकत मालूम होगी, यहाँ मालूम नहीं हो सकती।

अलबत्ता मुतशाबिहात का एक दूसरा दायरा है जो तदरीजन मुतशाबिहात से मुहक्कमात की तरफ़ आ रहा है। वह दायरा मज़ाहिर तबीई (Physical Phenomena) से मुताल्लिक है। आज से हज़ार साल पहले इसका दायरा बहुत वसीअ (wide) था, आज यह कुछ महदूद हुआ है, लेकिन अब भी बहुत से हकों को हम नहीं जानते। सात आसमानों की हकीकत आज तक हमें मालूम नहीं है। हो सकता है कुछ आगे चल कर हमारा मैटेरियल साइंस का इल्म इस हद तक पहुँच जाये कि मालूम हो कि यह है वह बात जो कुरआन ने सात आसमानों से मुताल्लिक कही थी, लेकिन इस वक़्त यह हमारे लिये मुतशाबिहात में से है। इसी तरह एक आयत (सूरह यासीन:40)

"हर शय अपने मदार में तैर रही है।"

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ 40

इसको पहले इंसान नहीं समझ सकता था, लेकिन आज यह हकीकत मुहक्कम होकर सामने आ गई है कि:

"लहु खुर्शीद का टपके अगर ज़र्रे का दिल चीरें!"

अगर आप निज़ामे शम्सी को देखें तो हर चीज़ हरकत में है। कहकशां को देखें तो हर शय हरकत में है। कहकशांएँ एक-दूसरे से दूर भाग रही हैं, फ़ासला बढ़ता चला जा रहा है। एक ज़र्रे (atom) का मुशाहिदा करें तो उसमें इलेक्ट्रोन और प्रोटोन हरकत में हैं। गोया हर शय हरकत में है आज से कुछ अरसा क़ब्ल यह बात मुतशाबिहात में थी, आज वह मुहक्कमात के दायरे में आ गई है। चुनाँचे बहुत सी वह साइंसी हकीकतें जो अभी तक इंसान को मालूम नहीं हैं और उनके हवाले कुरआन में हैं, वह आज के ऐतबार से तो मुतशाबिहात में शुमार होंगे लेकिन इंसान का फ़िज़िकल साइंस का इल्म आगे बढ़ेगा तो वो तदरीजन मुतशाबिहात के दायरे से निकल कर मुहक्कमात के दायरे में आ जायेंगे।

3) तफ़सीर और तावील का फ़र्क

तफ़सीर और तावील दोनो लफ़ज़ कुरआन मजीद में आये हैं। सूरह आले इमरान की मुतज़क्किर बाला आयत में इर्शाद हुआ है:

"इसकी तावील कोई नहीं जानता मगर अल्लाह।"

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ

तफ़सीर का लफ़ज़ कुरआन मजीद में सूरतुल फ़ुरक़ान में आया है:

"और नहीं लाते वह आपके सामने कोई निराली बात मगर हम पहुँचा देते हैं (उसके

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا 33

जवाब में) आपको ठीक बात और बेहतरीन तरीक़े से बात खोल देते हैं।"

यह लफ़ज़ कुरआन में एक ही मर्तबा आया है, जबकि तावील का लफ़ज़ सत्रह (17) बार आया है। इसके कुछ और मफ़हूम भी हैं और कुरआन के अलावा कुछ और चीज़ों पर भी इसका इत्लाक़ (लागू) हुआ है। तफ़सीर और तावील में फ़र्क क्या है? तफ़सीर का मादह "ف س ر" है। यह गोया "सफ़र" की मुन्क़लिब शक़ल है। सफ़र ब-मायने Journey भी है--- और इसका मतलब रोशनी भी है, किताब भी है। हुरूफ़ ज़रा आगे-पीछे हो गये हैं, लफ़ज़ एक ही है। तफ़सीर के मायने हैं किसी शय को खोलना, वाज़ेह कर देना, किसी शय को रोशन कर देना, लेकिन यह ज़्यादातर मुफ़रादात और अल्फ़ाज़ से मुताल्लिक़ होती है, जबकि तावील बहैसियत मज्मुई कलाम का असल मद्लूल होती है कि इससे मुराद क्या है, इसका असल मक़सूद क्या है, इसकी असल हकीकत क्या है। लिहाज़ा ज़्यादातर यही लफ़ज़ कुरआन के लिये मुस्तमिल है। अगरचे हमारे यहाँ उर्दूदान लोग ज़्यादातर लफ़ज़ तफ़सीर इस्तेमाल करते हैं कि फ़लाँ आयत की तफ़सीर, फ़लाँ लफ़ज़ की तफ़सीर, लेकिन इसके लिये कुरआन की असल इस्तलाह तावील ही है और हदीस में भी यही लफ़ज़ आया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि०) के लिये हुज़ूर ﷺ की दुआ मन्कूल है: ((اللَّهُمَّ فَفِّهْهُ فِي الذِّبْنِ وَعَلِّمَهُ التَّأْوِيلَ)) यानि ऐ अल्लाह! इस नौजवान को दीन का फ़हम और तफ़क्कको अता फ़रमा और तावील का इल्म अता फ़रमा! चुनाँचे कलाम की असल हकीकत, असल मुराद, असल मतलूब, असल मद्लूल को पा लेना ताकि इंसान असल मक़सूद तक पहुँच जाये, इसे तावील कहते हैं।

"जो शय की हकीकत को ना देखे वह नज़र क्या!"

“و,ا” का माददा अरबी ज़बान में किसी शय की तरफ लौटने के मफहूम में आता है। इसी लिये लोग कहते हैं हम फ़लों की आल हैं, यानि वह किसी बड़ी शख़िसयत की तरफ़ अपनी निस्बत करते हैं। “आले फिरऔन” का मतलब फिरऔन की औलाद नहीं है, बल्कि फिरऔन वाले “फ़िरऔनी” है। वह फिरऔन की ही इताअत करते थे और उसी को अपना माबूद यानि हाकिम और पेशवा समझते थे। इसी मायने में किसी इबारत को उसके असल मफहूम की तरफ़ लौटाना तावील है। तफ़सीर और तावील के माबैन इस फ़र्क को ज़हन में रखना ज़रूरी है।

4) तावील-ए-आम और तावील-ए-खास

कुरआन हकीम की किसी एक आयत या चंद आयात के मज्मुए या किसी खास मज़मून जो चंद आयात में मुक्कमल हो रहा है, पर गौर करने में दो मरहले हमेशा पेशे नज़र रहने चाहियें: एक तावीले खास और दूसरा तावीले आम। इस सिलसिले में याद रहे कि कुरआन हकीम ज़मान (समय) व मकान के एक खास तनाज़र (Perspective) में नाज़िल हुआ है। इसका ज़माना-ए-नुज़ूल 610 ईस्वी से 632 ईस्वी के अरसे पर मुहीत (शामिल) है और इसके नुज़ूल की जगह सरज़मीं हिजाज़ है। इसका एक खास पसमंज़र है। ज़ाहिर बात है कि अगर उस वक़्त और उस इलाके के लोगों के अक़ीदे व नज़रियात और उनकी ज़हनी सतह को मलहूज़ (ध्यान में) ना रखा जाता तो उन तक इब्लाग (communication) मुमकिन ही नहीं था। वह तो उम्मी थे (अशिक्षित), पढ़े-लिखे ना थे। अगर उन्हें फ़लसफ़ा पढ़ाना शुरू कर दिया जाता, साइंसी उलूम के बारे में बताया जाता तो यह बातें उनके सरों के ऊपर से गुज़र जातीं। कुरआनी आयात तो उनके दिल और दिमाग में पैवस्त (attached) हो गई, क्योंकि बराहेरास्त इब्लाग

(communication) था, कोई barrier मौजूद नहीं था। तो कुरआन हकीम का यह शाने नुज़ूल ज़हन में रखिये। वैसे तो “शाने नुज़ूल” की इस्तलाह (term) किसी खास आयत के लिये इस्तेमाल होती है, लेकिन एक खास time and space complex में कुरआन हकीम का एक मज्मुई शाने नुज़ूल है जिसमें यह नाज़िल हुआ। वहाँ के हालात, उस अरसे के वाक़्यात, उन हालात में तदरीजन जो तब्दीली हुई, फिर कौन लोग इसके मुखातिब थे, अहले मक्का के अक़ीदे, उनकी रस्में-रीतें, उनके नज़रियात, उनके मुसल्लमात, उनकी दिलचस्पियाँ..... जब कुरआन को इस सयाक़ व सबाक़ (context) में रख कर गौर करेंगे तो यह तावीले खास होगी। इसमें आप मज़ीद तफ़सील में जायेंगे कि फ़लों आयत का वाक़्याती पसमंज़र क्या है। यानि कुरआन मज़ीद की किसी आयत या चंद आयात पर गौर करते हुए अक्वलन इसको इसके context में रख कर गौर करना कि जब यह आयात नाज़िल हुई उस वक़्त लोगों ने इनका मफहूम क्या समझा, यह तावीले खास होगी। अलबता कुरआन मज़ीद चूँकि नौए इंसानी की अब्दी (अनन्त) हिदायत के लिये नाज़िल हुआ है, सिर्फ़ खास इलाके और खास ज़माने के लोगों के लिये तो नाज़िल नहीं हुआ, लिहाज़ा इसमें अब्दी (अनन्त) हिदायत है, इस ऐतबार से तावीले आम करना होगी।

तावीले आम के ऐतबार से अल्फ़ाज़ पर गौर करेंगे कि अल्फ़ाज़ क्या इस्तेमाल हुए हैं। यह अल्फ़ाज़ जब तरकीबों की शक़ल इख़्तियार करते हैं तो क्या तरकीबें बनती हैं। फिर आयात का बाहमी रब्त क्या है, सयाक़ व सबाक़ क्या है? यह आयात जिस सूह में आई उसका अमूद क्या है, उस सूह का जोड़ा कौनसा है, यह सूह किस सिलसिला-ए-सूर का हिस्सा है। फिर वह सूहें मक्की और मदनी कौनसे ग्रुप में शामिल हैं, उनका मरकज़ी मज़मून क्या है? इस पसमंज़र में एक सयाक़ व सबाक़ मतन (text) का

होगा, जिससे हमें तावीले आम मालूम होगी और एक सयाक़ व सबाक़ वाक़्यात का होगा, जिससे हमें उन आयतों की तावीले खास मालूम होगी।

अगर हम कुरआन मजीद की मौजूदा तरतीब के ऐतबार से आयतों पर गौर करें तो मालूम होगा कि जिस तरतीब से इस वक़्त कुरआन मजीद मौजूद है असल हुज्जत यही है, यही असल तरतीब है, यही लौहे महफूज़ की तरतीब है। तावीले आम के ऐतबार से एक उसूली बात याद रखें: *الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب* यानि असल ऐतबार अल्फ़ाज़ के अमूम का होगा ना कि खास शाने नुज़ूल का। देखा जायेगा कि जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हुए हैं उनका मफ़हूम व मायने, नेज़ मद्लूल क्या है। कलामे अरब से दलाइल लाये जायेंगे कि वह इन्हें किन मायने में इस्तेमाल करते थे। उस लफ़ज़ के अमूम का ऐतबार होगा ना कि उसके शाने नुज़ूल का। लेकिन इसके यह मायने भी नहीं कि इसे बिल्कुल नज़र अंदाज़ कर दिया जाये। सबसे मुनासिब बात यही होगी कि पहले इसकी तावीले खास पर गौर करें और फिर इसके अब्दी सरचश्मा-ए-हिदायत होने के नाते अमूम पर गौर करें। इस ऐतबार से तावीले खास और तावीले आम के फ़र्क को ज़हन में रखें।

5) तज़क्कुर व तदब्बुर

तज़क्कुर व तदब्बुर दोनों अल्फ़ाज़ अलग-अलग तो बहुत जगह आये हैं, सूरह सुआद की आयत 29 में यकजा (एक साथ) आ गये हैं:

"यह एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो
(ऐ नबी ﷺ) हमने आपकी तरफ़ नाज़िल
की है ताकि यह लोग इसकी आयात पर

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ
أُولُو الْأَلْبَابِ 29

गौर करें और अक्ल व फ़िक्र रखने वाले
इससे सबक़ लें।"

इन दोनों का मतलब क्या है? एक है कुरआन मजीद से हिदायत अख़ज़ कर लेना, नसीहत हासिल कर लेना, असल रहनुमाई हासिल कर लेना, जिसको मौलाना रुम ने कहा: "माज़ कुराँ मग़ज़हा बरदा शतीम" यानि कुरआन का जो असल मग़ज़ है वह तो हमने ले लिया। इसका असल मग़ज़ "हिदायत" है। इस मरहले पर कुरआन जो लफ़ज़ इस्तेमाल करता है वह "तज़क्कुर" है। यह लफ़ज़ ज़िक्र से बना है। तज़क्कुर याददेहानी को कहते हैं। अब इसका ताल्लुक उसी बात से जुड़ जायेगा जो कुरआन के अस्लूबे इस्तदलाल के ज़िम्न में पहले बयान की जा चुकी है। यानि कुरआन मजीद जिन असल हकाइक (माबाद अलतबीअ'यात हकीकतों) की तरफ़ रहनुमाई करता है वह फ़ितरते इंसानी में मुज़मर हैं, उन पर सिर्फ़ ज़हूल और निस्न्यान (भूलने) के पर्दे पड़ गये हैं। मसलन आपको कोई बात कुछ अरसे पहले मालूम थी, लेकिन अब उसकी तरफ़ ध्यान नहीं रहा और वह आपकी याददाश्त के जखीरे में गहरी उतर गई है और अब याद नहीं आती, लेकिन किसी रोज़ उसकी तरफ़ कोई हल्का सा इशारा मिलते ही आपको वह पूरी बात याद आ जाती है। जैसे आपका कोई दोस्त था, किसी ज़माने में बेतकल्लुफी थी, सुबह शाम मुलाकातें थीं, अब तवील अरसा हो गया, कभी उसकी याद नहीं आयी। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं रहा, बल्कि ज़हूल है, निस्न्यान है, तवज्जह उधर नहीं है, कभी ज़हन उधर मुन्तक़िल ही नहीं होता। लेकिन अचानक किसी रोज़ आपने अपना ट्रंक खोला और उसमें से कोई कलम या रुमाल जो उसने कभी दिया हो बरामद हो गया तो फ़ौरन आपको अपना वह दोस्त याद आ जायेगा। यह phenomenon तज़क्कुर है। तज़क्कुर का मतलब तअल्लम नहीं है। तअल्लम इल्म हासिल करना

यानि नई बात जानना है, जबकि तज़क्कुर पहले से हासिलशुदा इल्म जिस पर ज़हूल और निस्यान के जो पर्दे पड़ गये थे, उनको हटाकर अंदर से उसे बरामद करना है। फ़ितरते इंसानी के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मार्फ़त के हकाइक मुज़मर हैं। यह फ़ितरत में मौजूद हैं, सिर्फ़ उन पर पर्दे पड़ गये हैं, दुनिया की मोहब्बत ग़ालिब आ गई है:

दुनियाँ ने तेरी याद से बेगाना कर दिया

तुझसे भी दिलफ़रेब हैं ग़म रोज़गार के! (फ़ैज़)

यहाँ की दिलचस्पियों, मसाइल, मुश्किलात, मशरूफियात, मशागुल की वजह से ज़हूल हो गया है, पर्दा पड़ गया है। तज़क्कुर यह है कि इस पर्दे को हटा दिया जाये।

सरकशी ने कर दिये धुंधले नक़्शे बन्दगी

आओ सज्दे में गिरें, लौहे जर्बी ताज़ा करें! (हफ़ीज़)

याददाश्त को recall करना और अपनी फ़ितरत में मुज़मर हकाइक को उजागर कर लेना तज़क्कुर है। कुरआन का असल हदफ़ यही है और इस ऐतबार से कुरआन का दावा सूरह अल् क़मर में चार मर्तबा आया है:

*"हमने कुरान को तज़क्कुर के लिये बहुत
आसान बना दिया है, तो कोई है नसीहत
हासिल करने वाला?"*

इसके लिये बहुत ग़हराई में गोताज़नी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मशक्कत व मेहनत मतलूब नहीं है। इंसान के अंदर तलब-ए-हकीकत हो और कुरआन से बराहेरास्त राब्ला (communication) हो जाये तो तज़क्कुर हासिल हो जायेगा। इसकी शर्त सिर्फ़ एक है और वह यह कि इंसान को इतनी अरबी ज़रूर आती हो कि वह कुरआन से हम कलाम हो

जाये। अगर आप तर्जुमा देखेंगे तो कुछ मालूमात तो हासिल होगी, तज़क्कुर नहीं होगा। इक़बाल ने कहा था:

तेरे ज़मीर पर जब तक ना हो नुज़ूले किताब

ग़िरह कशा है ना राज़ी ना साहिबे कशाफ़!

तज़क्कुर के अमल का असर तो यह है कि आपके अंदर के मुज़मर हकाइक उभर कर आपके शऊर की सतह पर दोबारा आ जायें। यह ना हो कि पहले आपने मतन को पढ़ा, फिर तर्जुमा देखा, हाशिया देखा, इसके बाद अगली आयत की तरफ़ गये तो तसलसुल टूट गया और कलाम की तासीर खत्म हो गई। तर्जुमे से कलाम की असल तासीर बाकी नहीं रहती। शेक्सपियर की कोई इबारत अगर आप अँग्रेज़ी में पढ़ेंगे तो झूम जायेंगे, अगर उसका तर्जुमा करेंगे तो उसका वह असर नहीं होगा। इसी तरह ग़ालिब का शेर हो या मीर का, उसका अँग्रेज़ी में तर्जुमा करेंगे तो वह असर बाकी नहीं रहेगा और आप वजद में नहीं आयेंगे, झूम-झूम नहीं जायेंगे। अरबी ज़बान का इतना इल्म कि आप अरबी मतन को बराहेरास्त समझ सकें, तज़क्कुर की बुनियादी शर्त है। चुनाँचे अक्वलन (पहला) हुस्ने नीयत हो, तलबे हिदायत हो, तास्सुब की पट्टी ना बंधी हो, और सानयन (दूसरे) अरबी ज़बान का इतना इल्म हो कि आप बराहेरास्त उससे हम कलाम हो रहे हों, यह दोनों शर्तें पूरी हो जायें तो तज़क्कुर हो जायेगा।

दोबारा ज़हन में ताज़ा कर लीजिये कि आयत का मतलब निशानी है। निशानी उसे कहते हैं जिसको देख कर ज़हन किसी और शय की तरफ़ मुन्तक़िल हो जाये। आपने कलम या रुमाल देखा तो ज़हन दोस्त की तरफ़ मुन्तक़िल हो गया जिससे मिले हुए बहुत अरसा हो गया था और उसका कभी ख़याल ही नहीं आया था। मौलाना रूम कहते हैं।

खुश्क तार व खुश्क मग़ज़ व खुश्क पोस्त

अज कजा मी आयद ई आवाज़े दोस्त?

हमारा एक अज़ली दोस्त है "अल्लाह" वही हमारा खालिक है, हमारा बारी है, हमारा रब है। उसकी दोस्ती पर कुछ पर्दे पड़ गए हैं, उस पर कुछ ज़हूल तारी हो गया है। कुरआन उस दोस्त की याद दिलाने के लिये आया है।

इसके बरअक्स तदब्बुर गहराई में गोताज़न होने को कहते हैं। "कुरआन में हो गोताज़न ऐ मर्दे मुसलमान!" तदब्बुर के ऐतबार से कुरान हकीम मुश्किलतरीन किताब है। इसकी वजह क्या है? यह कि इसका मिन्बा और सरचश्मा इल्मे इलाही है और इल्मे इलाही ला-मुतनाही (अन्तहीन) है। यह हकीकत है कि कलाम में मुतकल्लिम की सारी सिफात मौजूद होती हैं, लिहाज़ा यह कलाम ला-मुतनाही है। इसको कोई शख्स ना अबूर कर सकता है ना गहराई में इसकी तह तक पहुँच सकता है। यह नामुमकिन है, चाहे पूरी-पूरी ज़िन्दगियाँ खपा लें। वह चाहे साहिबे कश्शाफ हों, साहिबे तफ़सीर कबीर हों, कसे बाशद। इसका अहाता करना किसी के लिये मुमकिन नहीं। बाज़ लोग ग़ैर महतात अंदाज़ में यह अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर देते हैं कि "उन्हें कुरआन पर बड़ा अबूर हासिल है।" यह कुरआन के लिये बड़ा तौहीन आमेज़ कलमा है। अबूर एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुँच जाने को कहते हैं। कुरआन का तो किनारा ही कोई नहीं है। किसी इंसान के लिये यह मुमकिन नहीं है कि वह कुरआन पर अबूर हासिल करे। यह ना मुमकिनात में से है। इसी तरह इसकी गहराई तक पहुँच जाना भी ना मुमकिन है।

इस सिलसिले में एक तम्सील (उदाहरण) से बात किसी क़दर वाज़ेह हो जायेगी। कभी ऐसा भी होता है कि समुन्दर में कोई टैंकर तेल लेकर जा रहा है और किसी वजह से अचानक तेल लीक करने लग जाता है। लेकिन वह तेल सतह समुन्दर के ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं जाता। सतह समुन्दर

पर ऊपर तेल की तह और नीचे पानी होता है और वह तेल पाँच-दस मील तक फैल जाता है। समुन्दर की अथाह गहराई के बावजूद तेल सतह आब पर ही रहता है। इसी तरह समझिये कि कुरआन मजीद की असल हिदायत और असल तज़क्कुर इसकी सतह पर मौजूद है। इस तक रसाई के लिये साइंसदान या फ़लसफ़ी होना, अरबी अदब (साहित्य) का माहिर होना, कलामे जाहिली का आलिम होना ज़रूरी नहीं। सिर्फ़ दो चीज़ें मौजूद हों। पहली खुलूसे नीयत और तलबे हिदायत, दूसरी कुरआन से बराहेरास्त हमकलामी का शर्फ़ और इसकी सलाहियत। यह दोनों हैं तो तज़क्कुर का तक्राज़ा पूरा हो जायेगा। अलबता तदब्बुर के लिये गहराई में उतरना होगा और इस बहरे ज़ख़्खार में गोताज़नी करना होगी। तदब्बुर का हक़ अदा करने के लिये शेरें जाहिली को भी जानना ज़रूरी है। हर लफ़ज़ की पहचान ज़रूरी है कि जिस दौर में कुरआन नाज़िल हुआ उस ज़माने और उस इलाके के लोगों में इस लफ़ज़ का मफ़हूम क्या था, यह किन मायने में इस्तेमाल हो रहा था? कुरआन ने बुनियादी इस्तलाहात वहीं से अख़ज़ की हैं। वही अल्फ़ाज़ जिनको अरब अपने अशआर और ख़ुल्बात के अंदर इस्तेमाल करते थे उन्हीं को कुरआन मजीद ने लिया है। चुनाँचे नुज़ूले कुरआन के दौर की ज़बान को पहचानना और उसके लिये ज़रूरी महारत का होना तदब्बुर के लिये नाग़ज़ीर (ज़रूरी) है। फिर यह कि अहादीस, इल्मे बयान, मन्तिक, इन सबको इंसान बतरीके तदब्बुर जानेगा तो फिर वह इसका हक़ अदा कर सकेगा।

मौलाना अमीन अहसन इस्लाही साहब ने अपनी तफ़सीर का नाम ही "तदब्बुरे कुरआन" रखा है और वह तदब्बुरे कुरआन के बहुत बड़े दाई हैं। इसके लिये उन्होंने अपनी ज़िन्दगी में बहुत मेहनत की है। उनके बाज़ शागिर्द हज़रात ने भी मेहनत की है और वक़्त लगाया है। इसके उन

तकाज़ों को तो उन हज़रात ने बयान किया है, लेकिन तदब्बुरे कुरआन का एक और तकाज़ा भी है जो बदकिस्मती से उनके सामने भी नहीं आया। अगर वह तकाज़ा भी पूरा नहीं होगा तो असरे हाज़िर के तदब्बुर का हक़ अदा नहीं होगा। वह तकाज़ा यह है कि इल्मे इंसानी आज जिस लेवल तक पहुँच गया है, मेटेरियल साइंस के मुख्तलिफ़ उलूम के ज़िम्न में जो कुछ मालूमात इंसान को हासिल हो चुकी हैं और वह ख्यालात व नज़रियात जिनको आज दुनिया में माना जा रहा है उनसे आगाही हासिल की जाये। अगर इनका इज्माली इल्म नहीं है तो इस दौर के तदब्बुरे कुरआन का हक़ अदा नहीं किया जा सकता। कुरआन हकीम वह किताब है जो हर दौर के उफ़क़ (Horizon) पर खुर्शीदे ताज़ा की मानिन्द तुलूअ होगी। आज से सौ बरस पहले के कुरआन और आज के कुरआन में इस हवाले से फ़र्क़ होगा। मतन और अल्फ़ाज़ वही हैं, लेकिन आज इल्मे इंसानी की जो सतह है उस पर इस कुरआन के फ़हम और इसके इल्म को जिस तरीके से जलवागर होना चाहिये अगर आप इसका हक़ अदा कर रहे हैं तो आप सौ बरस पहले का कुरआन पढ़ा रहे हैं, आज का कुरआन नहीं पढ़ा रहे। जैसे अल्लाह की शान है: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} (सूरह रहमान:29) इसी तरह का मामला कुरआन हकीम का भी है।

इसी तरह हिदायते अमली के ज़िम्न में इक़तसादयात, समाजियात और नफ़िसयाते इंसानी के सिलसिले में रहनुमाई और हकाइक़ कुरआन में मौजूद हैं, उन्हें कैसे समझेंगे? कुआरन की असल तालीमात की क़द्र व कीमत और उसकी असल evaluation कैसे मुमकिन है अगर इंसान आज के इक़तसादी मसाईल को ना जानता हो? इसके बग़ैर वह तदब्बुरे कुरआन का हक़ नहीं अदा कर सकता। मसलन आज के इक़तसादी मसाईल क्या हैं? पेपर करेंसी की हकीक़त क्या है? इक़तसादयात के उसूल व मबादी क्या

हैं? बैंकिंग की असल बुनियाद क्या है? किस तरह कुछ लोगों ने इस पूरी नौए इंसानी को मआशी ऐतबार से बेबस किया हुआ है। इस हकीक़त को जब तक नहीं समझेंगे तो आज के दौर में कुरआन हकीम की इक़तसादी तालीमात वाज़ेह करने का हक़ अदा नहीं हो सकता।

वाक़या यह है कि आज तदब्बुरे कुरआन किसी एक इंसान के बस का रोग ही नहीं रहा, इसके लिये तो एक जमाअत दरकार है। मेरे किताबचे "मुसलमानों पर कुरआन मजीद के हुकूक" के बाब "तज़क्कुर व तदब्बुर" में यह तसव्वुर पेश किया गया है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कायम हों जिनका असल मरकज़ी शौबा (विभाग) "तदब्बुरे कुरआन" का हो। जो शख्स भी इस यूनिवर्सिटी का तालिबे इल्म हो, वह अरबी ज़बान सीखे और कुरआन पढ़े। लेकिन इस मरकज़ी शौबे के गिर्द तमाम उलूमे अक़ली, जैसे मन्तिक, मा बाद अल् तबीअ'यात, अख़लाक़ियात, नफ़िसयात और इलाहियात, उलूमे अमरानी (सामाजिक) जैसे मआशियात, सियासियात और कानून, और उलूमे तबीई, जैसे रियाज़ी (गणित), कीमिया (रसायन), तबीअ'यात (भौतिक), अरदियात (भूविज्ञान) और फ़ल्क़ियात (खगोलीय) वग़ैरह के शौबों का एक हिसार (दिवार) कायम हो, और हर एक तालिबे इल्म "तदब्बुरे कुरआन" की लाज़िम्न और एक या उससे ज़्यादा दूसरे उलूम की अपने ज़ौक़ (समझ) के मुताबिक़ तहसील (study) करे और इस तरह इन शौबा हाए उलूम में कुरआन के इल्म व हिदायत को तहकीकी तौर पर अख़ज़ करके मुअस्सर (प्रभावी) अंदाज़ में पेश कर सके। तालिबे इल्म वह भी पढ़े तब मालूम होगा कि इस शौबे में इंसान आज कहाँ खड़ा है और कुरआन क्या कह रहा है। फ़लाँ शौबे में नौए इंसानी के क्या मसाईल हैं और इस ज़िम्न में कुरआन हकीम क्या कहता है। मुख्तलिफ़ शौबे मिल कर

तदब्बुरे कुरआन की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं जो वक्त का अहम तकाज़ा है।

जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, तज़क्कुर के ऐतबार से कुरआन आसान तरीन किताब है जो हमारी फ़ितरत की पुकार है। "मैंने यह जाना कि गोया यही मेरे दिल में था!" अगर इंसान की फ़ितरत मस्खशुदा (विकृत) नहीं है, बल्कि सलीम (ठीक) है, सालेह है, सलामती पर कायम है तो वह कुरआन को अपने दिल की पुकार महसूस करेगा, उसके और कुरआन के दरमियान कोई हिजाब ना होगा, वह उसे अपने दिल की बात समझेगा, उसके लिये अरबी ज़बान का सिर्फ़ इतना इल्म काफ़ी है कि बराहेरास्त हमकलाम हो जाये। जबकि तदब्बुर के तकाज़े पूरे करने किसी एक इंसान के बस का रोग नहीं है। जो शख्स भी इस मैदान में क़दम रखना चाहे उसके ज़हन में एक इज्माली ख़ाका ज़रूर होना चाहिये कि आज जदीद साइंस के ऐतबार से इंसान कहाँ खड़ा है। जब इंसान को अपने मक़ाम की मारफ़त हासिल हो जाये तो वह कुरआन मजीद से बेहतर तौर पर फ़ायदा उठा सकता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि समुन्दर में तो बेतहाशा पानी है, आप अगर पानी लेना चाहते हैं तो जितना बड़ा कटोरा, कोई देग, देगची या बाल्टी आपके पास है उसी को आप भर लेंगे। यानि जितना आपका ज़र्फ़ (container) होगा उतना ही आप समुन्दर से पानी अखज़ कर सकेंगे। इसका यह मतलब तो हरगिज़ ना होगा कि समुन्दर में पानी ही इतना है! इंसानी ज़हन का ज़र्फ़ उलूम से बनता है। यह ज़र्फ़ आज से पहले बहुत तंग था। एक हज़ार साल पहले का ज़र्फ़ ज़हनी बहुत महदूद था। इंसानी उलूम के ऐतबार से आज का ज़र्फ़ बहुत वसीअ है। अगर आज आपको कुरआन मजीद से हिदायत हासिल करनी है तो आपको अपना ज़र्फ़ इसके मुताबिक

वसीअ करना होगा। और अगर कुछ लोग अभी उसी साबिक़ दौर में रह रहे हैं तो कुरआन हकीम के मख़फ़ी हकाइक़ उन पर मुन्कशिफ़ नहीं होंगे।

6) अमली हिदायात और मज़ाहिरे तबीई के बारे में मुतज़ाद तर्ज़ अमल

कुरआन हकीम में साइंसी उलूम के जो हवाले आते हैं और उसमें जो अमली हिदायात मिलती हैं, उनके ज़िमन में यह बात पेशेनज़र रहनी चाहिये कि एक ऐतबार से हमें आगे से आगे बढ़ना है और दूसरे ऐतबार से हमें पीछे से पीछे जाना है। चुनाँचे कुरआन हकीम पर ग़ौरो फ़िक़र करने वाले का अंदाज़ (attitude) दो ऐतबारात से बिल्कुल मुतज़ाद (opposite) होना चाहिये। साइंसी हवाले जो कुरआन में आये हैं उनकी ताबीर करने में आगे से आगे जाइये। आज इंसान को क्या मालूमात हासिल हो चुकी है, कौनसे हकाइक़ पाये सबूत को पहुँच चुके हैं, उनके हवाले पेशेनज़र रहेंगे। इसमें पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। इमाम राज़ी और दीगर क़दीम मुफ़स्सरीन को देखने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि इस ज़िमन में नबी अकरम ﷺ ने भी कुछ फ़रमाया है तो वह भी हमारे लिये लाज़िम नहीं है। इसलिये कि हुज़ूर ﷺ साइंस और टेक्नोलॉजी सिखाने नहीं आये थे। ताबीरे नख़ल का वाक़या पीछे गुज़र चुका है, इसके ज़िमन में आप ﷺ ने फ़रमाया था: ((انْتُمْ اَعْلَمُ بِأَمْرِ نُنْيَاكُمْ)) "अपने दुनियावी मामलात के बारे में तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो।" तजुर्बाती उलूम के मुताबिक़ जो तुम्हें इल्म हासिल है उस पर अमल करो। लेकिन दीन का जो अमली पहलू है उसमें पीछे से पीछे जाइये। यहाँ यह दलील नहीं चलेगी कि जदीद दौर के तकाज़े कुछ और हैं, जबकि यह देखना होगा कि रसूल ﷺ ने और ﷺ के सहाबा (रज़ि०) ने क्या किया। इस हवाले से कुरआन के तालिबे इल्म का रुख़ पीछे की तरफ़ होना

चाहिये कि अस्लाफ़ ने क्या समझा। मुताखरीन को छोड़ कर मुतक़दमीन की तरफ़ जाइये। मुतक़दमीन से तबअ ताबईन, फिर ताबईन से होते हुए "مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي ۝" यानि हुज़ूर ﷺ और सहाबा (रज़ि०) के अमल तक पहुँचिये। इस ऐतबार से इक़बाल का यह शेर सही मुन्तबिक़ होता है।

बमुस्तफ़ा ﷺ बरसाँ ख़वीश रा कि दीं हमा ऊस्त

अगर बऊव नरसीदी तमाम बू- लहबी सत!

दीन का अमली पहलू वही है जो अल्लाह के रसूल ﷺ से साबित है। इसमें अगरचे रिवायात के इख़्तलाफ़ की वजह से कुछ फ़र्क़ हो जायेगा मगर दलील यही रहेगी: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي))⁽¹⁾ नमाज़ इस तरह पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो।" अब नमाज़ के जुज़यात के बारे में रिवायात में कुछ फ़र्क़ मिलता है। किसी के नज़दीक एक रिवायत काबिले तरजीह है, किसी के नज़दीक दूसरी। इस ऐतबार से जुज़यात में थोड़ा बहुत फ़र्क़ हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता दलील यही रहेगी कि रसूल ﷺ और सहाबा (रज़ि०) का अमल यह था। हुज़ूर अकरम ﷺ का यह फ़रमान भी नोट कर लीजिये: ((فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ))⁽²⁾ "तुम पर मेरी सुन्नत इख़्तियार करना लाज़िम है और मेरे ख़ुल्फ़ा-ए-राशिदीन की सुन्नत जो हिदायत याफ़ता हैं।" चुनाँचे हुज़ूर ﷺ का अमल और ख़ुल्फ़ा-ए-राशिदीन का अमल हमारे लिये लायक़ तक़लीद है। फिर इसी से मुतसिल (connecting) वह चीज़ें हैं जिन पर हमारी चौदह सौ बरस की तारीख़ में उम्मत का इज्माअ रहा है। अब दुनिया इस्लामी सजाओं को वहशियाना करार देकर हम पर असर अंदाज़ होने की कोशिश कर रही है और हमें बुनियादपरस्त (fundamentalist) की गाली देकर चाहती है कि हमारे अंदर माज़रत ख़वाहाना रवैया पैदा कर दे, मगर हमारा तर्ज़ अमल यह होना चाहिये कि इन बातों से क़तअन मुतास्सिर हुए बग़ैर

दीन के अमली पहलू के बारे में पीछे से पीछे जाते हुए { مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ } (सूरह फ़तह:1) तक पहुँच जायें!

बदकिस्मती से हमारे आम उल्माओं का हाल यह है कि उन्होंने अरबी उलूम तो पढ़े हैं, अरबी मदरसों से फ़ारिग़ अल् तहसील हैं, मगर वह आगे पढ़ने की सलाहियत से आरी (मुक्त) हैं। उन्होंने साइंस नहीं पढ़ी, वह जदीद उलूम से वाकिफ़ नहीं, वह नहीं जानते आइंस्टीन किस बला का नाम है और उस शख्स के ज़रिये तबीअ'यात के अंदर कितनी बड़ी तब्दीली आ गई है। न्यूटोनियन इरा क्या था और आइंस्टीन का दौर क्या है, उन्हें क्या पता! आज कायनात का तसव्वुर क्या है, एटम की साख़्त क्या है, उन्हें क्या मालूम! एटम तो पुरानी बात हो गई, अब तो इंसान न्यूट्रॉन प्रोटोन से भी कहीं आगे की बारीकियों तक पहुँच चुका है। अब इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तो इन हकाइक़ को सही तौर पर समझना मुमकिन नहीं होगा। मज़ाहिर तबीई का मामला तो आगे से आगे जा रहा है। इसकी ताबीर जदीद से जदीद होनी चाहिये। अलबत्ता इस ज़िम्न मे यह फ़र्क़ ज़रूर मल्हूज़ रहना चाहिये कि एक तो साइंस के मैदान के महज़ नज़रियात (theories) हैं जिन्हें मुसल्लमा हकाइक़ का दर्जा हासिल नहीं है, जबकि एक वह चीज़ें हैं तजुर्बाती तौसीक़ (मान्यता) हो चुकी है और उन्हें अब मुसल्लमा हकाइक़ का दर्जा हासिल है। इन दोनो में फ़र्क़ करना होगा। ख़्वाहमोंख़्वाह कोई भी नज़रिया सामने आ जाये या कोई मफ़रूज़ा (hypothesis) मंज़रे आम पर आ जाये इस पर कुरान को मुन्तबिक़ करने की कोशिश करना सई ला हासिल बल्कि मज़र (ख़तरनाक) शय है। लकिन उसूलो तौर पर हमें इन चीज़ों की ताबीर में आगे से आगे बढ़ना है। और जहाँ तक दीन के अमली हिस्से का ताल्लुक़ है जिसे हम शरीअत कहते हैं, यानि अवामिर व नवाही, हलाल व हराम, हुदूद व ताज़िरात वग़ैरह, इन तमाम मामलात में हमें पीछे

से पीछे जाना होगा, यहाँ तक की मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ के क़दमों में अपने आप को पहुँचा दीजिये। इसलिये कि दीन इसी का नाम है। : बमुस्तफ़ा ﷺ बरसाँ खवीश रा कि दीं हमा ऊस्त!

7) फ़हमे कुरान के लिये जज़बा-ए-इन्क़लाब की ज़रूरत

फ़हमे कुरआन के लिये बुनियादी उसूल और बुनियादी हिदायात या इशारात के ज़िम्न में मौलाना अबुल आला मौदूदी (रहि०) ने यह बात बड़ी खूबसूरती से तफ़्हीमुल कुरआन के मुक़दमे में कही है कि कुरआन महज़ नज़रियात और ख्यालात की किताब नहीं है कि आप किसी ड्राइंगरूम में या कुतुबखाने में आराम से कुर्सी पर बैठ कर इसे पढ़ें और इसकी सारी बातें समझ जायें। कोई मुहक्किक्क या रिसर्च स्कॉलर डिक्शनरियों और तफ़्सीरों की मदद से इसे समझना चाहे तो नहीं समझ सकेगा। इसलिये कि यह एक दावत और तहरीक की किताब है। मौलाना मरहूम लिखते हैं:

".....अब भला यह कैसे मुमकिन है कि आप सिरे से नज़ाए कुफ़्र व दीन और मारका-ए-इस्लाम व जाहिलियत के मैदान में क़दम ही ना रखें और इस कशमकश की किसी मंज़िल से गुजरने का आपको इत्तेफ़ाक़ ही ना हुआ हो और फिर महज़ कुरआन के अल्फ़ाज़ पढ़-पढ़ कर इसकी सारी हकीक़तें आपके सामने बेनकाब हो जायें! इसे तो पूरी तरह आप उसी वक़्त समझ सकते हैं जब इसे लेकर उठें और दावत इलल्लाह का काम शुरू करें और जिस-जिस तरह यह किताब हिदायत देती जाये उसी तरह क़दम उठाते चले जायें....."

कुरान मजीद की बहुत सी बड़ी अहम हकीक़तें इसके बग़ैर मुन्क़शिफ़ नहीं होगी, इसलिये कि कुरआन एक "किताबे इन्क़लाब" (Manual of Revolution) है। इस कुरआन ने इंसानी जद्दोज़हद के ज़रिये अज़ीम इन्क़लाब बरपा किया है। मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ और आप ﷺ के साथी (रज़ि०) एक हिज़्बुल्लाह थे, एक जमाअत और एक पार्टी थे, उन्होंने दावत और इन्क़लाब के तमाम मराहिल को तय किया और हर मरहले पर उसकी मुनासिबत से हिदायात नाज़िल हुई। एक मरहला वह भी था कि हुक्म दिया जा रहा था कि मार खाओ लेकिन हाथ मत उठाओ: {كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ} (सूरतुन्निहा 77)। फिर एक मरहला वह भी आया कि हुक्म दे दिया गया कि अब आगे बढ़ो और जवाब दो, उन्हें क़त्ल करो। सूरह अन्फ़ाल में इर्शाद हुआ:

"और इनसे जंग करते रहो यहाँ तक कि फ़ितना ख़त्म हो जाये और दीन कुल का कुल अल्लाह के लिये हो जाये!" (आयत:39)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةً وَيُكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ

सूरह अल् बकरह में फ़रमाया:

"और उनको क़त्ल कर दो जहाँ कहीं तुम उनको पाओ और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला है!" (आयत:191)

وَأَقْتُلُواهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجَكُمْ

दोनों मराहिल में यकीनन फ़र्क़ है, बल्कि बज़ाहिर तज़ाद (contradiction) है, लेकिन जानना चाहिये कि यह एक ही जद्दोज़हद, के दो मुख्तलिफ़ मराहिल हैं। फिर एक दाई जब दावत देता है तो जो मसाईल उसे दरपेश होते हैं उनको एक ऐसा शख्स क़त्अन नहीं जान सकता जिसने उस कूचे में क़दम ही नहीं रखा है। उसे क्या अहसास होगा

कि मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ से यह क्यों कहा जा रहा है: "कसम है कलम की और जो कुछ लिखते हैं! आप अपने रब के फ़ज़ल से मजनुन नहीं हैं। और आपके लिये तो बेइन्तहा अज़्र है।" यानि ऐ नबी ﷺ आप महज़ून और ग़मगीन ना हों। आप इनके कहने से (मआज़ अल्लाह) मजनुन तो नहीं हो जायेंगे। ऐसे अल्फ़ाज़ जब किसी को कहे जाते हैं तो उसका ही दिल जानता है कि उस पर क्या गुज़रती है। अंदाज़ा लगाइये कि कुरैशे मक्का से इस किस्म के अल्फ़ाज़ सुन कर कल्बे मुहम्मदी ﷺ पर क्या कैफ़ियत तारी होती होगी। यह कुरआन हम पर reveal नहीं हो सकता जब तक उन अहसासात व कैफ़ियात के साथ हम खुद दो-चार ना हों। जब तक कि हमारी कैफ़ियात व अहसासात उसके साथ ममास्लत (समानता) ना रखें हम कैसे समझेंगे कि क्या कहा जा रहा है और किस कैफ़ियत के अन्दर कहा जा रहा है।

मेडिकल कॉलेज में दाखिल होने वाले तलबा (students) सबसे पहले जिस किताब से मुतारफ़ (introduced) होते हैं वह "Manual of Dissection" है। उसमें हिदायात होती है कि लाश के बदन पर यहाँ शगाफ़ (चीर) लगाओ और खाल हटाओ तो तुम्हें यह चीज़ नज़र आयेगी, यहाँ शगाफ़ लगाओ तो तुम्हें फ़लाँ शय नज़र आयेगी, इसे यहाँ से हटाओगे तो तुम्हें इसके पीछे फ़लाँ चीज़ छुपी हुई नज़र आयेगी। इस ऐतबार से कुरआन हकीम "Manual of Revolution" है। जब तक कोई शख्स इन्क़लाबी जद्दोज़हद में शरीक नहीं होगा कुरआन हकीम के मआरफ़ (Teachings) का बहुत बड़ा ख़जाना उसके लिये बंद रहेगा। एक शख्स फ़कीह है, मुफ़्ती है तो वह फ़िक्ही अहकाम को ज़रूर उसके अंदर से निकाल लेगा। आपको मालूम होगा कि बाज़ तफ़ासीर "अहकामुल कुरान" के नाम से लिखी गई हैं जिनमें सिर्फ़ उन्हीं आयात के बारे में गुफ़्तगू और बहस है जिनसे कोई

ना कोई फ़िक्ही हुक्म मुस्तनबत (derived) होता है। मसलन हलत (सिद्धान्त) व हुरमत का हुक्म, किसी शय के फ़र्ज़ होने का हुक्म जिससे अमल का मामला मुताल्लिक है। बाकी तो गोया कसस (किस्से) हैं, तारीखी हक्काइक व वाक्यात हैं। यहाँ तक कि किस्सा आदम व इब्लीस जो सात मर्तबा कुरआन में आया है, या ईमानी हक्काइक के लिये जो दलीलें व बराहीन (arguments) हैं उनसे कोई गुफ़्तगू नहीं की गई, बल्कि सिर्फ़ अहकामुल कुरआन जो कुरान का एक हिस्सा है, उसी को अहमियत दी गई है।

कुरआन के तदरीजन नुज़ूल का सबब यह है कि साहिबे कुरआन ﷺ की जद्दोज़हद के मुख्तलिफ़ मराहिल को समझा जाये, वरना फ़िक्ही अहकाम तो मुतब करके दिये जा सकते थे, जैसा कि हज़रत मूसा अलै० को दे दिये गए थे "अहकामे अशरा" तख़्तियों पर कन्दह (खुदे हुए) थे जो मूसा अलै० के सुपुर्द कर दिये गये। लेकिन मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ की इन्क़लाबी जद्दोज़हद जिस-जिस मरहले से गुज़रती रही कुरआन में उस मरहले से मुताल्लिक आयतें नाज़िल होती रहीं। तंज़ील की तरतीब के अंदर मुज़मर असल हिकमत यही तो है कि आँहुज़ूर ﷺ की जद्दोज़हद, हरकत और दावत के मुख्तलिफ़ मरहले सामने आ जाते हैं। अब भी कुरआन की बुनियाद पर और मन्हजे इन्क़लाबे नबवी ﷺ पर जो जद्दोज़हद होगी उसे इन तमाम मरहलों से होकर गुज़रना होगा। चुनाँचे कम से कम यह तो हो कि इस जद्दोज़हद को इल्मी तौर पर फ़हम के लिये इंसान सामने रखे। अगर इल्मी ऐतबार से सीरतुन्नबी ﷺ का ख़ाका ज़हन में मौजूद ना हो तो फ़हम किसी दर्जे में भी हासिल नहीं होगा। फ़हमे हकीकी तो उसी वक़्त हासिल होगा जब आप खुद इस जद्दोज़हद में लगे हुए हैं और वही मसाईल

आपको पेश आ रहे हैं तो अब मालूम होगा कि यह मक़ाम और मरहला या मसला वह था जिसके लिये यह हिदायते कुरआनी आई थी।

8) कुरान के मुनज़ज़ल मिनल्लाह होने का सुबूत

इस ज़िम्न में यह जानना भी ज़रूरी है कि कुरआन के मुनज़ज़ल मिनल्लाह होने का सुबूत क्या है। याद रखिये कि सुबूत दो किस्म के होते हैं, खारजी और दाखिली। खारजी सुबूत खुद मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ का यह फ़रमाना है कि यह कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ। फिर आप ﷺ की शहादत भी दो हैसियतों से है। आप ﷺ की शख्सियत शहादत ज़्यादा नुमाया उस वक़्त थी जबकि कुरान नाज़िल हुआ और हुज़ूर ﷺ खुद मौजूद थे। वह लोग भी वहाँ मौजूद थे जिन्होंने आप ﷺ की चालीस साला ज़िन्दगी का मुशाहदा किया था, जिन्हें कारोबारी शख्सियत की हैसियत से आप ﷺ के मामलात का तजुर्बा था। जिनके सामने आप ﷺ की सदाक़त, दयानत, अमानत और इफ़ा-ए-अहद का पूरा नक़शा मौजूद था। बल्कि उससे आगे बढ़ कर जिनके सामने चेहरा-ए-मुहम्मदी ﷺ मौजूद था। सलीमुल फ़ितरत इंसान आपका रूप अनवर देख कर पुकार उठता था: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَا بَوْجِهِ (अल्लाह पाक है, यह चेहरा किसी झूठे का हो ही नहीं सकता)। तो हुज़ूर ﷺ की शख्सियत, आप ﷺ की ज़ात और आप ﷺ की शहादत कि यह कुरआन मुझ पर नाज़िल हुआ, सबसे बड़ा सुबूत था।

इस ऐतबार से याद रखिये कि मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ और कुरआन बाहम एक दुसरे के शाहिद (गवाह) हैं। कुरआन मुहम्मद ﷺ की रिसालत पर गवाही देता है:

{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝}

कुरआन गवाही दे रहा है कि आप ﷺ अल्लाह के रसूल हैं और कुरान के मुनज़ज़ल मिनल्लाह होने का सुबूत ज़ाते मुहम्मदी ﷺ है। इसका एक पहलु तो वह है कि नुज़ूले कुरआन के वक़्त रसूल अल्लाह ﷺ की ज़ात, आप ﷺ की शख्सियत, आप ﷺ की सीरत व किरदार, आप ﷺ का अखलाक, आप ﷺ का वजूद, आप ﷺ की शबीहा (छवि) और चेहरा सामने था। दूसरा पहलु जो दायमी है और आज भी है वह हुज़ूर ﷺ का वह कारनामा है जो तारीख की अनमिट शहादत है। आप एच० जि० वेल्ज़, एम० एन० राय या डॉक्टर माइकल हार्ट से पूछिये कि वह कितना अज़ीम कारनामा है जो मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ ने सरअंजाम दिया। और आप ﷺ खुद कह रहे हैं कि मेरा आला इंकलाब कुरआन है, यही मेरा अस्लहा और असल ताक़त है, यही मेरी कुव्वत का सरचश्मा और मेरी तासीर का मिन्बा है। इससे बड़ी गवाही और क्या होगी? यह तो कुरआन के मुनज़ज़ल मिनल्लाह होने की खारजी शहादत है। यानि "हुज़ूर ﷺ की शख्सियत।" शहादत का यह पहलु हुज़ूर ﷺ के अपने ज़माने में और आप ﷺ की हयाते दुनयवी के दौरान ज़्यादा नुमाया था। और जहाँ तक आप ﷺ के कारनामे का ताल्लुक है इस पर तो अक्ल दंग रह जाती है। देखिये माइकल हार्ट मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ के बारे में यह कहने पर मजबूर हुआ है:

"He was the only man in history who has supremely successful on both the religious and secular levels."

यानि तारीखे इंसानी में सिर्फ वही वाहिद शख्स हैं जो सेक्युलर और मज़हबी दोनों मैदानों में इन्तहाई कामयाब रहे---

और आप ﷺ का यह इर्शाद है कि यह अल्लाह का कलाम है। तो खारजी सुबूत गोया बतमाम व कमाल हासिल हो गया।

कुरान के मुनज़ज़ल मिनल्लाह होने का दाखिली सुबूत यह है कि इंसान का दिल गवाही दे। दाखिली सुबूत इंसान का अपना बातिनी तजुर्बा होता

हैं। अगर हज़ार आदमी कहें चीनी मीठी है मगर आपने ना चखी हो तो आप कहेंगे कि जब इतने लोग कह रहे हैं मीठी है तो होगी मीठी। ज़ाहिर है एक हज़ार आदमी मुझे क्यों धोखा देना चाहेंगे, यकीनन मीठी होगी। लेकिन "होगी" से आगे बात नहीं बढ़ती। अलबत्ता जब इंसान चीनी को चख ले और उसकी अपनी हिसे ज़ायका (sense of taste) बता रही हो कि यह मीठी है तो अब "होगी" नहीं बल्कि "है"। "होगी" और "है" मे दरहकीकत इंसान के ज़ाती तजुर्बे का फ़र्क है। अफ़सोस यह है कि आज की दुनिया सिर्फ़ ख़ारजी तजुर्बे को जानती है। एक तजुर्बा इससे कहीं ज़्यादा मुअत्बर है और वह बातनी तजुर्बा है, यानि किसी शय पर आपका दिल गवाही दे। इक़बाल ने क्या ख़ूब कहा है:

*तू अरब हो या अजम हो तेरा ला इलाहा इल्ला
लुगते ग़रीब, जब तक तेरा दिल ना दे गवाही!*

ला इलाहा इल्लल्लाह के लिये अगर दिल ने गवाही ना दी तो इंसान ख्वाह अरबी नस्ल हो, अरबी ज़बान जानता हो, लेकिन उसके लिये यह कलमा लुगते ग़रीब ही है, नामानूस सी बात है, उसके अंदर पेवस्त नहीं है, उसको मुतास्सिर नहीं करती। कुरआन इंसान की अपनी फ़ितरत को अपील करता है और इंसान को अपने मन में झाँकने के लिये आमादा करता है। वह कहता है अपने मन में झाँको, देखो तो सही, गौर तो करो

*"क्या तुम्हें अल्लाह के बारे में शक है जो
आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला
है?" (10:इब्राहीम)*

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .

*"क्या तुम वाकिअतन यह गवाही देते हो
कि अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी
है?" (अल् अनाम:19)*

أَبْنُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى .

*देखना तकरीर की लज़ज़त कि जो उसने कहा
मैंने यह जाना कि गोया यह ही मेरे दिल में है!*

अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रहि०) ने इसकी बड़ी ख़ूबसूरत ताबीर की है। वह कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब कुरआन पढ़ते हैं तो यूँ महसूस करते हैं कि वह मुस्हफ़ से नहीं पढ़ रहे बल्कि कुरआन उनके लौहे क़ल्ब पर लिखा हुआ है, वहाँ से पढ़ रहे हैं। गोया फ़ितरते इंसानी को कुरआन मजीद के साथ इतनी हम-आहंगी (एकता) हो जाती है।

हमारे दौर के एक सूफ़ी बुजुर्ग कहा करते हैं कि रूहे इंसानी और कुरआन हकीम एक ही गाँव के रहने वाले हैं। जैसे एक गाँव के रहने वाले एक दूसरे को पहचानते हैं और बाहम इन्सियत (attached together) महसूस करते हैं ऐसा ही मामला रूहे इंसानी और कुरआन हकीम का है। कुरआन को पढ़ कर और सुन कर रूहे इंसानी महसूस करती है कि इसका मिन्बा और सरचश्मा वही है जो मेरा है। जहाँ से मैं आई हूँ यह कलाम भी वहीं से आया है। यकीनन इस कलाम का मिन्बा और सरचश्मा वही है जो मेरे वजूद, मेरी हस्ती और मेरी रूह का मिन्बा और सरचश्मा है। यह हम-आहंगी (एकता) है जो असल बातनी तजुर्बा बन जाये तब ही यकीन होता है कि यह कलाम वाकिअतन अल्लाह का है।

□ □ □

बाब हफ्तम (सातवाँ)

एजाज़े कुरआन के अहम और बुनियादी वजूह (वजहें)

कुरान और साहिबे कुरान ﷺ का बाहमी ताल्लुक

मैं अर्ज कर चुका हूँ कि कुरआन मजीद और नबी अकरम ﷺ दोनों एक-दूसरे के शाहिद हैं। कुरआन के मुनज़ज़ल मिनल्लाह होने की सबसे बड़ी और सबसे मौअतबर (trusted) खारजी गवाही नबी अकरम ﷺ की अपनी गवाही है। आप ﷺ की शख्सियत, आप ﷺ का किरदार, आप ﷺ का चेहरा-ए-अनवर अपनी-अपनी जगह पर गवाह हैं। हमारे लिये अगरचे आप ﷺ की सीरत आज भी ज़िन्दा व पाइन्दा है, किताबों में दर्ज है, लेकिन एक मुजस्सम इंसानी शख्सियत की सूरत में आप ﷺ हमारे सामने मौजूद नहीं हैं, हम आप ﷺ के रूप अनवर की ज़ियारत से महरूम हैं। ताहम आप ﷺ का कारनामा ज़िन्दा व ताबन्द है और इसकी गवाही हर शख्स दे रहा है। हर मौरिख (इतिहासकार) ने तस्लीम किया है, हर मुफक्किर (Thinker) ने माना है कि तारीखे इंसानी का अज़ीम-तरीन इन्कलाब वह था जो हुज़ूर ﷺ ने बरपा किया। आप ﷺ की यह अज़मत आज भी मुबरहन (स्पष्ट) है, अशकारा (openly) है, अज़हर मिनशशम्श (express evident) है। चुनाँचे कुरआन के मुनज़ज़ल मिनल्लाह और कलामे इलाही होने पर सबसे बड़ी खारजी गवाही खुद नबी अकरम ﷺ हैं, और नबी अकरम ﷺ के नबी और रसूल होने का सबसे बड़ा गवाह, सबसे बड़ा शाहिद और सबसे बड़ा सुबूत खुद कुरआन मजीद है।

इस ऐतबार से यह दोनों जिस तरह लाज़िम व मलजूम हैं इसके लिये मैं कुरआन हकीम के दो मक़ामात से इस्तशहाद (शपथपत्र) कर रहा हूँ। सूरह अल् बय्यिना (आयत:1) में फ़रमाया:

"अहले किताब में से जिन लोगों ने कुफ़ किया और मुशरिक बाज़ आने वाले ना थे यहाँ तक कि उनके पास "बय्यिना" आ जाती।"

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُتَكَبِّرِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

"बय्यिना" खुली और रोशन दलील को कहते हैं। ऐसी रोशन हकीकत जिसको किसी खारजी दलील की मज़ीद हाजत ना हो वह "बय्यिना" है। जैसे हम अपनी गुफ्तगू में कहते हैं कि यह बात बिल्कुल बय्यिन है, बिल्कुल वाज़ेह है, इस पर किसी कील व काल की हाजत ही नहीं है। बल्कि अगर बय्यिना पर कोई दलील लाने की कोशिश की जाये तो किसी दर्जे में शक व शुबह तो पैदा किया जा सकता है, उस पर यकीन में इज़ाफ़ा नहीं किया जा सकता। और यह बय्यिना क्या है? फ़रमाया:

"एक रसूल अल्लाह की जानिब से जो पाक सहीफे पढ़ कर सुनाता है, जिनमें बिल्कुल रास्त (सच) और दुरुस्त तहरीरें लिखी हुई हों।" (आयत:2-3)

رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ○A فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ○A

यहाँ कुरान हकीम की सूरतों को अल्लाह की किताबों से ताबीर किया गया है, जो कायम व दायम हैं और हमेशा-हमेश रहने वाली हैं। तो गोया रसूल ﷺ की शख्सियत और अल्लाह का यह कलाम जो उन पर नाज़िल हुआ, दोनों मिलकर "बय्यिना" बनते हैं।

मैंने कुरान फ़हमी का यह उसूल बारहा (बार-बार) अर्ज किया है कि कुरआन मजीद में अहम मज़ामीन (articles) कम से कम दो जगह ज़रूर

आते हैं। चुनाँचे इसकी नज़ीर (उदाहरण) सूरह अत् तलाक़ में मौजूद है। इसकी आयत 10 इन अल्फ़ाज़ पर खत्म होती है:

"अल्लाह ने तुम्हारी तरफ़ एक ज़िक्र नाज़िल कर दिया है।"

○ 10 فَذُنُزِلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا

और यह ज़िक्र क्या है? फ़रमाया:

"एक ऐसा रसूल जो तुम्हें पढ़ कर सुना रहा है अल्लाह की आयात जो हर शय को रोशन कर देने वाली (और हर हकीकत को मुबरहन [स्पष्ट] कर देने वाली) हैं, ताकि ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को तारीकियों (अंधेरों) से निकाल कर रोशनी में ले आये।"

رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

यहाँ "آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ" के बजाये "آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ" आया है। "बय्यिन" वह चीज़ है जो खुद रोशन है और "मुबय्यिन" वह चीज़ है जो दूसरी चीज़ों को रोशन करती है, हकाइक को उजागर करती है। तो यहाँ पर ज़िक्र की जो तावील की गई कि {رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُّبِينَاتٍ} इससे वाज़ेह हुआ कि कुरआन और मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ एक-दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हुए और मिले हुए हैं कि एक हयातयाती वजूद (Organic Whole) बन गये हैं। यह एक-दूसरे के लिये शाहिद भी हैं और एक-दूसरे के लिये complimentary भी हैं। इस हवाले से यह दोनों हकीकते इस तरह जमा हैं कि एक-दूसरे से जुदा नहीं की जा सकतीं।

मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ का असल मोअज्ज़ह (चमत्कार): कुरान हकीम

अगली बात यह समझिये कि नबी अकरम ﷺ की रिसालत का असल सबूत या बा अल्फ़ाज़े दीगर आप ﷺ का असल मोअज्ज़ह (चमत्कार), बल्कि वाहिद मोअज्ज़ह कुरआन हकीम है। यह बात ज़रा अच्छी तरह समझ लीजिये। "मोअज्ज़ह" का लफ़्ज़ हमारे यहाँ बहुत आम हो गया है और हर खर्क आदत शय को मोअज्ज़ह शुमार किया जाता है। मोअज्ज़ह के लफ़्ज़ी मायने आजिज़ कर देने वाली शय के हैं। कुरआन मजीद में "عجز" माद्दे से बहुत से अल्फ़ाज़ आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस्तलाह के तौर पर इस लफ़्ज़ का जो इत्लाक़ किया जाता है वह कुरआन हकीम में मुस्तमिल नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूलों को जो मोअज्ज़ात दिये गये उन्हें भी आयतें कहा गया है। अम्बिया व रसूल अल्लाह तआला की आयात यानि अल्लाह की निशानियाँ लेकर आये।

इस ऐतबार से मोअज्ज़ह का लफ़्ज़ जिस मायने में हम इस्तेमाल करते हैं, उस मायने में यह कुरआन मजीद में मुस्तमिल नहीं है। अलबत्ता वह तबीई क़वानीन (Physical Laws) जिनके मुताबिक़ यह दुनिया चल रही है, अगर किसी मौक़े पर वह टूट जायें और उनके टूट जाने से अल्लाह तआला की कोई मशियते ख़ुसूसी (special will) ज़ाहिर हो तो उसे खर्क आदत कहते हैं। मसलन क़ानून तो यह है कि पानी अपनी सतह हमवार रखता है, लेकिन हज़रत मूसा अलै० ने अपने असा (लाठी) की ज़र्ब (चोट) लगाई और समुन्दर फट गया, यह खर्क आदत है, यानि जो आदी क़ानून है वह टूट गया। "खर्क" फट जाने को कहते हैं, जैसे सूरह अल् कहफ़ में यह लफ़्ज़ आया है "خَرَفَهَا" यानि उस अल्लाह के बन्दे ने जो हज़रत मूसा अलै० के साथ कश्ती में सवार थे, कश्ती में शगाफ़ (दरार) डाल दिया। पस (बस)

जब भी कोई तबीई कानून टूटेगा तो वह खर्के आदत होगा। अल्लाह तआला इन खर्के आदत वाक्यात के ज़रिये से बहुत से क़वानीने कुदरत को तोड़ कर अपनी खुसूसी मशियत और खुसूसी कुदरत का इज़हार फ़रमाता है। और यह बात हमारे हाँ मुसल्लम है कि इस ऐतबार से अल्लाह तआला का मामला सिर्फ़ अम्बिया के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि अल्लाह तआला अपने नेक बंदों में से भी जिनके साथ ऐसा मामला करना चाहें करता है, लेकिन इस्तलाहन हम उन्हें करामात कहते हैं। खर्के आदत या करामात अपनी जगह पर एक मुस्तकिल मज़मून है।

मोअज्ज़ह भी खर्के आदत होता है, लेकिन रसूल का मोअज्ज़ह वह होता है जो दावे के साथ पेश किया जाये और जिसमें तहदी (challenge) भी मौजूद हो। यानि जिसे रसूल खुद अपनी रिसालत के सुबूत के तौर पर पेश करे और फिर उसमें मुकाबले का चैलेज दिया जाये। जैसे हज़रत मूसा अलै० को अल्लाह तआला ने जो मोअज्ज़ात अता किये उनमें "يد بيضاء" और "عصا" की हैसियत असल मोअज्ज़ेह की थी। वैसे आयतें और भी दी गई थीं जैसा कि सूरह बनी इस्राईल में है:

"और बेशक हमने मूसा को नूर रोशन
निशानियाँ दीं।" (आयत:101)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

मगर यह उस वक़्त की बात है जब आप अलै० अभी मिस्र के अंदर थे। जब आप अलै० मिस्र से बाहर निकले तो असा की करामात ज़ाहिर हुई कि उसकी ज़र्ब से समुन्दर फट गया, उसकी ज़र्ब से चट्टान से बारह चशमें फूट पड़े। यह तमाम चीज़ें खर्के आदत हैं, लेकिन असल मोअज्ज़ेह दो थे जिनको हज़रत मूसा अलै० ने दावे के साथ पेश किया कि यह मेरी रिसालत का सुबूत है।

जब आप अलै० फिरऔन के दरबार में पहुँचें और आपने अपनी रिसालत की दावत पेश की तो दलीले रिसालत के तौर पर फ़रमाया कि मैं इसके लिये सनद {سُلْطَانٌ مُّبِينٌ} भी लेकर आया हूँ। फिरऔन ने कहा कि लाओ पेश करो तो आप अलै० ने यह दो मोअज्ज़ेह पेश किये। यह दो मोअज्ज़ेह जो अल्लाह की तरफ़ से आप अलै० को अता किये गये, आप अलै० की रिसालत की सनद थे। इसमें तहदी भी थी। लिहाज़ा मुकाबला भी हुआ और जादूगरों ने पहचान भी लिया कि यह जादू नहीं है, मोअज्ज़ह है। मोअज्ज़ह जिस मैदान का होता है उसे उसी मैदान के अफ़राद ही पहचान सकते हैं। जब जादूगरों का हज़रत मूसा अलै० से मुकाबला हुआ तो आम देखने वालों ने तो यही समझा होगा कि यह बड़ा जादूगर है और यह छोटे जादूगर हैं, इसका जादू ज़्यादा ताक़तवर निकला, इसके असा ने भी साँप और अस्दहा की शक़ल इख़्तियार की थी और इन जादूगरों की रस्सियों और छड़ियों ने भी साँपों की शक़ल इख़्तियार कर ली थी, अलबत्ता यह ज़रूर है कि इसका बड़ा साँप बाकी तमाम साँपों को निगल गया। यही वजह है कि मजमा ईमान नहीं लाया, लेकिन जादूगर तो जानते थे कि उनके फ़न की रसाई कहाँ तक है, इसलिये उन पर यह हकीक़त मुन्कशिफ़ (प्रकट) हो गई कि यह जादू नहीं है, कुछ और है।

इसी तरह कुरान हकीम के मोअज्ज़ह होने का असल अहसास अरब के शायर, खतीबों और ज़बान दानों को हुआ था। आम आदी ने भी अगरचे महसूस किया कि यह खास कलाम है, बहुत पुरतासीर और मीठा कलाम है, लेकिन इसका मोअज्ज़ह होना यानि आजिज़ कर देने वाला मामला तो इसी तरह साबित हुआ कि कुरआन मजीद में बार-बार चैलेंज दिया गया कि इस जैसा कलाम पेश करो। इस ऐतबार से जान लीजिये कि रसूल ﷺ का असल मोअज्ज़ह कुरआन है।

आप ﷺ के खर्क आदत मोअज्जात तो बेशुमार हैं। शक्क कमर (चाँद के दो टुकड़े) कुरआन हकीम से साबित है, लेकिन यह आप ﷺ ने दावे के साथ नहीं दिखाया, ना ही इस पर किसी को चैलेंज किया, बल्कि आप ﷺ से मुतालबे (माँग) किये गये थे कि आप ﷺ यह-यह करके दिखाइये, उनमें से कोई बात अल्लाह तआला के यहाँ मन्ज़ूर नहीं हुई। अल्लाह चाहता तो उनका मुतालबा (माँग) पूरा करा देता, लेकिन उन मुतालबों को तस्लीम नहीं किया गया। अलबत्ता खर्क आदत वाक्यात बेशुमार हैं। जानवरों का भी आप ﷺ की बात को समझना और आप ﷺ से अकीदत का इज़हार करना बहुत मशहूर है। हज्जतुल विदाह के मौके पर 63 ऊँटों को हुज़ूर ﷺ ने खुद अपने हाथों से नहर (ज़िबह) किया था। क्रतार में सौ ऊँट खड़े किये गये थे। रिवायात में आता है कि एक ऊँट जब गिरता था तो अगला खुद आगे आ जाता था। इसी तरह "सतूने हनाना" का मामला हुआ। हुज़ूर ﷺ मस्जिद नबवी ﷺ में खजूर के एक तने का सहारा लेकर खुत्बा इर्शाद फ़रमाया करते थे, मगर जब इस मक़सद के लिये मिम्बर बना दिया गया और आप ﷺ पहली मर्तबा मिम्बर पर खड़े होकर खुत्बा देने लगे तो उस सूखे हुए तने में से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई बच्चा बिलख-बिलख कर रो रहा हो, इसी लिये तो उसे "हनाना" कहते हैं। ऐसे ही कई मौकों पर थोड़ा खाना बहुत से लोगों को किफ़ायत कर गया।

इन खर्क आदत वाक्यात को बाज़ अक़लियत पसंद (Rationalists) और साइंसी मिज़ाज के हामिल लोग तस्लीम नहीं करते। पिछले ज़माने में भी लोग इनका इन्कार करते थे। इस पर मौलाना रुम ने खूब फ़रमाया है कि:

*फ़ल्सफ़ी को मुन्कर हनाना अस्त
अज़ हवासे अम्बिया बेगाना अस्त!*

बहरहाल खर्क आदत वाक्यात हुज़ूर ﷺ की हयाते तैय्यबा में बहुत हैं। (तफ़सील देखना हो तो "सूरतुन नबी ﷺ" अज़ मौलाना शिबली की एक ज़खीम जिल्द सिर्फ़ हुज़ूर ﷺ के खर्क आदत वाक्यात पर मुश्तमिल है) लेकिन जैसा कि ऊपर गुज़रा, मोअज्ज़ह दावे के साथ और रिसालत के सुबूत के तौर पर होता है।

कुरान मजीद में इसकी दूसरी मिसाल हज़रत ईसा अलै० की आई है कि आप अलै० लोगों से फ़रमाते हैं कि देखो मैं मुर्दों को ज़िन्दा करके दिखा रहा हूँ। मैं गारे से परिन्दे की सूरत बनाता हूँ और उसमें फूँक मारता हूँ तो वह अल्लाह के हुक्म से उड़ता हुआ परिन्दा बन जाता है। खर्क आदत का मामला तो ग़ैर नबी के लिये भी हो सकता है। अल्लाह तआला अपने नेक बन्दों के लिये भी इस तरह के हालात पैदा कर सकता है। उनका अल्लाह के यहाँ जो मक़ाम व मर्तबा है उसके इज़हार के लिये करामात का ज़हूर हो सकता है। यह चीज़ें बईद (असम्भव) नहीं हैं, लेकिन अम्बिया की करामात को अर्फ़ आम (आम तौर) में "मोअज्जात" कहा जाता है और ग़ैर अम्बिया और औलिया के लिये "करामात" का लफ़ज़ इस्तेमाल होता है। लेकिन मोअज्ज़ह वह है जिसे अल्लाह का रसूल दावे के साथ पेश करके और चैलेंज करे।

यह बात कि कुरान मजीद ही हुज़ूर ﷺ का असल मोअज्ज़ह है, दो ऐतबारात से कुरआन में बयान की गई है। एक मुस्बत अंदाज़ है, जैसे सूरह यासीन में इब्तदाई आयतों में फ़रमाया:

"यासीन! क़सम है कुरान हकीम की (और क़सम का असल फ़ायदा शहादत होता है, यानि गवाह है यह कुरान हाकिम) कि

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیْمِ ۝۱ ۝۲ ۝۳ ۝۴ ۝۵ ۝۶ ۝۷ ۝۸ ۝۹ ۝۱۰ ۝۱۱ ۝۱۲ ۝۱۳ ۝۱۴ ۝۱۵ ۝۱۶ ۝۱۷ ۝۱۸ ۝۱۹ ۝۲۰ ۝۲۱ ۝۲۲ ۝۲۳ ۝۲۴ ۝۲۵ ۝۲۶ ۝۲۷ ۝۲۸ ۝۲۹ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴۰ ۝۴۱ ۝۴۲ ۝۴۳ ۝۴۴ ۝۴۵ ۝۴۶ ۝۴۷ ۝۴۸ ۝۴۹ ۝۵۰ ۝۵۱ ۝۵۲ ۝۵۳ ۝۵۴ ۝۵۵ ۝۵۶ ۝۵۷ ۝۵۸ ۝۵۹ ۝۶۰ ۝۶۱ ۝۶۲ ۝۶۳ ۝۶۴ ۝۶۵ ۝۶۶ ۝۶۷ ۝۶۸ ۝۶۹ ۝۷۰ ۝۷۱ ۝۷۲ ۝۷۳ ۝۷۴ ۝۷۵ ۝۷۶ ۝۷۷ ۝۷۸ ۝۷۹ ۝۸۰ ۝۸۱ ۝۸۲ ۝۸۳ ۝۸۴ ۝۸۵ ۝۸۶ ۝۸۷ ۝۸۸ ۝۸۹ ۝۹۰ ۝۹۱ ۝۹۲ ۝۹۳ ۝۹۴ ۝۹۵ ۝۹۶ ۝۹۷ ۝۹۸ ۝۹۹ ۝۱۰۰ ۝۱۰۱ ۝۱۰۲ ۝۱۰۳ ۝۱۰۴ ۝۱۰۵ ۝۱۰۶ ۝۱۰۷ ۝۱۰۸ ۝۱۰۹ ۝۱۱۰ ۝۱۱۱ ۝۱۱۲ ۝۱۱۳ ۝۱۱۴ ۝۱۱۵ ۝۱۱۶ ۝۱۱۷ ۝۱۱۸ ۝۱۱۹ ۝۱۲۰ ۝۱۲۱ ۝۱۲۲ ۝۱۲۳ ۝۱۲۴ ۝۱۲۵ ۝۱۲۶ ۝۱۲۷ ۝۱۲۸ ۝۱۲۹ ۝۱۳۰ ۝۱۳۱ ۝۱۳۲ ۝۱۳۳ ۝۱۳۴ ۝۱۳۵ ۝۱۳۶ ۝۱۳۷ ۝۱۳۸ ۝۱۳۹ ۝۱۴۰ ۝۱۴۱ ۝۱۴۲ ۝۱۴۳ ۝۱۴۴ ۝۱۴۵ ۝۱۴۶ ۝۱۴۷ ۝۱۴۸ ۝۱۴۹ ۝۱۵۰ ۝۱۵۱ ۝۱۵۲ ۝۱۵۳ ۝۱۵۴ ۝۱۵۵ ۝۱۵۶ ۝۱۵۷ ۝۱۵۸ ۝۱۵۹ ۝۱۶۰ ۝۱۶۱ ۝۱۶۲ ۝۱۶۳ ۝۱۶۴ ۝۱۶۵ ۝۱۶۶ ۝۱۶۷ ۝۱۶۸ ۝۱۶۹ ۝۱۷۰ ۝۱۷۱ ۝۱۷۲ ۝۱۷۳ ۝۱۷۴ ۝۱۷۵ ۝۱۷۶ ۝۱۷۷ ۝۱۷۸ ۝۱۷۹ ۝۱۸۰ ۝۱۸۱ ۝۱۸۲ ۝۱۸۳ ۝۱۸۴ ۝۱۸۵ ۝۱۸۶ ۝۱۸۷ ۝۱۸۸ ۝۱۸۹ ۝۱۹۰ ۝۱۹۱ ۝۱۹۲ ۝۱۹۳ ۝۱۹۴ ۝۱۹۵ ۝۱۹۶ ۝۱۹۷ ۝۱۹۸ ۝۱۹۹ ۝۲۰۰ ۝۲۰۱ ۝۲۰۲ ۝۲۰۳ ۝۲۰۴ ۝۲۰۵ ۝۲۰۶ ۝۲۰۷ ۝۲۰۸ ۝۲۰۹ ۝۲۱۰ ۝۲۱۱ ۝۲۱۲ ۝۲۱۳ ۝۲۱۴ ۝۲۱۵ ۝۲۱۶ ۝۲۱۷ ۝۲۱۸ ۝۲۱۹ ۝۲۲۰ ۝۲۲۱ ۝۲۲۲ ۝۲۲۳ ۝۲۲۴ ۝۲۲۵ ۝۲۲۶ ۝۲۲۷ ۝۲۲۸ ۝۲۲۹ ۝۲۳۰ ۝۲۳۱ ۝۲۳۲ ۝۲۳۳ ۝۲۳۴ ۝۲۳۵ ۝۲۳۶ ۝۲۳۷ ۝۲۳۸ ۝۲۳۹ ۝۲۴۰ ۝۲۴۱ ۝۲۴۲ ۝۲۴۳ ۝۲۴۴ ۝۲۴۵ ۝۲۴۶ ۝۲۴۷ ۝۲۴۸ ۝۲۴۹ ۝۲۵۰ ۝۲۵۱ ۝۲۵۲ ۝۲۵۳ ۝۲۵۴ ۝۲۵۵ ۝۲۵۶ ۝۲۵۷ ۝۲۵۸ ۝۲۵۹ ۝۲۶۰ ۝۲۶۱ ۝۲۶۲ ۝۲۶۳ ۝۲۶۴ ۝۲۶۵ ۝۲۶۶ ۝۲۶۷ ۝۲۶۸ ۝۲۶۹ ۝۲۷۰ ۝۲۷۱ ۝۲۷۲ ۝۲۷۳ ۝۲۷۴ ۝۲۷۵ ۝۲۷۶ ۝۲۷۷ ۝۲۷۸ ۝۲۷۹ ۝۲۸۰ ۝۲۸۱ ۝۲۸۲ ۝۲۸۳ ۝۲۸۴ ۝۲۸۵ ۝۲۸۶ ۝۲۸۷ ۝۲۸۸ ۝۲۸۹ ۝۲۹۰ ۝۲۹۱ ۝۲۹۲ ۝۲۹۳ ۝۲۹۴ ۝۲۹۵ ۝۲۹۶ ۝۲۹۷ ۝۲۹۸ ۝۲۹۹ ۝۳۰۰ ۝۳۰۱ ۝۳۰۲ ۝۳۰۳ ۝۳۰۴ ۝۳۰۵ ۝۳۰۶ ۝۳۰۷ ۝۳۰۸ ۝۳۰۹ ۝۳۱۰ ۝۳۱۱ ۝۳۱۲ ۝۳۱۳ ۝۳۱۴ ۝۳۱۵ ۝۳۱۶ ۝۳۱۷ ۝۳۱۸ ۝۳۱۹ ۝۳۲۰ ۝۳۲۱ ۝۳۲۲ ۝۳۲۳ ۝۳۲۴ ۝۳۲۵ ۝۳۲۶ ۝۳۲۷ ۝۳۲۸ ۝۳۲۹ ۝۳۳۰ ۝۳۳۱ ۝۳۳۲ ۝۳۳۳ ۝۳۳۴ ۝۳۳۵ ۝۳۳۶ ۝۳۳۷ ۝۳۳۸ ۝۳۳۹ ۝۳۴۰ ۝۳۴۱ ۝۳۴۲ ۝۳۴۳ ۝۳۴۴ ۝۳۴۵ ۝۳۴۶ ۝۳۴۷ ۝۳۴۸ ۝۳۴۹ ۝۳۵۰ ۝۳۵۱ ۝۳۵۲ ۝۳۵۳ ۝۳۵۴ ۝۳۵۵ ۝۳۵۶ ۝۳۵۷ ۝۳۵۸ ۝۳۵۹ ۝۳۶۰ ۝۳۶۱ ۝۳۶۲ ۝۳۶۳ ۝۳۶۴ ۝۳۶۵ ۝۳۶۶ ۝۳۶۷ ۝۳۶۸ ۝۳۶۹ ۝۳۷۰ ۝۳۷۱ ۝۳۷۲ ۝۳۷۳ ۝۳۷۴ ۝۳۷۵ ۝۳۷۶ ۝۳۷۷ ۝۳۷۸ ۝۳۷۹ ۝۳۸۰ ۝۳۸۱ ۝۳۸۲ ۝۳۸۳ ۝۳۸۴ ۝۳۸۵ ۝۳۸۶ ۝۳۸۷ ۝۳۸۸ ۝۳۸۹ ۝۳۹۰ ۝۳۹۱ ۝۳۹۲ ۝۳۹۳ ۝۳۹۴ ۝۳۹۵ ۝۳۹۶ ۝۳۹۷ ۝۳۹۸ ۝۳۹۹ ۝۴۰۰ ۝۴۰۱ ۝۴۰۲ ۝۴۰۳ ۝۴۰۴ ۝۴۰۵ ۝۴۰۶ ۝۴۰۷ ۝۴۰۸ ۝۴۰۹ ۝۴۱۰ ۝۴۱۱ ۝۴۱۲ ۝۴۱۳ ۝۴۱۴ ۝۴۱۵ ۝۴۱۶ ۝۴۱۷ ۝۴۱۸ ۝۴۱۹ ۝۴۲۰ ۝۴۲۱ ۝۴۲۲ ۝۴۲۳ ۝۴۲۴ ۝۴۲۵ ۝۴۲۶ ۝۴۲۷ ۝۴۲۸ ۝۴۲۹ ۝۴۳۰ ۝۴۳۱ ۝۴۳۲ ۝۴۳۳ ۝۴۳۴ ۝۴۳۵ ۝۴۳۶ ۝۴۳۷ ۝۴۳۸ ۝۴۳۹ ۝۴۴۰ ۝۴۴۱ ۝۴۴۲ ۝۴۴۳ ۝۴۴۴ ۝۴۴۵ ۝۴۴۶ ۝۴۴۷ ۝۴۴۸ ۝۴۴۹ ۝۴۵۰ ۝۴۵۱ ۝۴۵۲ ۝۴۵۳ ۝۴۵۴ ۝۴۵۵ ۝۴۵۶ ۝۴۵۷ ۝۴۵۸ ۝۴۵۹ ۝۴۶۰ ۝۴۶۱ ۝۴۶۲ ۝۴۶۳ ۝۴۶۴ ۝۴۶۵ ۝۴۶۶ ۝۴۶۷ ۝۴۶۸ ۝۴۶۹ ۝۴۷۰ ۝۴۷۱ ۝۴۷۲ ۝۴۷۳ ۝۴۷۴ ۝۴۷۵ ۝۴۷۶ ۝۴۷۷ ۝۴۷۸ ۝۴۷۹ ۝۴۸۰ ۝۴۸۱ ۝۴۸۲ ۝۴۸۳ ۝۴۸۴ ۝۴۸۵ ۝۴۸۶ ۝۴۸۷ ۝۴۸۸ ۝۴۸۹ ۝۴۹۰ ۝۴۹۱ ۝۴۹۲ ۝۴۹۳ ۝۴۹۴ ۝۴۹۵ ۝۴۹۶ ۝۴۹۷ ۝۴۹۸ ۝۴۹۹ ۝۵۰०

यकीनन (ऐ मुहम्मद ﷺ) आप अल्लाह के रसूल हैं।"

खिताब बज़ाहिर हुज़ूर ﷺ से है, हालाँकि हुज़ूर ﷺ को यह बताना मकसूद नहीं है, बल्कि मुखातिबीन यानि अहले अरब और अहले मक्का को सुनाया जा रहा है कि यह कुरआन शाहिद है, यह सुबूत है, यह दलीले क़तई है कि मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं, यह कुरान पुकार-पुकार कर मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ की रिसालत का सुबूत पेश कर रहा है।

इसके अलावा कुरान हकीम के चार मक़ामत और हैं जिनमें यही आयत मुक़द्दर है, अगरचे बयान नहीं हुई। सूरह सुआद का आगाज़ होता है:

"सुआद, क़सम है इस कुरान की जो ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۝ أَلَمْ يَلْعَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۝ أ नसीहत (याद दिहानी) वाला है। लेकिन वह लोग कि जो मुन्कर हैं, घमण्ड और ज़िद में पड़े हुए हैं।"

यहाँ "सुआद" एक हर्फ है, लेकिन इससे आयत नहीं बनी, जबकि "यासीन" एक आयत है। सूरह सुआद की पहली आयत क़सम पर मुश्तमिल है। "بَلْ" से जो दूसरी आयत शुरू हो रही है यह साबित कर रही है कि मुक़स्सम अलैह (जिस चीज़ पर क़सम खाई जा रही है) यहाँ महज़ूफ़ है और वह { إِنَّكَ } है। गोया कि मायनन इसे यूँ पढ़ा जायेगा:

{ ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۝ أَلَمْ يَلْعَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا... }

इसी तरह सूरह काफ़ में है:

{ قُلْ زَوَالِقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۝ أَلَمْ يَلْعَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ... }

ऐसी ही दो सूत्रों अल् जुखरफ़ और अल् दुखान "حَم" से शुरू होती हैं। इनकी पहली दो आयतें बिल्कुल एक जैसी हैं

حَم ۝ أَلَمْ يَلْعَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۝ أ

पहली आयत हुरूफ़े मुक़त्आत पर और दूसरी आयत क़सम पर मुश्तमिल है। इसके बाद मुक़सम अलैह { إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ } महज़ूफ़ मानना पड़ेगा। गोया:

حَم ۝ أَلَمْ يَلْعَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۝ أَلَمْ يَلْعَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۝ أَلَمْ يَلْعَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۝ أ

यह एक अस्लूब है कि मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ की रिसालत को साबित करने के लिये कुरआन की क़सम खाई गई, यानि कुरआन की गवाही और शहादत पेश की गई। यह इस बात को कहने का एक अस्लूब है कि हुज़ूर ﷺ की रिसालत का असल सुबूत या आप ﷺ का असल मोअज़्ज़ह कुरआन है।

कुरान का दावा और चैलेंज

पहले गुज़र चुका है कि मोअज़्ज़ह में तहदी (चैलेंज) भी ज़रूरी है और दावा भी। लिहाज़ा वह मक़ामात गिन लीजिये जिनमें चैलेंज है कि अगर तुम्हारा यह ख़याल है कि यह मुहम्मद ﷺ का कलाम है, इंसानी कलाम है जिसे मुहम्मद ﷺ ने खुद गढ़ लिया है, यह उनकी अपनी इख़तरा (खोज) है तो तुम मुकाबला करो और ऐसा ही कलाम पेश करो। कुरआन मजीद में ऐसे पाँच मक़ामात हैं। सूरह अत्तूर (आयत:33-34) में फ़रमाया:

"क्या उनका यह कहना है कि यह मुहम्मद ﷺ ने खुद गढ़ लिया है? बल्कि हकीकत यह है कि यह मानने को तैयार नहीं। फिर चाहिये कि वह इसी तरह का कोई कलाम पेश करें अगर वह सच्चे हैं।"

أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ نَقُولُهُ ۚ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ 33 فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ۚ 34

فَالْيَقُولُ का मायने है कहना। जबकि قَوْلًا يَقُولُونَ का मफ़हूम है तकल्लुफ करके कहना, यानि मेहनत करके कलाम मौजू करना (जिसके लिये अंग्रेज़ी में composition का लफ़ज़ है)। तो क्या उनका ख़याल है कि यह मुहम्मद ﷺ ने खुद कह लिया है? हकीकत यह है कि यह मानने को तैयार नहीं, लिहाज़ा इस तरह की कट हुज्जतियाँ कर रहे हैं। अगर यह सच्चे हैं तो ऐसा ही कलाम पेश करें। आख़िर ये भी इंसान हैं, इनमें बड़े-बड़े शायर और बड़े कदिरुल कलाम ख़तीब मौजूद हैं। इनमें वह शायर भी है जिनको दूसरे शायर सजदा करते हैं। ये सबके सब मिल कर ऐसा कलाम पेश करें। सूरह बनी इस्राईल (आयत:88) में फ़रमाया गया:

"(ऐ नबी ﷺ इनसे) कह दीजिये कि अगर तमाम जिन्न व इन्स जमा हो जायें (और अपनी पूरी कुव्वत व सलाहियत और अपनी तमाम ज़हानत व फ़तानत, कादिरुल कलामी को जमा करके कोशिश करें) कि इस कुरआन जैसी किताब पेश कर दें तो वह हरगिज़ ऐसी किताब नहीं ला सकेगें चाहे वह एक-दूसरे कि कितनी ही मदद करें।"

यह तो बहैसियत-ए-मज्मुई पूरे कुरान मजीद की नज़ीर पेश करने से मख़लूक के आजिज़ होने का दावा है जो कुरान मजीद ने दो मक़ामात पर किया है। सूरह युनुस में इससे ज़रा नीचे उतर कर, जिसे बर सबीले तनज्जुल कहा जाता है, फ़रमाया कि पूरे कुरान की नज़ीर नहीं ला सकते तो ऐसी दस सूरतें ही गढ़ कर ले आओ! इर्शाद हुआ: (सूरह हूद, आयत:13)

قُلْ لَنْ يَجْمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا 88

"क्या यह कहते हैं कि यह कुरआन खुद गढ़ कर ले आया है? (ऐ नबी ﷺ इनसे) कहिये पस तुम भी दस सूरतें बना कर ले आओ ऐसी ही गढ़ी हुई और बुला लो जिसको बुला सको अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो।"

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيْنَ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ 13

इसके बाद दस से नीचे उतर कर एक सूरत का भी चैलेंज दिया गया: (सूरह युनुस, आयत:38)

"क्या यह कहते हैं कि यह कुरान खुद बना कर ले आया है? (ऐ नबी ﷺ इनसे) कहिये पस तुम भी एक सूरत बना कर ले आओ ऐसी ही और बुला लो जिसको बुला सको अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो।"

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ 38

यह चारों मक़ामात तो मक्की सूरतों में हैं। पहली मदनी सूरत " अल् बकरह" है। इसमें बड़े अहतमाम के साथ यह बात कही गई है:

"अगर तुम लोगों को शक है इस कलाम के बारे में जो हमने अपने बन्दे पर नाज़िल किया है (कि यह अल्लाह का कलाम नहीं है) तो इस जैसी एक सूरत तुम भी (मौजू करके) ले आओ और अपने तमाम मददगारों को बुला लो (उन सबको जमा कर लो) अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। और अगर तुम ऐसा ना कर सको, और तुम हरगिज़ ऐसा ना कर सकोगे, तो बचो

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ 23 فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا النَّارَ الَّتِي وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْجَارَةُ مِنْ أَعْدَتِ الْكٰفِرِيْنَ 24

उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर होंगे, यह मुन्करों के लिये तैयार की गयी है।”

यहाँ यह वाज़ेह किया जा रहा है कि हकीकत में तुम सच्चे नहीं हो, तुम्हारा दिल गवाही दे रहा है कि यह इंसानी कलाम नहीं है, लेकिन चूँकि तुम ज़बान से तन्कीद (आलोचना) कर रहे हो और झुठला रहे हो तो अगर वाक़िअतन तुम्हें शक है तो इस शक को रफ़ा (अस्वीकृत) करने के लिये हमारा यह चैलेंज मौजूद है।

यह हैं कुरआन मजीद के मोअज्ज़ह होने के दो अस्लूब। एक मुस्बत (positive) अंदाज़ है कि कुरआन गवाह है इस पर कि ऐ मुहम्मद! (ﷺ) आप अल्लाह के रसूल हैं, और दूसरा अंदाज़ चैलेंज का है कि अगर तुम्हें इसके कलामे इलाही होने में शक है तो इस जैसा कलाम तुम भी बना कर ले आओ।

कुरान किस-किस ऐतबार से मोअज्ज़ह है?

अब इस ज़िम्न में तीसरी ज़ेली (उप) बहस यह होगी कि कुरआन मजीद किस-किस ऐतबार से मोअज्ज़ह है। यह मज़मून इतना वसीअ और इतना मुतनक्वा अल् ऐतराफ़ है कि “وجوه اعجاز القرآن” पर पूरी-पूरी किताबें लिखी गई हैं। ज़ाहिर बात है इस वक़्त इसका इहाता मक़सूद नहीं है, सिर्फ़ मोटी-मोटी बातें ज़िक्र की जाती हैं।

असल शय तो इसकी तासीरे कल्ब है कि यह दिल को लगने वाली बात है। इसका असल ऐजाज़ यही है कि यह दिल को जाकर लगती है बशर्ते कि पढ़ने वाले के अंदर तास्सुब, ज़िद्द और हठधर्मी ना हो और उसे ज़बान से इतनी वाक्फ़ियत हो जाए कि बराहेरास्त कुरआन उसके दिल पर उतर

सके। यह कुरआन के ऐजाज़ का असल पहलु है। लेकिन इज़ाफ़ी तौर पर जान लीजिए कि जिस वक़्त कुरआन नाज़िल हुआ उस वक़्त के ऐतबार से इसके मोअज्ज़ह होने का नुमाया और अहमतर पहलु इसकी अदबियत, इसकी फ़साहत व बलागत, इसके अल्फ़ाज़ का इन्तखाब, बंदिशें और तरकीबें, इसकी मिठास और इसकी सौती आहंग है। यह दरहकीकत नुज़ूल के वक़्त कुरआन के मोअज्ज़ह होने का सबसे नुमाया पहलु है।

यहाँ यह बात पेशे नज़र रहे कि हर रसूल को उसी तर्ज़ का मोअज्ज़ह दिया गया जिन चीज़ों का उसके ज़माने में सबसे ज़्यादा चर्चा और शगुफ़ था। हज़रत मूसा अलै० के ज़माने में जादू आम था लिहाज़ा मुकाबले के लिये आप अलै० को वह चीज़ें दी गईं जिनसे आप अलै० जादूगरों को शिकस्त दे सकें। हुज़ूर ﷺ ने जिस क़ौम में अपनी दावत का आगाज़ किया उस क़ौम का असल ज़ौक कुदरते कलाम था। वह कहते थे कि असल में बोलने वाले तो हम ही हैं, बाकी दुनिया तो गूँगी है। उनकी ज़बानदानी का यह आलम था कि वह अपनी पसंद की अशयाअ (चोड़ों) के नाम रखना शुरू करते तो हज़ारो नाम रख देते। चुनाँचे अरबी में शेर और तलवार के लिये पाँच-पाँच हज़ार अल्फ़ाज़ हैं। घोड़े और ऊँट के लिये ला-तादाद अल्फ़ाज़ हैं। यह उनकी कादिरुल कलामी है कि किसी शय को उसकी हर अदा के ऐतबार से नया नाम दे देते। घोड़ा उनकी बड़ी महबूब शय है, लिहाज़ा उसके नामालूम कितने नाम हैं। शेरों-शायरी में उनके ज़ौक व शौक का यह आलम था कि उनके यहाँ सालाना मुकाबले होते थे ताकि उस साल के सबसे बड़े शायर का तअय्युन किया जाये। शायर अपने-अपने क़सीदे लिख कर लाते थे, मुकाबला होता था। फिर जब फ़ैसला होता था कि किसका क़सीदा सब पर बाज़ी ले गया है तो बाकी तमाम शायर उसकी अज़मत के ऐतराफ़ के तौर पर उसको सजदा करते थे। फिर वह क़सीदा

खाना काबा की दीवार पर लटका दिया जाता था कि यह है इस साल का कसीदा। चुनाँचे इस तरह के सात कसीदे खाना काबा में आवेज़ा (प्रदर्शित) किये गए थे जिन्हें "سَبْعَةُ مُعَلَّفَةٍ" कहा जाता था। "سَبْعَةُ مُعَلَّفَةٍ" के आखिरी शायर हज़रत लबीद (रज़ि०) थे जो ईमान ले आए। ईमान लाने के बाद उन्होंने शेर कहने छोड़ दिये। हज़रत उमर (रज़ि०) ने उनसे कहा कि ऐ लबीद! अब आप शेर क्यों नहीं कहते? तो जवाब में उन्होंने बड़ा प्यारा जुमला कहा कि "أَبَعَدَ الْقُرْآنُ؟" यानि क्या कुरआन के नुज़ूल के बाद भी? अब किसी के लिये कुछ कहने का मौका बाकी है? कुरआन के आ जाने के बाद कोई अपनी फ़साहत व बलागत के इज़हार की कोशिश कर सकता है? गोया ज़बाने बंद हो गई, उन पर ताले पड़ गये, मालिकुल शौरा (शायरों के राजा) ने शेर कहने छोड़ दिये।

जिन लोगों की मादरी ज़बान अरबी है वह आज भी कुरान के इस ऐजाज़ को महसूस कर सकते हैं। ग़ैर अरब लोगों के लिये इसको महसूस करना मुमकिन नहीं है। अगर कोई अपनी मेहनत से अरबी अदब के अंदर मौलाना अली मियाँ⁽¹⁾ की सी महारत हासिल कर ले तो वह वाकिअतन इसको महसूस कर सकेगा और इसकी तहसीन कर सकेगा कि फ़साहत व बलागत में कुरआन का क्या मक़ाम है। हम जैसे लोगों के लिये यह मुमकिन नहीं है, अलबत्ता इसका सौती आहंग हम महसूस कर सकते हैं। वाक़्या यह है कि कुरआन की किरात के अंदर एक मोअज़्ज़ाना तासीर है जो कल्ब के अंदर अजीब कैफ़ियात पैदा कर देती है। कुरआन का सौती आहंग हमारी फ़ितरत के तारों को छेड़ता है। कुरआन की यह मोअज़्ज़ाना तासीर आज भी वैसी है जैसी नुज़ूले कुरआन के वक़्त थी। इसमें मरवरे अय्याम (दिन गुज़रने) से कोई फ़र्क वाक़ेअ नहीं हुआ।

कुरआन की फ़साहत व बलागत, इसकी अदबियत, अज़ूबत और इसके सौती आहंग की मोअज़्ज़ाना तासीर पर मुस्तज़ाद (top) अहदे हाज़िर में कुरान के ऐजाज़ के ज़िमन में जो चीज़ें बहुत नुमाया होकर सामने आती हैं उनमें से एक चीज़ तो वह है जिसका कुरान मजीद ने बड़े सरीह अल्फ़ाज़ (हा मीम अस्सज्दा:53) में ज़िक्र किया है:

سُئِرْتُمْ آئِنَّا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
 "हम अनक़रीब उन्हें अपनी आयतें दिखाएँगे आफ़ाक में भी और उनकी अपनी जानों में भी यहाँ तक कि यह बात उन पर वाज़ेह हो जाएगी कि यह कुरआन हक़ है।"

इस आयत मुबारका में इल्मे इंसानी के दायरे में साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और जदीद इकतशाफ़ात (खोज) व इन्कशाफ़ात (खुलासे) की तरफ़ इशारा है। यह आयाते आफ़ाकी हैं। फ़्राँसीसी सर्जन डॉक्टर मौरिस बकाई का पहले भी हवाला दिया जा चुका है कि कुरआन का मुताअला करने के बाद उसने कहा कि मेरा दिल इस पर मुत्मईन हो गया है कि इस कुरआन में कोई बात ऐसी नहीं है जिसे साइंस ने ग़लत साबित किया हो। अलबत्ता उस दौर में जबकि इंसान का अपना ज़हनी ज़र्फ़ वसीअ नहीं हुआ था, ऊल्मे इंसानी और मालूमाते इंसानी का दायरा महदूद था, उस वक़्त साइंसी इशारात की हामिल आयाते कुरानिया का क्या मफ़हूम समझा गया, वह बात और है। कलामुल्लाह होने के ऐतबार से असल अहमियत तो कुरआन के अल्फ़ाज़ को हासिल है। डॉक्टर मौरिस बकाई ने कुरआन का तौरात के साथ तकाबुल (मुकाबला) किया है! तौरात से मुराद Old Testament है। इंजीले अरबिया जो हज़रत ईसा अलै० की तरफ़ मन्सूब है, उनमें तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो ग़लत साबित हो चुकी हैं। इंजील में ज़्यादातर अख़लाकी मुवाअज़ (उपदेश) हैं या फिर हज़रत ईसा अलै० के

स्वान्हे हयात (जीवनी) हैं। तौरात में यह मुबाहिस मौजूद हैं कि कायनात कैसे पैदा हुई, अल्लाह ने कैसे इसे बनाया। मुख्तलिफ़ साइंसी phenomena उसमें मौजूद हैं।

आपको मालूम है कि फ़िज़िक्स में आज सबसे ज्यादा अहम मौजू जिस पर तहकीक़ हो रही है, यही है कि कायनात कैसे वजूद में आई, इब्तदाई हालात क्या थे और बाद अज़ा (बाद में) उनमें क्या तब्दीलियाँ हुईं। डाक्टर मौरिस बकाई ने इस ऐतबार से महसूस किया कि तौरात में तो ऐसी चीज़ें हैं जो ग़लत साबित हो चुकी हैं। इसलिये कि असल तौरात तो छठी सदी कब्ले मसीह ही में गुम हो गई थी। बख्त नसर के हमले में येरुशलम को तहस-नहस कर दिया गया और हैकले सुलेमानी की ईंट से ईंट बजा दी गई, उसकी बुनियादें तक खोद डाली गई और येरुशलम के बसने वाले छः लाख की तादाद में क़त्ल कर दिये गए जबकि बख्त नसर छः लाख को कैदी बना कर भेड़-बकरियों की तरह हाँकते हुए अपने हमराह बाबुल (ईराक़) ले गया। चुनाँचे येरुशलम में एक मुतनफ़िफ़स (जीव) भी बाक़ी नहीं रहा। आप अंदाज़ा करें, अगर यह आदादो और शुमार (आंकड़े) सही हैं तो हज़रत मसीह अलै० से भी छः सौ साल क़ब्ल यानि आज से 2600 बरस क़ब्ल येरुशलम बारह लाख की आबादी का शहर था और उस शहर पर क्या क़यामत गुज़री होगी! इसके बाद से वह असल तौरात दुनिया में नहीं है। मूसा अलै० को जो अहकामे अशरह (Ten Commandments) दिये गये थे वह पत्थर की तख़्तियाँ पर लिखे हुए थे। यह तख़्तियाँ भी लापता हो गईं और बाक़ी तौरात का वजूद भी बाक़ी ना रहा। कुरआन हकीम में "صُخِّفَ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَىٰ" का ज़िक़र है। मूसा अलै० के सहीफ़े पाँच हैं जो अहद नामा-ए-क़दीम (Old Testament) की पहली पाँच किताबें हैं। सानेहा येरुशलम (Tragedy of Jerusalem) के तक्ररीबन डेढ़ सौ बरस बाद लोगों

ने तौरात को अपनी याददाशतों से मुरत्तब किया। चुनाँचे उस वक़्त की नौए इंसानी की ज़हनी और इल्मी सतह जो थी वो इस पर लाज़िमी तौर पर असर अंदाज़ हुई।

डॉक्टर मौरिस बकाई के अलावा मैं डाक्टर कीथल मूर का हवाला भी दे चुका हूँ कि वह कुरआन हकीम में इल्मे जनीन (भ्रूणविज्ञान) से मुताल्लिक़ इशारात पाकर किस क़दर हैरान हुआ कि यह मालूमात चौदह सौ बरस पहले कहाँ से आ गईं! फ़िज़िकल साइंस के मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स हैं, उनमें जैसे-जैसे इल्मे इंसानी तरक्की करता जायेगा यह बात मज़ीद मुबरहन (स्पष्ट) होती चली जायेगी कि यह कलामे हक़ है और यह कलाम मज़ाहिर तबीई (भौतिक घटनाओं) के ऐतबार से भी हक़ साबित हो रहा है। यह एक वाज़ेह सुबूत है कि यह कुरआन अल्लाह का कलाम है और मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं।

अहदे हाज़िर के ऐतबार से कुरआन हकीम के ऐजाज़ का दूसरा अहमतर पहलु इसकी हिदायते अमली है। इसमें इन्फ़रादी (व्यक्तिगत) ज़िन्दगी से मुताल्लिक़ भी मुकम्मल हिदायतें हैं और इंसानी अख़लाक़ व किरदार और इंसान के रवैये में भी पूरी तफ़सीलात मौजूद हैं। इन्फ़रादी ज़िन्दगी से मुताल्लिक़ यह तमाम चीज़ें साबका अम्बिया की तालीमात में भी मौजूद हैं। यह अख़लाकी इक़दार (moral values) वैसे भी फ़ितरते इंसानी के अंदर मौजूद हैं। कुरआन का अपना कहना है: { فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا } (अश्शम्स:8) यानि नफ़से इंसानी को इलहामी तौर पर यह मालूम है कि फ़ुज़ूर (अनैतिकता) क्या है और तक्वा (नैतिकता) क्या है। परहेज़गारी किसे कहते हैं और बद्कारी किसे कहते हैं। अलबत्ता कुरआन हकीम का ऐजाज़ यह है कि इसमें अद्ल व किस्त (न्याय) पर मब्नी

(आधारित) इज्जतमाई निज़ाम दिया गया है जिसमें इन्तहाई तवाज़ुन (संतुलन) रखा गया है।

इंसान ग़ौर करे तो मालूम होगा कि नौए इंसानी को तीन बड़े-बड़े उक़द हाए ला यन्हल (dilemmas) दरपेश हैं जो तवाज़ुन (संतुलन) के मत्काज़ी (अपेक्षित) हैं और इनमें अदमे तवाज़ुन (असंतुलन) से इंसानी तमददुन (सभ्यता) फ़साद और बिगाड़ का शिकार है। इसमें पहला उक़दा-ए-ला यन्हल यह है कि मर्द और औरत के हुकूक व फ़राइज़ में क्या तवाज़ुन है? दूसरा यह कि सरमाया और मेहनत के माबैन (बीच) क्या तवाज़ुन है? फिर तीसरा यह कि फ़र्द और रियासत या फ़र्द और इज्जतमाइयत के माबैन हुकूक व फ़राइज़ के ऐतबार से क्या तवाज़ुन है? इन तीनों मामलात में तवाज़ुन कायम करना इन्तहाई मुश्किल है। अगर फ़र्द को ज़रा ज़्यादा आज़ादी दे दी जाती है तो अनारकी (chaos) फैलती है। आज़ादी के नाम पर दुनिया में क्या कुछ हो रहा है! दूसरी तरफ़ अगर फ़र्द की आज़ादी पर क़दग़नें (controls) और बंदिशें लगा दी जाएं तो वह रददे अमल होता है जो कम्युनिज़्म के खिलाफ़ हुआ। फ़ितरते इंसानी और तबीयते इंसानी ने यह क़दग़नें कुबूल नहीं कीं और इनके खिलाफ़ बगावत की।

औरत और मर्द के हुकूक के माबैन तवाज़ुन का मामला भी इन्तहाई हस्सास (संवेदनशील) है। इस मीज़ान का पलड़ा अगर ज़रा सा मर्द की जानिब झुका दिया जाये तो औरत की कोई हैसियत नहीं रहती, वह बिल्कुल भेड़-बकरी की तरह मर्द की मिल्कियत बन कर रह जाती है, उसका कोई तशख़्खुस (पहचान) नहीं रहता और वह मर्द की जूती की नोक करार पाती है। लेकिन अगर दूसरा पलड़ा ज़रा झुका दिया जाये तो औरत को जो हैसियत मिल जाती है वह क़ौमों की क़िस्मतों के लिये तबाहकुन साबित होती है। इससे ख़ानदानी इदारा ख़त्म हो जाता है और घर के अंदर

का चैन और सुकून बर्बाद होकर रह जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल सेकेण्ड यूनियन मुमालिक हैं। मआशी और इक़तसादी (economic) ऐतबार से यह कहा जा सकता है कि रूए अरज़ी (ज़मीन) पर अगर जन्नत देखनी हो तो इन मुल्कों को देख लिया जाये। वहाँ के शहरियों की बुनियादी ज़रूरतें किस उम्दगी के साथ पूरी हो रही है! वहाँ इलाज और तालीम की सहूलियतें सबके लिये एकसा (बराबर) हैं और इस ज़िम्न में ख़ैरात (charity) पर पलने वालों और टेक्स अदा करने वालों के माबैन कोई फ़र्क व तफ़ावत (असमानता) नहीं है। लेकिन इन मुल्कों में मर्द और औरत के हुकूक के माबैन तवाज़ुन बरकरार नहीं रखा गया जिसके नतीजे में खानदान का इदारा मज़महल (उलट) हुआ, बल्कि टूट-फूट कर ख़त्म हो गया और घर का सुकून नापीद (विलुप्त) हो गया। चुनाँचे आज ख़ुदकुशी की सबसे ज़्यादा शरह (अनुपात) स्वीडन में है। इसलिये कि घर का सुकून ख़त्म हो जाने के बाअस (कारण) आसाब (nerves) पर शदीद तनाव है।

अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ ख़ानदान का इदारा बरकरार है। अगरचे यहाँ भी नाम-निहाद तौर पर बहुत ऊँची सतह के लोगों के यहाँ तो वह सूरतें पैदा हो गई हैं, ताहम मज्मुई तौर पर हमारे यहाँ ख़ानदान का इदारा अभी काफ़ी हद तक महफूज़ है। इस ज़िम्न में कुरआन मजीद में लफ़ज़ "سكون" इस्तेमाल हुआ है। सूरतुल रूम की आयत 21 मुलाहिज़ा हो:

"और उसकी निशानियों में से यह है कि उसने तुम्हारे लिये तुम्हारी ही नौअ (जाति) से जोड़े बनाये, ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मुहब्बत और रहमत पैदा कर दी।"

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.

अगर इंसान को यह सुकून नहीं मिलता तो अगरचे उसकी खाने-पीने की जरूरतें, जिन्सी तस्कीन (यौन सन्तुष्टि) और दूसरी जरूरयाते जिन्दगी खूब पूरी हो रही हों लेकिन जिन्दगी इंसान के लिये जहन्नम बन जाएगी।

मजकूर बाला तीन उकद हाए ला-यन्हल में से मआशियात का मसला सबसे मुश्किल है। सरमाये को ज्यादा खल-खेलने का मौका देंगे तो सूरते हाल एक इन्तहा को पहुँच जायेगी और मजदूर का बदतरीन इस्तेहसाल (शोषण) होगा, जबकि मजदूर को ज्यादा हुकूक दे देंगे तो सरमाए को कोई तहफ़ुज़ हासिल नहीं रहेगा। अगर नेशनलाईज़ेशन हो जाये तो लोगों में काम करने का जज़्बा ही नहीं रहता। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ नेशनलाईज़ेशन के बाद क्या हुआ! रूस की इकतसादी मौत की अहम वजह यही नेशनलाईज़ेशन थी। तो अब सरमाए और मेहनत में तवाजुन के लिये क्या शक़ल इख्तियार की जाये? यह है दरहकीकत अहदे हाज़िर में कुरआन की हिदायत का अहमतरीन हिस्सा! आज इस पर भरपूर तवज्जह मरकूज़ करने की जरूरत है। फ़िज़िकल साइंस से कुरआन की हक़कानियत के सुबूत खुद-ब-खुद मिलते चले जायेंगे। जैसे-जैसे साइंस तरक्की कर रही है नए-नए गोशे सामने आ रहे हैं और इनसे साबित हो रहा है कि यह कुरआन हक़ है। लेकिन आज जरूरत इस अम्र की है कि कुरआन हकीम ने अमरानियाते इंसानिया और इज्जतमाइयात मसलन इकतसादयात, सियासियात और समाजियात के ज़िम्न में जो अदले इज्जतमाई दिया है उसके मुबरहन किया जाये। अल्लामा इक़बाल के यह दो शेर इसी हकीकत की निशानदेही कर रहे हैं:

हर कुजा बीनी जहाने रंग व बू
 आँ कि अज़ खाकिश बरवीद आरज़ू!
 या ज़ नूर मुस्तफ़ा ﷺ ऊ रा बहास्त

या हनूज़ अंदर तलाशे मुस्तफ़ा ﷺ अस्ता!

यानि दुनिया में जो सोशल इंक्लाब आया है उसकी सारी चमक-दमक और रोशनी या तो नूरे मुस्तफ़ा ﷺ ही से मुस्तआर (उधार ली गई) और माखूज़ (प्राप्त) है या फिर इंसान चार व नाचार हुज़ूर ﷺ के लाये हुए निज़ाम ही की तरफ़ बढ़ रहा है। वह दार्ये-बार्ये की ठोकरें और अफ़रात व तफ़रीत (ऊँच-नीच) के धक्के खाकर लड़खड़ाता हुआ चार व नाचार उसी मंज़िल की तरफ़ जा रहा है जहाँ मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ और कुरआन हकीम ने उसे पहुँचाया था।

अहदे हाज़िर में ऐजाज़े कुरान का मज़हर: अल्लामा इक़बाल

वुजूह ऐजाज़े कुरआन के ज़िम्न में एक अहम बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे नज़दीक अहदे हाज़िर में कुरआन के ऐजाज़ का सबसे बड़ा मज़हर अल्लामा इक़बाल की शख़िसयत है। मैंने अर्ज़ किया था कि कुरआन हकीम ज़मान (समय) व मकान (जगह) के एक खास तनाजुर (दृष्टिकोण) में आज से चौदह बरस क़बल नाज़िल हुआ था। इसके अक्वलीन मुखातिब अरब के उजड़, देहाती, बदू और ना-खवान्दा (अशिक्षित) लोग थे जिन्हें कुरआन ने "उम्मियीन" और "قَوْمًا لُؤَا" करार दिया है। लेकिन इस कुरान ने उनके अंदर बिजली दौड़ा दी। उनके ज़हन, क़ल्ब और रूह को मुतास्सिर किया, फिर उनमें वलवला पैदा किया, उनके बातिन को मुनक्वर किया। उनकी शख़िसयतों में इंक्लाब आया और अफ़राद बदल गये। फिर उन्होंने ऐसी कुक्वत की हैसियत इख्तियार की कि जिसने दुनिया को एक नया तमददुन, नयी तहज़ीब और नये क़वानीन देकर एक नये दौर का आगाज़ किया। लेकिन बीसवीं सदी में अल्लामा इक़बाल जैसा एक शख़्स जिसने वक़्त की आला तरीन सतह पर इल्म हासिल किया, जिसने मशरिक् व

मगरिब के फ़लसफ़े पढ़ लिये, जो क़दीम और जदीद दोनों का जामेअ था, जो जर्मनी और इंग्लिसतान में जाकर फ़लसफ़े पढ़ता रहा, उसको इस कुरआन ने इस तरह possess किया और उस पर इस तरह अपनी छाप कायम की कि उसके ज़हन को सुकून मिलता तो सिर्फ़ कुरआन हकीम से और उसकी तिशनगी-ए-इल्म (इल्म की प्यास) को आसूदगी (चैन) हासिल हो सकी तो सिर्फ़ किताबुल्लाह से। गोया बक़ौल खुद उनके:

ना कहीं जहाँ में अमाँ मिली, जो अमाँ मिली तो कहाँ मिली

मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़-ए-बंदा नवाज़ में!

मेरा एक किताबचा "अल्लामा इक़बाल और हम" एक अरसे से शायी होता है। यह मेरी एक तक़रीर है जो मैंने एचिसन कॉलेज में 1973 ईसवी में की थी। इसमें मैंने अल्लामा इक़बाल के लिये चंद इस्तलाहात इस्तेमाल की हैं। "इक़बाल और कुरान" के उन्वान से मैंने अल्लामा इक़बाल को (1) अज़मते कुरान का निशान, (2) वाक़िफ़े मर्तेबा व मक़ामे कुरान, और (3) दाई इलल कुरान के ख़िताबात दिये हैं। मैं अल्लामा इक़बाल को इस दौर का सबसे बड़ा तर्जुमानुल कुरान समझता हूँ। कुरान मजीद के उलूम व मआरफ़ (Studies & Teachings) की जो ताबीर अल्लामा इक़बाल ने की है इस दौर में कोई दूसरी शख़िसयत इसके आस-पास भी नहीं पहुँची। उनसे लोगो ने चीज़ें मुस्तआर (उधार) ली हैं और फिर उनको बड़े पैमाने पर फैलाया है। उन हज़रात की यह ख़िदमत अपनी जगह काबिले क़द्र है, लेकिन फ़िज़्री ऐतबार से वह तमाम चीज़ें अल्लामा इक़बाल के ज़हन की पैदावार हैं।

मज़क़ूरा बाला किताबचे में मैंने मौलाना अमीन अहसन इस्लाही साहब की गवाही भी शायी की है। कई साल पहले का वाक़्या है कि मौलाना आँखों के ऑपरेशन के लिये खानका डोगरां से लाहौर आये हुए थे और ऑपरेशन

में किसी वजह से ताखीर हो रही थी। घर से बाहर होने की वजह से उनके लिखने-पढ़ने का सिलसिला मौअत्तल (delay) हो गया। ताहम फ़ुरसत के उन अय्याम में मौलाना ने अल्लामा इक़बाल का पूरा उर्दू और फ़ारसी कलाम दोबारा पढ़ लिया। इसके बाद उन्होंने उसके बारे में मुझसे दो तास्सुर (impression) बयान किये। मौलाना का पहला तास्सुर तो यह था कि "कुरआन हकीम के बाज़ मक़ामात के बारे में मुझे कुछ मान सा था कि मैंने उनकी ताबीर जिस अस्लूब से की है शायद कोई और ना कर सके। लेकिन अल्लामा इक़बाल के कलाम के मुताअले से मालूम हुआ कि वह उनकी ताबीर मुझसे बहुत पहले और मुझसे बहुत बेहतर कर चुके हैं!" मौलाना इस्लाही साहब का दूसरा तास्सुर यह था कि "इक़बाल का कलाम पढ़ने के बाद मेरा दिल बैठ सा गया है कि अगर ऐसा हदी ख़वाँ (extent reader) इस उम्मत में पैदा हुआ, लेकिन यह उम्मत टस से मस ना हुई तो हमा-शमा (forgive us) के करने से क्या होगा!" जो क़ौम अल्लामा इक़बाल से हरकत में नहीं आई उसे कौन हरकत में ला सकेगा।

वाक़्या यह है कि मेरे नज़दीक इस दौर का सबसे बड़ा तर्जुमानुल कुरआन और सबसे बड़ा दाई इलल कुरान अल्लामा इक़बाल है। इसलिये की कुरान मजीद की अज़मत का जिस ग़ैराई (विस्तार) और गहराई के साथ अहसास अल्लामा इक़बाल को हुआ है मेरी मालूमात की हद तक (अगरचे मेरी मालूमात महदूद है) इस दर्जे कुरआन की अज़मत का इन्कशाफ़ (खोज) किसी और इंसान पर नहीं हुआ। जब वह कुरआन मजीद की अज़मत बयान करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि यह उनकी दीद और उनका तजुर्बा है, क्योंकि जिस अंदाज़ से वह बात बयान करते हैं वह तकल्लुफ़ और आवर्द (अवतरण) से मावरा (बढ़ कर) अंदाज़ होता है।

मुलाहिजा कीजिये कि अल्लामा इक़बाल कुरआन मजीद के बारे में क्या कहते हैं:

आँ किताबे जिन्दा कुरआने हकीम
हिकमत ऊ ला यज़ाल अस्त व कदीम
नुस्खा इसरारे तकवीन हयात
बे सबात अज़ कौतश गीरद सबात
हर्फे ऊ रा रैब ने, तब्दील ने
आया इश शर्मिदा- ए- तावील ने
फाश गोयम आँच दर दिल मुज़मर अस्त
ई किताबे नीस्त चीज़ें दीगर अस्त
मिस्ल हक़ पिन्हाँ व हम पैदा सत ई
जिन्दा व पाइन्दा व गोया अस्त ई
चूँ बजाँ दर रफ़्त जाँ जो दीगर शूद
जाँ चू दीगर शद जहाँ दीगर शूद!

“वह जिन्दा किताब, कुरआन हकीम, जिसकी हिकमत लाज़वाल भी है और कदीम भी!

जिन्दगी के वजूद में आने खज़ाना, जिसकी हयात अफ़रोज़ और कुव्वत बख़्श तासीर से बेसबात भी सबात व दवाम हासिल कर सकते हैं।

इसके अल्फ़ाज़ में ना किसी शक व शुबह का शाइबा है ना रद्दो बदल की गुंजाईश। और इसकी आयतें किसी तावील की मोहताज़ नहीं।

(इस किताब के बारे में) जो बात मेरे दिल में पोशीदा है उसे ऐलानिया ही कह गुज़रूँ? हकीकत यह है कि यह किताब नहीं कुछ और ही शय है!

यह ज़ाते हक़ सुब्हानहु व तआला (का कलाम है लिहाज़ा उसी) के मानिन्द पोशीदा भी है और ज़ाहिर भी, और जीती-जागती बोलती भी है और हमेशा कायम रहने वाली भी!

(यह किताबे हकीम) जब किसी के बातिन में सरायत (जम) कर जाती है तो उसके अंदर एक इंकलाब बरपा हो जाता है, जब किसी के अंदर की दुनिया बदल जाती है तो उसके लिये पूरी दुनिया ही इंकलाब की ज़द में आ जाती है।”

कुरान हकीम के बारे में मजीद लिखते हैं:

सद जहाने ताज़ा दर आयाते ऊस्त
अस्र हा पेचीदा दर आनाते ऊस्त!

“इसकी आयतों में सैंकड़ों ताज़ा जहान आबाद हैं और इसके एक-एक लम्हें में बेशुमार ज़माने मौजूद हैं।” (गोया हर ज़माने में यह कुरआन एक नई शान और नई आन-बान के साथ दुनिया में आया है और आता रहेगा।)

अब आप अल्लामा इक़बाल के तीन अशआर मुलाहिजा कीजिए जो उन्होंने नबी अकरम ﷺ से मुनाजात (प्रार्थना) करते हुए कहे। इनसे आपको अंदाज़ा होगा कि उन्हें कितना यकीन था कि मेरे फ़िक्र का मिम्बा (स्रोत) कुरआन हकीम है। चुनाँचा “मस्नवी इसरारो रमूज़” के आख़िर में “अर्ज़े हाले मुसन्निफ़ बहुज़ूर रहमतुल लिल्आलमीन ﷺ” के ज़ेल में यहाँ तक लिख दिया कि:

गर दिलम आईना बे जौहर अस्त

वर बहर्फम गौर कुराँ मज़मर अस्त
पर्दा- ए-नामूसे- ए-फिकरम चाक कुन
ई खयाबाँ रा ज़खारम पाक कुन!
रोज़े महशर ख्वार व रुस्वा कुन मरा!
बे नसीब अज़ बोसा पा कुन मरा!

“अगर मेरे दिल की मिसाल उस आईने की सी है जिसमें कोई जौहर ही ना हो, और अगर मेरे कलाम में कुरआन के सिवा किसी और शय की तर्जुमानी है, तो (ऐ नबी ﷺ!) आप मेरे नामूसे फिक्र का पर्दा खुद चाक फरमा दें और इस चमन को मुझ जैसे खार से पाक कर दें। (मज़ीद बीराँ) हश्र के दिन मुझे ख्वार व रुसवा कर दें और (सबसे बढ़ कर यह कि) मुझे अपनी क़दमबोसी की सआदत से महरूम फरमा दें!”

मैंने अपनी इम्कानी हद तक कुरआन हकीम का पूरी बारीक बीनी से मुताअला किया है और इस पर गौर फिक्र और सोच-विचार किया है। मैंने अल्लामा इक़बाल का उर्दू और फ़ारसी कलाम भी पढ़ा है। इसके बाद मैंने यह बात रिकॉर्ड करानी ज़रूरी समझी है कि अल्लामा इक़बाल के बारे में मैंने जो बात 1973 ईसवी में कही आज भी मैं उसी बात पर कायम हूँ कि “इस दौर में अज़मते कुरआन और मर्तबा व मक़ामे कुरआन का इन्कशाफ़ जिस शिद्दत के साथ और जिस दर्जे में अल्लामा इक़बाल पर हुआ शायद ही किसी और पर हुआ हो।” और यह कि मेरे नज़दीक इस दौर का सबसे बड़ा तर्जुमानुल कुरआन और दाई इलल कुरआन इक़बाल है। अल्लामा इक़बाल मुसलमानों की कुरआन से दूरी पर मर्सिया कहते:

जानता हूँ मैं यह उम्मत हामिले कुराँ नहीं
हैं वही सरमाया दारी बंदा- ए-मोमिन का दीं!

मुसलमानों को कुरआन की तरफ़ मुतवज्जह करते हुए कहते हैं:

बायातिश तरा कारे जुज़ ई नीस्त
कि अज़ यासीन अव आसाँ बमीरी!

“इस कुरआन के साथ तुम्हारा इसके सिवा और कोई सरोकार नहीं रहा कि तुम किसी शख्स को आलमे नज़ा में इसकी सूह यासीन सुना दो, ताकि उसकी जान आसानी से निकल जाए।”

हमारे यहाँ सूफी और वाअज़ हज़रात ने कुरआन को छोड़ कर अपनी मजालिस और अपने वाज़ के लिये कुछ और चीज़ों को मुन्तख़ब कर लिया है, तो इस पर इक़बाल ने किस क़दर दर्दनाक मर्सिये कहे हैं और किस क़दर सही नक्शा खींचा है:

सूफी पशमिना पोशे हाल मस्त
अज़ शराबे नगमा क़वाल मस्त
आतिश अज़ शरे इराक़ी दर दिलश
दर नमी साज़द ब-कुराँ मुफ़िलश

और:

वाजे दस्ताँ ज़न व अफ़साना बंद
मानी ऊ पस्त व हर्फ़े ऊ बुलंद
अज़ खतीब व देलमी गुफ़्तारे अव
बा ज़ईफ़ व शाज़ व मरसिल कारे ऊ!

“अदना लिबास में मल्बूस और अपने हाल में मस्त सूफी क़व्वाल के नगमे की शराब ही से मदहोश है। उसके दिल में इराक़ी के किसी शेर से तो आग सी लग जाती है लेकिन उसकी महफ़िल में कुरआन का कहीं गुज़र नहीं!

(दूसरी तरफ) वाइज़ का हाल यह है कि हाथ भी ख़ूब चलाता है और समाँ भी ख़ूब बाँध देता है और उसके अल्फ़ाज़ भी पुर शिकवा और बुलंद व बाला हैं, लेकिन मायने के ऐतबार से निहायत पस्त और हल्के! उसकी सारी गुफ़्तगू (बजाए कुरआन के) या तो खतीब बग़दादी से माख़ूज़ होती है या इमाम देलमी से, और उसका सारा सरोकार बस ज़ईफ़, शाज़ और मरसिल हदीसों से रह गया है।"

अल्लामा इक़बाल के नज़दीक मुसलमानों के ज़वाल व इज़महलाल (तड़प) का और उम्मते मुस्लिमा के नक्बत (कष्ट) व इफ़लास (तंगी) और ज़िल्लत व ख़वारी का असल सबब कुरआन से दूरी और किताबे इलाही से बादुही है। चुनाँचे "जवाबे शिकवा" का एक शेर मुलाहिज़ा कीजिये:

*वो ज़माने में मौअज़ज़ थे मुसलमाँ होकर
और तुम ख़वार हुए तारिके कुराँ हो कर!*

बाद में इसी मज़मून का इआदा (repeat) अल्लामा मरहूम ने फ़ारसी में निहायत पुर शिकवा अल्फ़ाज़ और हद दर्जा दर्दअँगेज़ और हसरत आमेज़ पैराए में यूँ किया:

*ख़वार अज़ महज़ूरी कुराँ शदी
शिकवा सन्नज गर्दिशे दौराँ शदी
ऐ चू शबनम बर ज़मीन अफ़तनदह
दर बग़ल दारी किताबे ज़िन्दाह!*

"(ऐ मुसलमान!) तेरी ज़िल्लत और रुसवाई का असल सबब तो यह है कि तू कुरआन से दूर और बे-ताल्लुक हो गया है, लेकिन तू अपनी इस ज़बूँ हाली पर इल्ज़ाम गर्दिशे ज़माना को दे रहा है! ऐ वो क़ौम जो शबनम के मानिन्द ज़मीन पर बिखरी हुई है (और पाँव तले रौंदी जा रही है)! उठ कि तेरी बग़ल में एक किताबे ज़िन्दा

मौजूद है (जिसके ज़रिये तू दोबारा बामे उरूज़ [शिखर] पर पहुँच सकती है।)"

मैं अपना यह तास्सुर एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि असरे हाज़िर में कुरान की अज़मत जिस दर्जा उन पर मुन्कशिफ़ हुई थी, मैं अपनी महदूद मालूमात की हद तक कहने को तैयार हूँ कि वह मुझे कहीं और नज़र नहीं आती। मेरे नज़दीक अल्लमा इक़बाल दौरे हाज़िर में ऐजाज़े कुरआन का एक अज़ीम मज़हर हैं।



बाब हशतम (आँठवा)

कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक

कुरान "हबलुल्लाह" है!

जब हम कहते हैं कि कुरान "हबलुल्लाह" है! तो इसके क्या मायने हैं? "हबल" के एक मायने रस्सी के हैं और यही असल मायने हैं। सूरतुल लहब में यह लफज़ आया है: {فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ} यानी मूँज की बटी हुई रस्सी। इमाम राग़िब रहि० ने इसकी ताबीर की है: "استعير للوصل ولكل ما يتوسل به الى" यानी किसी शय से जुड़ने के लिये और जिस शय से जुड़ा जाये उसके लिये इस्तआरतन (रूपक) यह लफज़ इस्तेमाल होता है। अहद, क़ौल व करार और मीसाक़ दो फरीक़ों को बाहम (एक साथ) जोड़ देता है। चुनाँचे यह लफज़ अहद के मायने में भी आता है, और कुरान हकीम में यह ऐसे अहद के लिये आया है जिससे किसी को अमन मिल रहा हो, हिफ़ाज़त और अमान हासिल हो रही हो। सूरह आले इमरान (आयत 112) में यहूद के बारे में इर्शाद हुआ:

"यह जहाँ भी पाये गये इन पर ज़िल्लत की मार ही पड़ी, सिवाय इसके कि कहीं अल्लाह के ज़िम्मे या इन्सानों के ज़िम्मे में पनाह मिल गयी। यह अल्लाह के ग़ज़ब में घिर चुके हैं, इन पर मोहताजी और कम हिम्मती मुसल्लत कर दी गयी है।"

गोया खुद अपने बल पर, अपने पाँव पर खड़े होकर, खुद मुख्तारी की असास (self-sufficient foundation) पर उनके लिये इज़ज़त का

ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةَ اِئِنَّ مَا تُفْقُوْا اِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللّٰهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبِأَعْوَابِ بَعْضِنَا مِنَ اللّٰهِ وَضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ

मामला इस दुनिया में नहीं है। यह कुरान मजीद की पेशनगोई है और मौजूदा रियासते इसराइल इसका वाज़ेह सबूत है। अमेरिका अगर एक दिन के लिये भी अपनी हिफ़ाज़त हटा ले तो इसराइल का वजूद बाकी नहीं रहेगा।

कुरान मजीद (आले इमरान:103) में अहले इमान से फ़रमाया गया है:

"अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ लो सब मिल कर।"

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا

अलबत्ता "हबलुल्लाह" क्या है? कुरान में इसकी सराहत (विवरण) नहीं है। और कुरान मजीद में जो बात पूरी तरह वाज़ेह ना हो, मुज्मल (संक्षिप्त) हो, उसकी तशरीह (व्याख्या) और तबयीन (समझाना) रसूल अल्लाह ﷺ का फ़र्ज़ मन्सबी (कर्तव्य) है। अज़रुए अल्फ़ाज़े कुरानी:

"और हमने (ऐ नबी ﷺ) आपकी तरफ 'अज़ ज़िक्र' नाज़िल किया, ताकि जो चीज़ उनके लिये उतारी गयी है आप उसे उन पर वाज़ेह करें।" (सूरह नहल:44)

وَإِنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

चुनाँचे अहादीस नबवी ﷺ में सराहत मौजूद है कि "हबलुल्लाह" कुरान मजीद है। सही मुस्लिम में हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि०) से मरवी यह हदीस नक़ल हुई है कि रसूल अल्लाह ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया:

أَلَا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ تَقْلِينَ، أَخَذَهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ هُوَ حَبْلُ اللّٰهِ....

"आगाह रहो! मैं तुम्हारे माबैन (बीच) दो खज़ाने छोड़े जा रहा हूँ, उनमें से एक अल्लाह की किताब है, वही हबलुल्लाह है...."

कुरान हकीम के बारे में हज़रत अली (रज़ि०) से एक तवील हदीस मरवी है, जिसमें अल्फ़ाज़ आये हैं: ((هُوَ حَبْلُ اللّٰهِ الْمَتِينُ)) "यह (कुरान) ही अल्लाह

की मज़बूत रस्सी है।" यह रिवायत सुनन तिरमिज़ी और सुनन दारमी में मौजूद है। मज़ीद बर्राँ (बढ़ कर) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि०) से जो रिवायत रज़ीन में आयी है उसमें भी यही अल्फ़ाज़ हैं: ((هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمُتَيْنِ)) "यह कुरान ही अल्लाह की मज़बूत रस्सी है।" सुनन दारमी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि०) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल अल्लाह ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया: وَالنُّورُ الْمُبِينُ "यकीनन यह कुरान हबलुल्लाह और नूरे मुबीन है।"

कुरान को "रस्सी" किस ऐतबार से कहा गया है, इसके दो पहलु हैं। एक तो बंदा इस रस्सी के ज़रिये अल्लाह से जुड़ता है। यह रस्सी हमें अल्लाह से जोड़ने वाली है। "ताल्लुक़ माअ अल्लाह" और "तकर्रुब इलल्लाह" दोनों तसव्वुफ़ (रहस्यवाद) की इस्तलाहें (मुहावरे) हैं। ताल्लुक़ के मायने हैं लटक जाना। "अलक़" लटकी हुई शय को कहते हैं। "ताल्लुक़ माअ अल्लाह" का मफ़हूम होगा अल्लाह से लटक जाना, यानि अल्लाह से चिमट जना, अल्लाह के साथ जुड़ जाना। इसी तरह "तकर्रुब इलल्लाह" का मतलब है अल्लाह से करीब से करीब तर होने की कोशिश करना। सलूक (व्यवहार) और तरीक़त (रास्ता) का मक़सद यही है। ताल्लुक़ माअ अल्लाह में इज़ाफ़े और तकर्रुब इलल्लाह का मौअसर तरीन (सबसे प्रभावी) और सहल तरीन (सबसे आसान) ज़रिया कुरआन हकीम है।

इस ऐतबार से दो हदीसों मुलाहिज़ा कीजिए। एक के रावी हज़रत अबदुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि०) हैं। हदीस के अल्फ़ाज़ हैं:

الْقُرْآنُ حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ

"यह कुरान अल्लाह की रस्सी है जो आसमान से ज़मीन तक तनी हुई है।"

यही अल्फ़ाज़ हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि०) से मरफ़ूअन भी रिवायत किये गए हैं। यानी अगर अल्लाह से जुड़ना है, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करना है तो इस कुरान को मज़बूती के साथ थाम लो, इससे तुम अल्लाह से जुड़ जाओगे, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लो।

दूसरी मौअज्जम कबीर (क़ीमती खज़ाना) तिबरानी की बड़ी प्यारी रिवायत है। उसमें इन अल्फ़ाज़ में नक़शा खींचा गया है कि हुज़ूर ﷺ अपने हुजरे से बरामद हुए तो आप ﷺ ने मस्जिद के गोशे (कोने) में देखा कि कुछ सहाबा (रज़ि०) कुरान का मुज़करा (discussion) कर रहे थे, कुरान को समझ और समझा रहे थे। हुज़ूर ﷺ उनके पास तशरीफ़ लाये और बड़ा प्यारा सवाल किया:

أَلَسْتُمْ تَتَهْتَهُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟

"क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ और यह कुरान अल्लाह के पास से आया है?"

सहाबा (रज़ि) का जवाब इसके सिवा और क्या हो सकता था: "بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ!" यानी "क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल ﷺ, हम इसके गवाह हैं! इस पर आप ﷺ ने फ़रमाया:

فَأَسْتَبْشِرُوا فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ طَرَفُهُ بِيَدَيْكُمْ وَطَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ

"पस तुम खुशियाँ मनाओ, इसलिये कि यह कुरान वह शय है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है और दूसरा सिरा अल्लाह के हाथ में है।"

इन अहादीस मुबारका से "हबलुल्लाह" का यह तसव्वुर वाज़ेह हो जाता है कि यह अल्लाह के साथ जोड़ने वाली शय है।

अभी हमने जिस हदीस का मुताअला किया उसमें कुरआन हकीम के लिये "جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" के अल्फ़ाज़ आये हैं, कि यह कुरान अल्लाह के पास से आया है। मुस्तदरक हाकिम और मरासील अबु दाऊद में हज़रत अबुज़र गफ़ारी (रज़ि०) से रसूल अल्लाह ﷺ की यह हदीस नक़ल हुई है:

إِنَّكُمْ لَا تَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ يَغْنَى الْقُرْآنَ

यानि "तुम लोग अल्लाह तआला की तरफ़ रुजू और उसके यहाँ तक़रूब उस चीज़ से बढ़ कर किसी और चीज़ से हासिल नहीं कर सकते जो खुद उसी (अल्लाह तआला) से निकली है, यानि कुरान मजीद।"

दरहकीकत कुरान चूँकि अल्लाह का कलाम है और कलाम मुतकल्लिम की सिफ़त होता है, तो इससे बढ़ कर करीब होने का कोई और ज़रिया हो ही नहीं सकता। चुनाँचे जब कोई शख्स कुरान पढ़ता है तो गोया वह अल्लाह से हमकलाम होता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहि० तबै ताबईन के दौर की शख्सियत हैं। उन्होंने अपना मामूल बना लिया था कि साल में छः महीने सरहदों पर जिहाद में शरीक होते। उस दौर में दारुल इस्लाम की सरहदें बढ़ रही थीं और उसके लिये जिहाद जारी था। जबकि छः महीने आप रहि० घर पर गुज़ारते और इस अरसे में लोगों से मिलने-जुलने से हत्तल इम्कान गुरेज़ करते। सिर्फ़ नमाज़ बा-जमात के लिये मस्जिद में आते, बाक़ी वक़्त घर पर ही रहते। किसी ने कहा कि अब्दुल्लाह! आप तन्हाई पसंद हो गए हैं, तन्हाई से आपकी तबीयत उकताती नहीं? उन्होंने फ़रमाया: "क्या तुम उस शख्स को तन्हा समझते हो जो अल्लाह से हमकलाम होता है और रसूल अल्लाह ﷺ की सोहबत से फ़ैज़याब होता है?" लोग हैरान हुए कि यह क्या कह रहे हैं। जब इसकी वज़ाहत तलब की गई तो फ़रमाया कि देखो जब मैं अकेला होता हूँ तो

कुरान पढ़ता हूँ या हदीस पढ़ता हूँ। जब कुरान पढ़ता हूँ तो अल्लाह से हमकलाम होता हूँ और जब हदीस पढ़ता हूँ तो रसूल अल्लाह ﷺ की सोहबत से फ़ैज़याब होता हूँ। तुम मुझे तन्हा ना समझो:

दीवाना- ए- चमन की सैरें नहीं हैं तन्हा

आलम है इन गुलों में, फूलों में बस्तियाँ हैं!

मसनद अहमद, तिरमिज़ी, अबु दाऊद, निसाई, इब्ने माजा और सही इब्ने हब्बान में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि०) से यह हदीसे नबवी मन्कूल है:

يَقَالُ إِصْحَابُ الْقُرْآنِ أَفْرَأُ وَارْتَقِ وَرَرَيْلَ كَمَا كُنْتَ تُرْتَلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَزْلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا

"(क़यामत के दिन) साहिबे कुरान से कहा जायेगा कि कुरान शरीफ़ पढ़ता जा और (जन्नत के दरजात पर) चढ़ता जा, और ठहर- ठहर कर पढ़ जैसा कि तू दुनिया में ठहर- ठहर कर पढ़ता था। पस तेरा मक़ाम वही है जहाँ आखरी आयत हर पहुँचे।"

लेकिन वाज़ेह रहे कि साहिबे कुरान से मुराद सिर्फ़ हाफ़िज़े कुरान या हमारे यहाँ पाए जाने वाले कारी नहीं हैं, बल्कि वह हाफ़िज़ व कारी मुराद हैं जो कुरान के इल्म व हिकमत से भी वाकिफ़ हैं, उसको पढ़ते भी हैं और उस पर अमल पैरा (पालन करना) भी हैं। जन्नत में इस कुरान के ज़रिये उनके दरजात में तरक्की होती चली जायेगी और उनका आखरी मक़ाम वहाँ मुअय्यन होगा जहाँ उनका सरमाया-ए-कुरान खत्म होगा। तो वाक़या यह है कि तक़रूब इलल्लाह और वसल इलल्लाह का मौअस्सर तरीन (असरदार) ज़रिया कुरान हकीम ही है। मैंने इसी लिये इमाम राग़िब रहि० के अल्फ़ाज़ का हवाला दिया था कि "हबल" का लफ़ज़ वसल के लिये इस्तआरतन (रूपक) इस्तेमाल होता है और यह हर उस शय के लिये

इस्तेमाल होगा जिसके ज़रिये किसी शय के साथ जुड़ा जाये। इस मायने में हबलुल्लाह कुरान मजीद है।

अगर पैराशूट की मिसाल सामने रखें तो जुमला ईमानियात इस कुरान के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं जिस तरह पैराशूट की छतरी की रस्सियाँ नीचे आकर एक जगह जुड़ जाती हैं। जब पैराशूट खुलता है तो उसकी छतरी किस कदर वसीअ (चौड़ी) होती है, लेकिन उसकी सारी रस्सियाँ एक जगह आकर जुड़ी हुई होती हैं। बा-अल्फ़ाज़ दीगर (दूसरे लफ़्ज़ों में) जितने भी शोबे हैं वह सबके सब कुरान के साथ मुन्सलिक (जुड़े हुए) हैं। चुनाँचे कुरान पर यह यक़ीन मतलूब है कि यह इन्साना कलाम नहीं है, बल्कि इसका मिम्बा और सरचश्मा वही है जो मेरी रूह का मिम्बा और सरचश्मा है। यह कलाम भी ज़ाते बारी तआला ही से सादर (जारी) हुआ है और मेरी रूह भी अल्लाह ही के अम्मे कुन (हुक़्म) का ज़हूर (हाजिर) है। इस अन्दाज़ से कुरान पर यक़ीन, अल्लाह तआला पर यक़ीन और कुरान लाने वाले मुहम्मद रसूल अल्लाह ﷺ पर यक़ीन मतलूब है। ("हकीकते ईमान" के मौजू पर मेरी पाँच तक्रारीर में यह मज़मून आ चुका है)।

एक ईमान तो तकलीदी (बनावटी) है, यानि गैर शऊरी ईमान, कि एक यक़ीन की कैफ़ियत पैदा हो जाती है, चाहे वह अला वजह अल् बसीरत (अंतर्द्रष्टि में) ना हो, और वह भी बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा कीमती ईमान वह है जो अला वजह अल बसीरत हो। अज़रुए अल्फ़ाज़े कुरानी:

“(ऐ नबी ﷺ!) कह दीजिये कि यह मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ़ बुलाता हूँ समझ-बूझ कर और जो मेरे साथ हैं (वह भी)।” (युसुफ:108)

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

अला वजह अल् बसीरत ईमान यानि शऊरी ईमान, इकतसाबी (प्राप्त) ईमान और हकीकी ईमान का वाहिद मिम्बा और सरचश्मा कुरान हकीम है। मौलाना ज़फ़र अली खान बहुत ही सादा अल्फ़ाज़ में एक बहुत बड़ी हकीकत बयान कर गये हैं:

वो जिन्स नहीं ईमान जिसे ले आएं दुकान-ए-फलसफ़ा से

दूँढे से मिलेगी आक़िल को यह कुरआं के सिपारों में

आक़िल यानी गौरो फ़िक्र करने वाले और सोच-विचार करने वाले के लिये ईमान का मिम्बा व सरचश्मा सिर्फ़ कुरआने हकीम है।

कुरान हकीम के "हबलुल्लाह" होने का एक दूसरा पहलु भी है और वह यह कि अहले ईमान को जोड़ने वाली रस्सी, उनको बाहम एक-दूसरे से बाँध देने वाली शय, उनको बुनियादे मरसूस बनाने वाली चीज़ यह कुरान है। इसलिये कि कुरान हकीम में जहाँ अल्लाह की रस्सी को मज़बूती के साथ थामने का हुक़्म आया है वहाँ उसके साथ ही बाहम मुतफ़रि़क़ (अलग) होने से रोका गया है। फ़रमाया:

"और मज़बूती से थाम लो अल्लाह की रस्सी को सब मिल-जुल कर और तफ़रका मत डालो!"

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

अहले ईमान को जोड़ने वाली और बुनयाने मरसूस (ठोस बुनियाद) बनाने वाली रस्सी यही कुरान हकीम है। इसलिये कि इन्साना इतेहाद वही मुस्तहक़म (स्थिर) और पायेदार होगा जो फ़िक्र व नज़र की हम आहंगी के साथ हो। बहुत से इतेहाद वक़ती तौर पर वजूद में आ जाते हैं। जैसे कुछ सियासी मसलहर्ते हैं तो इतेहाद कायम कर लिया, कोई दुनियावी मफ़ादात हैं तो उनकी बिना पर इतेहाद कायम कर लिया। यह इतेहाद हकीकी नहीं होते और ना ही पायेदार और मुस्तहक़म होते हैं। इन्सान हैवाने आक़िल

है। यह सोचता है, गौर करता है, इसके नज़रियात हैं, इसके कुछ एहराफ व मकासिद हैं, कोई नस्बुल ऐन (लक्ष्य) है। नज़रियात, मकासिद और नस्बुल ऐन का बड़ा गहरा रिश्ता होता है। तो जब तक उनमें हम आहंगी ना हो कोई इतेहाद पायेदार और मुस्तहकम नहीं होगा। इस ऐतबार से अल्लाह की इस रस्सी को मज़बूती से थामोगे तो गोया दो रिश्ते कायम हो गये। एक रिश्ता अहले ईमान का अल्लाह के साथ और एक रिश्ता अहले ईमान का एक-दूसरे के साथ। जैसे कुल शरीअत को ताबीर किया जाता है कि शरीअत नाम है हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद का। अल्लाह के साथ जोड़ने वाली सबसे बड़ी इबादत नमाज़ है और बन्दों के साथ ताल्लुक कायम करने वाली शय ज़कात है। इसी तरह हबलुल्लाह एक तरफ अहले ईमान को अल्लाह से जोड़ रही है और दूसरी तरफ अहले ईमान को आपस में जोड़ रही है। यह उन्हें बुनयाने मरसूस (ठोस बुनियाद) और "كَجَسَدٍ وَاحِدٍ" बना देने वाली शय है। यही वह बात है जिसे अल्लमा इकबाल ने इन्तहाई खूबसूरती से कहा है:

अज़ यक आईनी मुसलमाँ ज़िन्दा अस्त
पैकर मिल्लत अज़ कुरआं ज़िन्दा अस्त
मा हमा खाक व दिले आगाह ऊस्त
ऐतशामशे कुन कि हबलुल्लाह ऊस्त!

"वहदते आईन ही मुस्लमान की ज़िन्दगी का असल राज़ है और मिल्लते इस्लामी के जसद-ए-ज़ाहिरी में रुहे बातिनी की हैसियत सिर्फ़ कुरान को हासिल है। हम तो सर से पाँव तक खाक ही खाक हैं, हमारा कल्बे ज़िन्दा और हमारी रूहे ताबंदाह (फॉस्फोरस) तो असल में कुरान ही है। लिहाज़ा ऐ मुस्लमान! तू कुरान को मज़बूती से थाम ले कि 'हबलुल्लाह' यही है।"

हबलुल्लाह के बारे में मुफ़स्सिरीन के यहाँ बहुत से अक़वाल मिलते हैं कि हबलुल्लाह से मुराद कुरान है, कलमा-ए-तैय्यबा है, इस्लाम है। यह सारी चीज़ें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं लेकिन अहादीस नबवी ﷺ की रोशनी में इसका मिस्दाके कामिल कुरान ही है। और फिर इसकी जिस क़दर उम्दा ताबीर अल्लामा इकबाल ने की है, यह फसाहत व बलागत के ऐतबार से भी मेरे नज़दीक बहुत उम्दा मक़ाम है:

मा हमा खाक व दिले आगाह ऊस्त
ऐतशामशे कुन कि हबलुल्लाह ऊस्त!

नोट कीजिये कि कुरान मजीद में: { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا } के अल्फ़ाज़ के बाद फ़रमाया गया है: (आले इमरान:103)

"और याद करो अपने ऊपर अल्लाह की
उस नेअमत को कि जब तुम बाहम दुश्मन
थे, फिर उसने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया
तो तुम उसके फ़ज़ल से भाई-भाई हो
गये।"

وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ
بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

यह कुरान मजीद ही है जो अहले ईमान के दिलों को जोड़ता और उनको बाहम पेवस्त (संयुक्त) करता है, और यह दिली ताल्लुक और दिली हम आहंगी ही है जो मुसलमानों को बुनयाने मरसूस (ठोस बुनियाद) बनाने वाली शय है।

मुसलमानों पर कुरान मजीद के हुकूक

तआरुफे कुरान के ज़िम्न में जो कुछ मैंने अर्ज़ किया उन सब बातों का जो अमली नतीजा निकलना चाहिये वह क्या है? यानि कुरान हकीम के बारे में मुझ पर और आप पर क्या ज़िम्मेदारी आयद (लागू) होती है?

इसके ऐतबार से मैं खास तौर पर अपनी किताब "मुसलमानों पर कुरान मजीद के हुक्क" का जिक्र करना चाहता हूँ जो हमारी तहरीक रूजू इलल कुरान के लिये दो बुनियादों में से एक बुनियाद की हैसियत रखती है। हमारी इस तहरीक का आगाज़ 1965 ईस्वी से हुआ था। इब्तदाई छः सात साल तो मैं तन्हा था। ना कोई अंजुमन थी, ना कोई इदारा, ना जमाअत। फिर अंजुमन खुद्दामुल कुरान कायम हुई, फिर 1976 ईस्वी में कुरान अकेडमी का संगे बुनियाद रखा गया। कुरान अकेडमी की तामीरात मुकम्मल होने के बाद फिर उसी के बतन से कुरान कालेज की विलादत हुई, जिसके सर पर कुरान ऑडिटोरियम का ताज सजा हुआ है। इस पूरी जद्दो-जहद की बुनियाद और असास दो किताबचे हैं: (1) "इस्लाम की निशाते सानिया। करने का असल काम।" यह मज़मून मैंने 1967 ईस्वी में मीसाक के इदारे के तौर पर लिखा था। (2) मुसलमानों पर कुरान मजीद के हुक्क।" यह किताबचा मेरी दो तकरीरों पर मुश्तमिल है जो मैंने 1968 ईस्वी में की थीं।

इसका पसमंज़र यह है कि उस ज़माने में जशने खैबर और जशने मेहरान वगैरह जैसे मुख्तलिफ़ उनवानात से जशन मनाये जा रहे थे, जिनमें राग-रंग की महफ़िलें भी होती थीं। सदर अय्यूब खान का ज़माना था। अगरचे शिकस्त व रेख्त (विनाश) के आसार जाहिर हो रहे थे, लेकिन "सब अच्छा है" के इज़हार के लिये यह शानदार तकरीबात मुनअक्किद की जा रही थीं। यह गोया उनके दौरे हुक्मत की आखरी भड़क थी, जैसे बुझने से पहले चिराग़ भड़कता है।

अल्लमा इक़बाल ने अपनी नज़म "इब्लीस की मजलिसे शूरा" में इब्लीस की तर्जुमानी इन अल्फ़ाज़ में की है: "मस्त रखो ज़िक्र व फ़िक्रे सुबह गाही में इसे!" लेकिन उन दिनों ज़िक्र व फ़िक्र की बजाये लोगों को राग-रंग की महफ़िलों में मस्त रखने का अहतमाम हो रहा था। उसी ज़माने

में मज़हबी लोगों को रिशवत के तौर पर "जशने नुज़ूले कुरान" अता किया गया कि तुम भी जशन मनाओ और अपना ज़ोक्र व शोक्र पूरा कर लो। चुनाँचे चौदह सौ साला "जशने नुज़ूले कुरान" का इनअक्राद (आयोजन) हुआ। इसके ज़िमन में क़िरात की बड़ी-बड़ी महफ़िलें मुनअक्ककिद (आयोजित) हुईं, जिनमें पूरी दुनिया से कुरा (कारी) हज़रात शरीक हुए। इसी सिलसिले में सोने के तार से कुरान लिखने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ।

उस वक़्त मेरा ज़हन मुन्तक़िल हुआ (बदला) कि क्या कुरान हकीम का हम पर यही हक़ है? क्या अपने इन कामों से हम कुरान मजीद का हक़ अदा कर रहे हैं? चुनाँचे मैंने मस्जिदे खज़रा समनाबाद में अपने दो खुत्बाते जुमा में मुसलमानों पर कुरान मजीद के हुक्क बयान किये कि हर मुसलमान पर हस्बे इस्तअदाद (ताक़त के अनुसार) कुरान मजीद के पाँच हुक्क आयद होते हैं:

- 1) इसे माने जैसा कि मानने का हक़ है। (ईमान व ताज़ीम)
- 2) इसे पढ़े जैसा कि पढ़ने का हक़ है। (तिलावत व तरतील)
- 3) इसे समझे जैसा कि समझने का हक़ है। (तज़क्कुर व तदब्बुर)
- 4) इस पर अमल करे जैसा कि अमल करने का हक़ है। (हुक्म व अक्रामत)

इन्फरादी ज़िन्दगी में हुक्म बिल कुरआन यह है कि हमारी हर राय और हर फ़ैसला कुरान पर मब्नी हो। और इज्तमाई ज़िन्दगी में कुरान पर अमल की सूत अक्रामत मा अनज़ल मिनल्लाह यानि कुरान के अता करदा निज़ामे अदले इज्तमाई को कायम करना है। कुराने हकीम में इरशाद है:

"ऐ किताब वालो! तुम्हारा कोई मक़ाम नहीं जब तक कि तुम कायम ना करो

فَلْيَا هَٰؤُلَاءِ الْكُتُبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا
الْثَّوْرَةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ

तौरात और इन्जील को और जो कुछ तुम्हारी जानिब नाज़िल किया गया है तुम्हारे रब की तरफ से।" (सूरह मायदा:68)

5) कुरान को दूसरों तक पहुँचाना, इसे फैलाना और आम करना। (तबलीग व तबईन)

इन पाँच उन्वानात के तहत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यह बहुत जामेअ किताबचा मुरतब हुआ और बिला मुबालगा यह लाखों की तादाद में छपा है। फिर अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी, पश्तो, तमिल, मलेशिया की ज़बान और सिन्धी में इसके तराजिम हुए। जो हजरात भी हमारी इस तहरीक रुजू इलल कुरान से कुछ दिलचस्पी रखते हैं, मेरे दुरुस (कोर्स) में शरीक होते हैं या हमारे लिट्रेचर का मुताअला करते हैं उन्हें मेरा नासहाना मशवरा है कि इस किताबचे का मुताअला ज़रूर करें। यह दरहकीकत "तआरुफे कुरान" पर मेरे खिताबात का लाज़मी नतीजा और उनका ज़रूरी तकमिला है।

यह भी जान लीजिये कि अगर हम यह हुक्क अदा नही करते तो अज़रुए कुरान हमारी हैसियत क्या है। कुरान मजीद के हुक्क को अदा ना करना कुरान को तर्क कर (छोड़) देने के मुतरादिफ (बराबर) है। सूरतुल फुरकान में मुहम्मद रसूलाह ﷺ की फ़रियाद नक़ल हुई है:

"और पैगम्बर कहेगा कि ऐ मेरे रब! मेरी क़ौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था।"

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا
الْقُرْآنَ مَهْجُورًا 30

मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहि० ने इस आयत के ज़ेल में हाशिये में लिखा है:

"आयत में अगरचे मज़कूर सिर्फ़ काफ़िरों का है ताहम कुरआन की तस्दीक ना करना, उसमें तदब्बुर ना करना, उस पर अमल ना करना, उसकी तिलावत ना करना, उसकी तसहीहे क़िरआत की तरफ़ तवज्जो ना करना, उससे ऐराज करके दूसरी लग्वियात या हकीर चीज़ों की तरफ़ मुतवज्जह होना, यह सब सूरतें दर्जा-ब-दर्जा हिजराने कुरान के तहत में दाखिल हो सकती हैं।"

बहैसियत मुसलमान हम पर कुरआन मजीद के जो हुक्क आयद होते हैं, अगर उन्हें हम अदा नहीं कर रहे तो हुज़ूर ﷺ के इस क़ौल और फ़रियाद का इतलाक (लागू) हम पर भी होगा। गोया कि हुज़ूर ﷺ अल्लाह तआला की बारगाह में हमारे खिलाफ़ मुद्दई की हैसियत से खड़े होंगे।

अल्लामा इक़बाल इसी आयते कुरानी की तरफ़ अपने इस शेर में इशारा करते हैं:

ख़वार अज़ महज़ूरी कुराँ शुदी
शिकवा सन्नज गर्दिशे दौराँ शुदी!

"(ऐ मुस्लमान!) तेरी ज़िल्लत और रुसवाई का असल सबब तो यह है कि तू कुरान से दूर और बेताल्लुक हो गया है, लेकिन तू अपनी इस ज़बूँ हाली (बदहाली) का इल्ज़ाम गर्दिशे ज़माना को दे रहा है।"

कुरान मजीद में दो मक़ामात पर कुरान के हुक्क अदा ना करने को कुरान की तकज़ीब क़रार दिया गया है। आप लाख समझें कि आप कुरान मजीद पर ईमान रखते हैं और उसकी तस्दीक करते हैं, लेकिन अगर आप उसके हुक्क की अदायगी अपनी इस्तअदाद (ताक़त) के मुताबिक़, अपनी इम्कानी हद तक नहीं कर रहे तो दरहकीकत कुरान को झुठला रहे हैं।

साबक़ा उम्मत मुस्लिमा यानि यहूद के बारे में सूरह जुमा में यह अल्फ़ाज़ आये हैं:

"मिसाल उन लोगों की जो हामिले तौरात बनाए गए, फिर उन्होंने उसकी ज़िम्मेदारियों को अदा ना किया, उस गधे की सी है जो किताबों का बोझ उठाये हुए हो। बुरी मिसाल है उस क्रौम की जिसने अल्लाह की आयात को झुठलाया। और अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता।" (आयत:5)

مَثَلُ الَّذِينَ خُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ
الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا . يَبْسُئُ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ . وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

हमें काँपना चाहिये, लरज़ना चाहिये कि कहीं हमारा शुमार भी इन्हीं लोगों में ना हो जाये।

इस ज़िम्न में दूसरा मक़ाम सूरतुल वाक़िया के तीसरे रूकूअ की इब्तदाई आयात हैं:

"पस नहीं, मैं कसम खाता हूँ तारों के मौकों की, और अगर तुम समझो तो यह बहुत बड़ी कसम है, कि यह एक बुलन्द पाया कुरान है, एक महफूज़ किताब में सब्त, जिसे मुतहर्रीन (पाक) के सिवा कोई छू नहीं सकता। यह रब्बुल आलमीन का नाज़िल करदा है। फिर क्या इस कलाम के साथ तुम बेऐतनाई (लापरवाही) बरतते हो, और इस नेअमत में अपना हिस्सा यह रखा है कि इसे झुठलाते हो?"

فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْعِدِ النُّجُومِ 75 ○ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ
تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ 76 ○ إِنَّهُ لَفَرَزٌ كَرِيمٌ
77 ○ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ 78 ○ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ 79 ○ نَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
80 ○ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ 81 ○
وَتَجْعَلُونَ رُزُقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ 82 ○

इस कुरान, इस अज़मत वाली किताब, जो किताबे करीम है, किताबे मकनून है, के बारे में तुम्हारी यह सुस्ती, तुम्हारी यह कस्लमंदी, तुम्हारी यह नाक़द्री और तुम्हारा यह अमली तअतिल (रुकावट) कि तुम इसे झुठला रहे हो! तुमने अपना हिस्सा और नसीब यह बना लिया है कि तुम इसकी तकज़ीब कर रहे हो? तकज़ीब इस मायने में भी कि कुरान का इन्कार किया जाए, इसे अल्लाह का कलाम ना माना जाये--- और तकज़ीब अमली के ज़िम्न में वह चीज़ भी इसके ताबेअ और शामिल होगी जो मैं बयान कर चुका हूँ। यानि हामिल-ए-किताबे इलाही होने के बावजूद उसकी ज़िम्मेदारियों को अदा ना किया जाये। अल्लाह तआला हमें इस अन्जाम से महफूज़ रखे कि हम भी ऐसे लोगों में शामिल हों। हम में से हर शख्स को इन हुकूक के अदा करने की अपनी इम्कानी हद तक भरपूर कोशिश करनी चाहिये।

اقول قولى هذا واسغفرالله لى ولكم السائر المسلمين والمسلمات.

